मासिक

शिविरा

पत्रिका

वर्ष : 60 | अंक : 01 | अगस्त, 2019 | पृष्ठ : 56 (पञ्चाङ्ग सहित) | मूल्य : ₹15

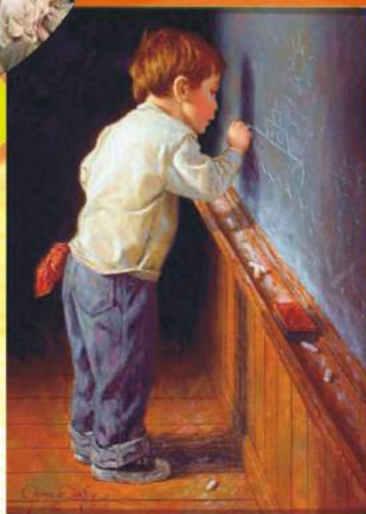

बेहतरीन शिक्षा : राष्ट्र का विकास

सत्यमेव जयते

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा
राज्य मंत्री
शिक्षा (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) विभाग
(स्वतंत्र प्रभार)
पर्यटन एवं देवस्थान विभाग
राजस्थान सरकार

शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था कि बगैर शिक्षा एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। शिक्षा से उनका आशय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। मुझे लगता है, शोषणविहीन समाज की स्थापना का जो स्वप्न बापू ने संजोया था, उसे सभी को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान कर ही साकार किया जा सकता है। राजस्थान में इसी उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार कार्य कर रही है।

बच्चे देश का भविष्य हैं। स्वाभाविक ही है कि उन्हें बेहतरीन शिक्षा प्रदान करके ही हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों की शिक्षा का कार्य शिक्षण संस्थाओं में बहुत सावधानी एवं निष्ठा के साथ किया जाए। इस वर्ष हम महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती (1869-2019) मना रहे हैं। उन्होंने लगभग 9 दशक पूर्व चेतावनी देते हुए लिखा है, ''सही शिक्षा तो छात्र-छात्राओं में अन्तर्निहित गुणों को प्रकाशित करना है। केवल अव्यवस्थित एवं अवांछित सूचनाएं विद्यार्थियों के दिमाग में भर देने से ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह तो उनके मन पर निष्प्राण बोझ बनकर समग्र मौलिकता को नष्ट कर देता है और उन्हें यंत्रवत बना देता है।'' बापू की इस सीख को हृदय में उतारकर हमें बालकों के शिक्षण-अधिगम को सुनिश्चित करना चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर सचिवालय से लेकर विद्यालय तक का ताना बाना रचा हुआ है। इसमें माननीय मुख्यमंत्रीजी से लेकर शिक्षामंत्री, अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक एवं बालक मुख्य रूप से आते हैं। अगर गहराई से विचार करें तो इन सब में बालक प्रमुख है। वही हमारा लक्ष्य है। हम सब उसी बालक के व्यक्तित्व निर्माण में लगे हुए हैं। बालक शुद्ध एवं ब्रह्मस्वरूप है। वह निर्धन का धन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के शब्दों में कहूँ तो बालक वे चमकते हुए सितारे हैं, जो भगवान के हाथ से छूटकर धरती पर गिरे हैं। सत्य और अहिंसा पर बोलते हुए महात्मा गाँधी प्रायः यह कहा करते थे कि उन्होंने यह महान गुण बालकों से सीखे हैं। बालक निश्छल, निर्मल एवं प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। शिक्षा विभाग के माध्यम से हमें इन बालकों की शिक्षा-दीक्षा का पवित्र कार्य मिला है। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए।

शिविरा पत्रिका में 'अपनों से अपनी बात' का मेरा यह पृष्ठ कोई आदेश उपदेश का नहीं है। यह मेरी आत्मा की आवाज है। शिक्षक परिवार से हूँ, इसलिए शिक्षक समुदाय से निकट का रिश्ता सदा ही अनुभूत करता रहा हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि आपसे संवाद एक पक्षीय नहीं रहे। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया सीधे मुझे भिजवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह पृष्ठ शिक्षा के दार्शनिक पक्ष तक ही सीमित नहीं रहे तथा शिक्षक एवं शिक्षा मंत्री के मध्य सेतु का कार्य करें। मुझे भरोसा है कि आप मेरी भावना को समझकर तद्नुसार कार्य करेंगे।

मेरे घर के द्वार गुरुजनों के लिए सदैव खुले हैं। मैं चाहता हूँ कि वे गुणात्मक सुझाव एवं कार्यक्रम लेकर मेरे पास आएं, मैं उनके साथ शैक्षिक चर्चाएं करने के लिए आतुर हूँ। आपके अनुभवजन्य सुझाव भावी योजनाओं के आधार बनें, यह मेरी भावना है। स्थानान्तरण-पदस्थापन से ऊपर उठना होगा। शिक्षा का कार्य तो सेवा का कार्य है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने अपने सुख-दुख से ऊपर उठकर समाज हित में स्वयं को समर्पित किया है, समाज में उन्हीं का आदर हुआ है। शिक्षक को यह सब करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

वर्षा ऋतु में वृक्ष मित्र अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण कर हरित राजस्थान का संकल्प पूरा करना है। इस हेतु सत्र में हम नामांकन में हुई वृद्धि के बराबर वृक्षारोपण कर धरती माता का शृंगार करेंगे। इस माह हम देश का 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और अपने अमर जवान शहीदों से राष्ट्र भक्ति का प्रण लेंगे। कितना सुंदर संयोग है कि भाई-बहिन के प्रेम का त्योहार रक्षाबन्धन भी इस वर्ष 15 अगस्त को ही मनाया जा रहा है।

मैं स्वतन्त्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन दोनों पर्वों पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।

(गोविन्द सिंह डोटासरा)

"शिविरा पत्रिका में 'अपनों से अपनी बात' का मेरा यह पृष्ठ कोई आदेश उपदेश का नहीं है। यह मेरी आत्मा की आवाज है। शिक्षक परिवार से हूँ, इसलिए शिक्षक समुदाय से निकट का रिश्ता सदा ही अनुभूत करता रहा हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि आपसे संवाद एक पक्षीय नहीं रहे। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया सीधे मुझे भिजवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह पृष्ठ शिक्षा के दार्शनिक पक्ष तक ही सीमित नहीं रहे तथा शिक्षक एवं शिक्षा मंत्री के मध्य सेतु का कार्य करें। मुझे भरोसा है कि आप मेरी भावना को समझकर तद्नुसार कार्य करेंगे।"

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते –श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 60 | अंक : 2 | श्रावण कृ.–भाद्रपद शु. २०७६ | अगस्त, 2019

प्रधान सम्पादक
नथमल डिडेल

❉

वरिष्ठ सम्पादक
अनिल कुमार अग्रवाल

❉

सम्पादक
मुकेश व्यास

❉

सह सम्पादक
सीताराम गोदारा

❉

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ **15**

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर–334 011
दूरभाष : 0151–2528875
फैक्स : 0151–2201861
E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in
shivirasecedubkn@gmail.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **–वरिष्ठ संपादक**

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- शिक्षा में नव सृजन 5

आलेख

- हम होंगे कामयाब एक दिन 6
  मानाराम जाखड़
- Shivira Online Payment Procedure 8
  ऋतु भास्कर
- 25वाँ भामाशाह सम्मान समारोह–2019 9
  बंशीधर गुर्जर
- मैं नारी हूँ 13
  अंशु यादव
- अभिभावकों के भी हैं दायित्व 14
  ओम प्रकाश सारस्वत
- सहायक सामग्री 16
  पवन के. भूत
- शिक्षा में नवाचार 43
  डॉ. सूरजसिंह नेगी
- सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में पौधारोपण 46
  गिरधारी गोदारा
- पौधारोपण व सेमिनार 46
  रामेश्वर प्रसाद शर्मा
- संस्कारवान वातावरण निर्माण में सहायक कर्मचारी की भूमिका 47
  कन्हैया लाल बैरवा

कविता

- सब से बेहतर सरकारी स्कूल 16
  प्रदीप कुमार कौशिक

स्तम्भ

- पाठकों की बात 4
- आदेश–परिपत्र 17–41
- पञ्चाङ्ग (अगस्त, 2019) 41
- विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 42
- बाल शिविरा 49–50
  पायल शर्मा, निशा यादव, राहुल बंजारा 49
  इन्द्रा कटारा, पुष्पा, महिमा, जतिन 50
- शाला प्रांगण 51
- चतुर्दिक समाचार 53
- हमारे भामाशाह 54
- व्यंग्य चित्र : रामबाबू माथुर 47

पुस्तक समीक्षा 48

- नियति चक्र (उपन्यास)
  लेखक : डॉ. सूरजसिंह नेगी
  समीक्षक : **डॉ. आशा शर्मा**

शिविरा पञ्चाङ्ग 2019–20
मध्य रंगीन पृष्ठ : 27–30

मुख्य आवरण :
नारायणदास जीनगर, बीकानेर

विभागीय वेबसाइट : www.education.rajasthan.gov.in/secondary

▼ चिन्तन

बहिर्मुखाः जनाः सर्वे
भ्रम जालेषु पाशिताः।

अंतर्मुखाश्च तथ्यज्ञा सत्यं
श्रेयः श्रयन्त्यलम्।।

अर्थात् : बहिर्मुखी-भ्रम-जंजालों में उलझते हैं अन्तर्मुखी-तथ्यों को समझते-सत्य को अपनाते और श्रेय को पाते हैं।

(प्रज्ञो, प्र.मं.अ. 2.48)

पाठकों की बात

- मई-जून बाल सभा विशेषांक शिक्षा जगत में एक नई पहल के लिए बहुत बहुत बधाई! निदेशक महोदय का पृष्ठ राज्य में उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध होगा। छात्र-छात्राओं की रचनाओं को इस अंक में 'बाल शिविरा' शीर्षक अन्तर्गत जगह देकर उनमें सृजनशीलता का बीजारोपण करना अति सराहनीय। वरिष्ठ सम्पादक जी की शनिवारीय बाल सभा, विनोद पानेरी की चंचल चितवन को तराशती बालसभा, सम्पतलाल सागर की व्यक्तित्व निर्माण पर बाल अभिव्यक्ति और वृद्धि चन्द गोठवाल के चरित्र निर्माण पर विचार ये सभी लेख सार्थक, प्रशंसनीय एवं प्रेरणास्पद है। राम बिलास जांगिड़ द्वारा विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व को सम्मान देना और अन्य से तुलना न करने का संदेश सुहावना लगा। इस अंक की सम्पूर्ण सामग्री पठनीय है। बाल सभाओं को पुनर्जीवित एवं नई ऊर्जा प्रदान करने के सार्थक प्रयास के लिए सम्पादक मण्डल साधुवाद का पात्र है। कृपया शैक्षिक वातावरण को मजबूती देने हेतु इन बाल सभाओं का निरन्तर आयोजन और प्रभावी प्रबोधन करें। एक बार पुनः बधाई एवं धन्यवाद।

-लियाकत 'भावुक', भीमसर (झुंझुनूं)

- मैं शिविरा पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। मई-जून का संयुक्तांक का मुखावरण मनमोहक एवं आकर्षक लगा। बाल शिविरा की समस्त कविताएँ रुचिपूर्ण एवं पठनीय रही। इसके अतिरिक्त अंकुश्री का पर्यावरण संरक्षण पर आधारित आलेख जल, थल और स्वास्थ्य के लिए घातक प्लास्टिक वर्तमान मानव जीवन शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता की ओर इंगित करता है। मेरा पृष्ठ में निदेशक महोदय की अपील उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण सकारात्मक सोच को प्रेरित करता है जो विद्यालय नामांकन वद्धि में सहायक सिद्ध होगा।

-महेश आचार्य, नागौर

- माह मई-जून 2019 का अंक आज हाथ में लेते ही आवरण कथा, बाल शिविरा एवं चित्र विथिका मई-जून 2019 बहुत ही रोचक व सारगर्भित लगा। छात्रों में प्रतिभा तराशने का सुअवसर इससे अच्छा और नहीं हो सकता। बाल शिविरा पृष्ठ 14, 15 व 16 की बाल कविताएँ मन मोहने के साथ-साथ एक नया संदेश व नई ऊर्जा देती नज़र आई। दिशाकल्प उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण बहुत ही प्रेरणादायी लगा। श्रीमान निदेशक महोदय की हर बात आइए हम करें, हमें करना है एक नई ऊर्जा का संचार करती है। चंचल चितवन को तराशती है बालसभा, बालकों के व्यक्तित्व निर्धारण में बालसभा की भूमिका, बालकों के चरित्र का विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, जल, थल और स्वास्थ्य के लिए घातक प्लास्टिक एवं पुस्तक समीक्षा व सभी स्तम्भ पढ़कर मन हर्षित हुआ। आशा है कि शिविरा पत्रिका इसी प्रकार ज्ञानवर्धन में सहयोग करती रहेगी।

-सुखविन्द्र सिंह मेघाना, नोहर

- माह मई-जून, 2019 की शिविरा बालसभा विशेषांक के रूप सुन्दर आवरण के साथ समय पर प्राप्त हुई। दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ में निदेशक महोदय का 'उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण' में दिया गया संदेश उत्साहवर्धन है। बालसभा के सम्बन्धित समस्त आदेशों का अलग से देते हुए वरिष्ठ सम्पादक ने शनिवारीय बालसभा का महत्व जताया। बाल शिविरा के रूप में नया स्तम्भ छात्र/छात्राओं में सृजन को बढ़ावा देने वाली साबित होगी इसके लिए सम्पादक मण्डल के विशेष बधाई। इसे नियमित रूप से शाला प्रांगण की तरह स्थाई किया जाए तो अच्छा रहेगा। नीरज काण्डपाल द्वारा विद्यालय लॉगिन पर्यवेक्षण : संस्था प्रधान के दायित्व बहुउपयोगी आलेख है सभी संस्थाप्रधानों के लिए। अंकुश्री का प्लास्टिक के घातक परिणामों को दर्शाता लेख जागरूक करता है। बाल सभा विशेषांक के रूप सामग्री चयन एवं चित्रों का संकलन के लिए सम्पूर्ण शिविरा परिवार साधुवाद का पात्र है।

-अशोक कुमार जनागल, बीकानेर

प्रशासनिक कारणों से जुलाई, 2019 का अंक प्रकाशित नहीं हो सका है। -व.सं.

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

सत्यमेव जयते

नथमल डिडेल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

शिक्षा में नव सृजन

प्रिय गुरुजनों आप सभी के अथक प्रयासों से सत्र 2018-19, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण सत्र रहा है। हम सभी ने मिलकर प्रयास किया और सफलता के नये आयाम हासिल किए।

यह सत्र 2019-20 शिक्षा में एक नव सृजन का सत्र है। इसी सत्र से राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नवाचार के रूप में एक-एक महात्मा गाँधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय की स्थापना की है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी कदम साबित होगा। आगे भी ब्लॉक स्तर तक इस योजना को ले जाने की राजस्थान सरकार की मंशा स्पष्ट है। चरणबद्ध रूप में इस योजना में और अधिक विस्तार होगा।

हम सब भी इस सत्र में मिलकर कार्य करते हुए अपने कक्षा शिक्षण व विद्यालय प्रशासन में नवाचारों द्वारा शिक्षण व प्रशासन को अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें ताकि राजकीय विद्यालय और अधिक उन्नत व समृद्ध बन सकें। अपने नवाचारों से पूरे विभाग को विभिन्न माध्यमों से अवगत भी करावें। जिससे अन्य लोग प्रेरणा लें।

मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मिलकर इस सत्र में और अधिक प्रयास व मेहनत करेंगे और राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा को एक उदाहरण बना सकेंगे।

इसी माह में तीन पर्व, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस एवं सामाजिक पर्व रक्षाबंधन व जन्माष्टमी हैं। इन पर्वों को विद्यालय में उत्सव के रूप में मनाएँ व विद्यार्थियों को नैतिकता का संदेश देवें।

आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े कार्मिकों, अधिकारियों एवं शिविरा के पाठकों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।

(नथमल डिडेल)

"हम सब भी इस सत्र में मिलकर कार्य करते हुए अपने कक्षा शिक्षण व विद्यालय प्रशासन में नवाचारों द्वारा शिक्षण व प्रशासन को अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें ताकि राजकीय विद्यालय और अधिक उन्नत व समृद्ध बन सकें।"

शिक्षा बजट 2019-20

हम होंगे कामयाब एक दिन

❒ मानाराम जाखड़

इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती मना रहे हैं। बापू की पावन स्मृति में देश-प्रदेश में अनेक लोक हितकारी कार्य किए जा रहे हैं। सच्चे समाजवाद की मान्यता महात्मा जी के ट्रस्टीवाद सिद्धान्त में झलकती हैं। वे कहा करते थे कि आपके पास जो सम्पति साधनादि हैं, उनमें से अपनी जरूरते पूर्ण करने के पश्चात बचे भाग के आप महज न्यासी (Trustee) हैं। आपको, जिन्हें जरूरत है उन लोगों के हित में उस सम्पति व उन संसाधनों को सुपुर्द कर देना चाहिए। शिक्षा को लेकर उनके विचार बहुत स्पष्ट थे। एक बार उन्होंने कहा था, जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बादल जैसे सबके लिए समान बरसते हैं, उसी तरह विद्या-वृष्टि (शिक्षा) सब पर बराबर होनी चाहिए। विद्या-वृष्टि सब पर बराबर उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे समाज हितेशी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री ने प्रत्येक जिले में एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया। निर्णय त्वरित क्रियान्विति में बदला और ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालय खुलते ही 33 जिलों में 33 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्टाफ आदि के चयनोपरांत अस्तित्व में आ गए। राष्ट्रपिता की 150वीं जयन्ती को यादगार बनाने के लिए इनका नाम महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) रखा गया। दिनांक 19 जुलाई 2019 को विधानसभा में शिक्षा विभाग की बजट मांगों पर चर्चा के दौरान प्रदेश के माननीय शिक्षामंत्री महोदय श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने राज्य के 167 विकास खण्डों में चरणबद्ध रूप से महात्मा गाँधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों की स्थापना करने की घोषणा की। ये विद्यालय उन विकास खण्डों में खोले जाएंगे जिनमें स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय नहीं हैं। यह अत्यन्त सराहनीय कदम है। उच्च आय वर्ग के बच्चे तो महंगी प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों में पढ़ लेते थे लेकिन मध्यम व अल्प आय वर्ग, किसान एवं गरीब के बच्चों के लिए मन मसोस कर रह जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे बच्चों के लिए वरदान शाबित होंगे ये विद्यालय।

राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने एवं जनप्रतिनिधियों तथा जनसहभागिता को बढ़ावा देने हेतु माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय का एक विशेष नवाचार सामुदायिक बालसभा ने प्रदेश में जुड़ाव बढ़ाने का एक नया संदेश दिया है। जिसकी भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भी प्रशंसा की गई है।

सामुदायिक बाल सभाओं का वृहद् स्तर पर आयोजन 9 मई 2019 तथा 2 जुलाई 2019 को प्रवेशोत्सव के क्रमश: प्रथम व द्वितीय चरण के रूप में किया गया जिसमें प्रदेश के 65,000 राजकीय विद्यालयों, 25 लाख अभिभावकों ने इन बालसभाओं में शिरकत करते हुऐ सामुदायिक जन सहभागिता का जुड़ाव एवं सुझान बढ़ाया है। साथ ही इन दोनो सामुदायिक बालसभाओं में लगभग 15 करोड़ रूपये की राशि व सामग्री का जन सहयोग भी राजकीय विद्यालयों को मिला है। 2 जुलाई की सामुदायिक बालसभाओं में जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव बढ़ाने हेतु एवं प्रवेशोत्सव में सहयोग के लिए माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के समस्त सांसदो, मंत्रीगण, विधायकों, जिला प्रमुख, प्रधान, सदस्य पं.स./जि.परिषद्, सरपंच एवं समस्त वार्ड पंचो को लगभग 1,27,821 अर्द्ध शासकीय पत्र लिखते हुए आमंत्रित कर विद्यालयों से जुड़ावएवं सहभागिता बढ़ाने की एक ऐतिहासिक पहल की है। प्रदेश में सामुदायिक बालसभाओं के इस नवाचार को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भी प्रशंसा करते हुए अन्य राज्यो को भी इसे अपनाने की सलाह दी है।

विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों में रोजगार की संभावनाऐ तलाशने, प्रवेश परीक्षाओं, उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की विविध जानकारियों हेतु देश में राजस्थान प्रथम प्रदेश है जहाँ पर इन विद्यार्थियों की सुध लेने हेतु नि:शुल्क सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु राजीव गाँधी केरियर गाईडेंस पोर्टल (Online) तथा ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर मैन्यूअल राजीव गाँधी केरियर गाईडेंस एवं काउन्सलिंग सैल (प्रकोष्ठ) का गठन कर राज्य सरकार द्वारा एक अहम पहल का शुभारम्भ किया गया है।

राजीव गाँधी करियर गाईडेंस पोर्टल (Online) का लोकार्पण माननीय शिक्षामंत्री महोदय द्वारा की जाकर देश के प्रथम ऑनलाईन

राजस्थान सरकार
परिवर्तित बजट : 2019-20
श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री का बजट भाषण
शिक्षा (Education)

124. राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 'सर्वपल्ली राधाकृष्णन् विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना' के अन्तर्गत 14 हजार से अधिक अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि कक्षों, 23 नवीन भवनों के निर्माण तथा 83 भवनों की वृहद् मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे। इस पर वर्ष 2019-20 में 1 हजार 581 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

125. शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम प्रयोगों, विकास, नवाचारों आदि को ध्यान में रखते हुए हम राज्य के लिए एक नवीन शिक्षा नीति बनाएंगे।

126. शाला-दर्पण पोर्टल को और विकसित करते हुए शिक्षकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों, स्थानान्तरण, प्रार्थनाओं/परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए Staff Window एवं आम नागरिकों के सुझावों के लिए Citizen Window प्रारंभ की जाएगी।

127. इस वित्तीय वर्ष में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में, 100 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में एवं 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

10 जुलाई, 2019 :
आषाढ़ शुक्ल 9 संवत् 2076

स्रोत : राजस्थान सरकार का बजट दस्तावेज पृष्ठ 30वां, घोषणा बिन्दु संख्या क्रमश: 124 से 127 (कुल पृष्ठ 57, कुल घोषणा बिन्दु 235

पोर्टल की सुविधा प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाते हुए जन घोषणा का वायदा पूरा किया है इस पोर्टल से विद्यार्थियों को हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में 14 देशों (Countries) की लगभग 10,000 + शैक्षणिक संस्थाओं,200 + व्यावसायिक, 237 + प्रोफेशन, 960 + छात्रवृतियो, 955 + प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षाओं एवं 455 + कैरियर विकल्पों के बार में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल की नि:शुल्क सुविधा हेतु कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को Login ID एवं Password भी उपलब्ध करवा दिये गये है। अब तक 1,18,081 विद्यार्थी इस Online Portal से लाभान्वित हो चुके है। जिनविद्यार्थियों को इस Online Portal की सुविधा नहीं मिल सकती है उनके लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक पर राजीव गाँधी करियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC) का गठन किया जाकर प्रत्येक माह की 15 तारीख(अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस) को प्रात: 11 बजे से 1 बजे तक उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन एवं रोजगारपरक जानकारियाँ दी जायेगी। पोर्टल एवं प्रकोष्ठ (सैल) दो अलग-अलग नि:शुल्क सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध है।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अन्तर्गत प्रवेश के लिए अभिभावकों की आय सीमा अभी तक एक लाख रुपये थी। इसे बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये किया जा रहा है। यह अभिभावकों की लम्बे समय से चली आ रही मांग थी जिसे पूरा कर वर्तमान सरकार ने जनहित में एक महत्त्वपूर्ण एवं त्वरित निर्णय लिया है।

खेल एवं खिलाड़ियों के कल्याण हेतु बजट में बहुत शानदार प्रावधान किए गए हैं। जिला एवं राज्यस्तरीय खेल स्पर्धाओं में भागीदारी करने वाले विद्यार्थियों को वर्तमान में देय दैनिक भत्ते 100 रुपये को बढ़ाकर 150 रुपये तथा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में प्रचलित भत्ता राशि 200 रूपये को बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार खिलाड़ियों की गणवेश हेतु वर्तमान राशि को भी लगभग डेढ़ गुना कर दिया गया है। जिला एवं प्रादेशिक प्रतियोगिताओं में वर्तमान राशि 750 को बढ़ाकर 1000 रुपये तथा राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं हेतु देय राशि 1000 रुपये को अब 1500 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से निश्चय ही खेल एवं खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे।

राज्य में 23 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का क्रमोनयन करके उन्हें उच्च माध्यमिक बना दिया जाएगा। शिक्षामंत्री महोदय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा कृषि विषय की पढ़ाई के बारे में की। वर्तमान में प्रदेश के 398 राजकीय उ.मा. विद्यालयों में कृषि विषय विज्ञान संकाय के अन्तर्गत पढ़ाए जा रहे हैं। अब उन्हें पृथक कृषि संकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। लगभग एक दशक पूर्व की व्यवस्था अनुसार अब कृषि संकाय में तीन विषय कृषि विज्ञान, कृषि रसायन तथा कृषि जीव विज्ञान सम्बन्धित विद्यालयों में पढ़ाएँ जाएंगे।

राजकीय विद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण, निर्माण एवं मरम्मत के लिए वर्ष 2019-20 में नाबार्ड योजना में राज्य के 970 राजकीय विद्यालयों में 3400 कमरों व शोचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। इस हेतु 400.09 करोड़ रुपये की परियोजना नाबार्ड से स्वीकृत करवाई।

समग्र शिक्षा अभियान को इंगित करते हुए शिक्षामंत्री जी ने 1181 करोड़ रुपये की लागत से 10651 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लेब, आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्य करवाएं जाने की घोषणा की।

शिक्षक सम्मान के प्रति संवेदनशील शिक्षामंत्री जी ने शिक्षक दिवस पर सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या में बेहद वृद्धि की है। अब ब्लॉक स्तर पर 903, जिला स्तर पर 99 एवं राज्य स्तर पर 99 कुल 1101 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों को आकर्षक परिचय पत्र एवं डायरी भी विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी हित में जोधपुर एवं सीकर में 50-50 लाख रुपये की लागत से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जाएगा।

श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम तथा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने की श्रृंखला प्रारंभ करते हुए राज्य स्तर पर तीन-तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्यस्तर पर उ.मा. विद्यालयों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमश: 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये तथा 50,000 रुपये के होंगे जबकि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए ये पुरस्कार प्रथम 50,000 रुपये, द्वितीय 40,000 रुपये तथा तृतीय 25,000 रुपये के होंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर दो पुरस्कारों के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाओं को 25,000 रुपये (कुल 66) तथा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कुल 301 पुरस्कार उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक 10-10 हजार रुपयों के दिए जाएंगे।

शिक्षामंत्री महोदय ने आंगनबाड़ी समन्वित राजकीय विद्यालयों एवं मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (प्री-स्कूल) का संचालन किए जाने की घोषणा की। इस प्रकार राज्य के 134 मॉडल स्कूलों एवं 37444 समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों, विद्यालयों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का विकास किया जायेगा विद्यालयों में इन्सीनेरेटर एवं डिस्पेंसर मशीनें लगाई जाऐंगी। इस हेतु 100 से अधिक नामांकन वाले 1000 विद्यालयों को चिन्हित किया जाएँगी।

शिक्षामंत्री जी ने प्रदेश के शिक्षा विभाग में संवाद तंत्र विकसित किए जाने के नवाचार की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश के 10176 राजकीय आदर्श विद्यालयों में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर उनमें पूर्व विद्यार्थियों व भामाशाहों को आमंत्रित किया जाएगा।

शिक्षा विभागीय हितकारी निधि से दो कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। मंत्री महोदय ने कहा कि प्रथम योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहकर मा.शि. बोर्ड, राजस्थान अजमेर से कक्षा 10वीं में 70 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाले पुत्र/पुत्रियों को 11,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना में स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा के कुल 1000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। हितकारी निधि से ही द्वितीय योजनान्तर्गत 500 कार्मिकों को उनकी पुत्री के विवाह के अवसर पर 11,000 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। यह एक तरह से विभाग की ओर से भेंट होगी जो हमारे समाज में बहुत ही सम्मान एवं आत्मीय महत्व की मानी जाती है।

विद्यार्थियों का सर्वांगीण एवं चहुँमुखी विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इस विकास हेतु उनमें समूह भावना विकसित करना आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक माध्यमिक एवं उ.मा. विद्यालय में युवा क्लब शुरू किए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी इन क्लबों में शामिल होने के पात्र होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2019-20) में इन क्लबों की गतिविधियों के लिए 25000 रुपये प्रति विद्यालय (कुल 14027 विद्यालय) की दर से 35.06 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बच्चों के सृजनात्मक एवं अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बाल मैगजीन (पत्रिका) सुविधा हेतु लगभग 532 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है।

शिक्षामंत्री जी ने एकल/द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार के तहत उच्च माध्यमिक के सभी संकायों

तथा माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाए जाने की घोषणा की। घोषणानुसार उ.मा. में पूर्व में दी जाने वाली राशि (राज्य स्तर) 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये तथा माध्यमिक में दी जाने वाली राशि 21,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये तथा जिला स्तर पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक को पूर्व में दी जा रही 5,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 11,000 रुपये किए जाने की घोषणा की।

स्टूडेंट पुलिस केडेट (SPC) योजना का दायरा बढ़ाकर राज्य के 930 राजकीय विद्यालयों एवं 70 केन्द्रीय विद्यालयों में इसे संचालित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एज्यूकेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाऐंगे। राज्य के 905 राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय शिविर इस हेतु लगाएँ जाएंगे। साथ ही शगुनोत्सव के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों का मूल्यांकन करवाया जाएगा।

इससे पूर्व दिनांक 10 जुलाई 2019 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य का वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए परिवर्तित बजट प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे की गई विशिष्ट घोषणाएं बॉक्स में प्रस्तुत की गई है। इन घोषणाओं की क्रियान्विति एवं उनका लाभ सम्बन्धित लाभार्थी छात्र-छात्रा तक पहुँचाने का कार्य तो गुरूजन ही कर सकते हैं। हम सबको मिलकर इनकी प्रभावी क्रियान्विति के लिए संकल्प लेकर कार्य करना चाहिए। इसी में सरकार, विभाग, गुरूजन, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का हित निहित है। कामयाबी एवं प्रतिष्ठा का सूत्र शिक्षा में छिपा है। ऐसे प्रयत्न सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाने की आकांक्षा में ही हमारा प्यारा प्रदेश शीघ्र ही नम्बर वन होगा। कामयाबी का वो दिन प्राप्त करना हमारा अभीष्ट होना चाहिए। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के संकल्प को साकार करने के लिए नित्य प्रति कार्य के प्रति समर्पित भाव से प्रदेश में शिक्षा विभाग के ऊर्जावान, युवा एवं सत्यनिष्ठा से कार्य करने वाले हमारे शिक्षक प्रिय, शिक्षा राज्यमंत्री महोदय की होंसला आफजाई हम सब मिलकर करते रहेंगे तो 'हम होंगे कामयाब एक दिन'।

उपनिदेशक
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर (राज.)
मो: 9829082311

ऑनलाइन पेमेंट

Shivira Online Payment Procedure

❐ ऋतु भास्कर

शिविरा पत्रिका माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित विद्यार्थियों/शिक्षकों/समुदाय विभिन्न आयु वर्गो हेतु शैक्षिक मासिक पत्रिका है। शिविरा मासिक पत्रिका की सदस्यता हेतु ऑन-लाइन subscribe/आवेदन कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया निमानुसार होगी :-

- सर्वप्रथम URL एड्रेस बार में लिखिए education.rajasthan.gov.in/secondary
- Home Page के vertical scroll बार को नीचे खींचिए। शीर्षक General Portals के अन्तर्गत *'Shivira Online Subscription"* link को क्लिक कीजिये। निम्न स्क्रीन शॉट अनुसार शिविरा-एक परिचय' वेब पेज खुलेगा।
- अब बायी तरफ "MENU" में "Register Yourself" का चयन कर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
- रजिस्ट्रेशन में दिए गए मोबाइल नंबर व ई-मेल पर प्राप्त OTP सबमिट करने पर रजिस्ट्रेशन पूर्ण होगा।
- रजिस्ट्रेशन successful होने के पश्चात रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए लॉग इन व पासवर्ड के द्वारा दायी तरफ दिए "login" से लॉग इन करें।
- 'login' के पश्चात बाएं तरफ दिए गए MENU के 'Apply for Service' व Online लिंक चयन द्वारा आवेदन करें व Application Information, Subscription Detail, Additional Details में सभी जानकारियां ध्यान से भरें तथा submit करें।
- अब 'Shivira Online Payment and subscription' पेज उपलब्ध होगा। यहीं से आपके द्वारा भरी सम्पूर्ण जानकारी जाँच कर प्रिन्ट लेवें या पीडीएँफ में सेव करें। अब 'Make Payment' के द्वारा 'e-grass' से Payment details पेज open होगा।
- Payment Details की जाँच कर 'Make Payment' पुनः का चयन करने से e-Grass payment portal open होगा।
- e-grass पेमेंट पोर्टल पर 'guest' का चयन करें तदुपरांत बैंक के नाम व 'pay now' के चयन द्वारा e-Challan प्राप्त होगा।
- 'e-challan' 'continue' को क्लिक कर बैंक इंटरफेसन open होगा। बैंक detail fill कर शिविरा पत्रिका हेतु ऑन-लाईन payment करें।
- Payment successful होने पर ई-मेल के द्वारा शिविरा पत्रिका के सफलतापूर्वक सदस्यता का मेसेज प्राप्त होगा।
- शिविरा लोग-इन से "view Submitted Application From" से आपके द्वारा भरे गये फॉर्म को देखा जा सकता है।
- e-grass से ऑन-लाईन payment करते समय सावधानी पूर्वक निर्देशों का पालन करें व यथा संभव बैंक working hours में transaction करें।

सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)
कंप्यूटर अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

रपट

25वाँ भामाशाह सम्मान समारोह 2019

❐ बंशीधर गुर्जर

दानवीरों के पर्याय, मेवाड़ के सच्चे सपूत भामाशाह जयन्ति के अवसर पर 28 जून, 2019 को शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा बिडला सभागार जयपुर में 25वाँ भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्राचीन काल से राजस्थान के गाँव-गाँव में शिक्षा की अलख जगाने, शिक्षा की गुणवत्ता एंव विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ाने में भामाशाहों ने मुक्त हस्त से दान दिया है। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा पिछले 25 वर्षो से लगातार ऐसे भामाशाहों के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष सम्मानित होने वाले 121 भामाशाहों द्वारा शिक्षा विभाग को रुपये का 14,946 लाख सहयोग दिया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक गहलोत थे। समारोह की अध्यक्षता माननीय श्री गोविन्द सिंह डोटासरा राज्य मंत्री-शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक एंव माध्यमिक शिक्षा स्वंतन्त्र प्रभार) द्वारा की गई। समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री भंवर सिंह भाटी, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा (स्वतंन्त्र प्रभार) एंव डाँ सुभाष गर्ग, राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा एंव संस्कृत शिक्षा (स्वतंन्त्र प्रभार) थे। डाँ आर. वैकटेश्वर, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान, श्री प्रदीप कुमार बोरड, विशिष्ट शासन सचिव राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं स्कूल शिक्षा एवं श्री नथमल डिडेल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान तथा श्री एन.के. गुप्ता, निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना भी उपस्थित थे।

सर्व प्रथम अतिथियों के आगमन पर उनके स्वागत में एन.सी.सी. कैडेट्स एवं स्काउटस द्वारा गार्ड ऑफ आनर दिया गया। राजस्थानी वेशभूषा धारण कर छात्राओं के द्वारा अतिथियों का मुख्य द्वार पर रोली एवं अक्षत से तिलक कर स्वागत किया गया। राष्ट्रगीत वन्देमातरम् समवेग स्वरों में गायन से कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माँ सरस्वती

माता एवं भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया एवं जयपुर के विभिन्न विद्यालयों की शिक्षिकाओं ने सरस्वती वदंना एवं भामाशाह सम्मान गीत की प्रस्तुति दी।

हरित राजस्थान के स्वप्न को पूरा करने के लिए इस वर्ष सभी अतिथियों एवं भामाशाहों को शिक्षा विभाग की ओर से पौधे भेट कर सम्मान किया गया। इसके साथ ही महात्मा गाँधी के जन्म की सार्ध शताब्दी वर्ष (150वर्ष) के शुभ अवसर पर सभी अतिथियों एवं भामाशाहों को गाँधी साहित्य की 5 पुस्तकें भी भेंट की गयी।

श्री आर. वेकंटेश्वरन, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान सरकार, 2 जयपुर ने स्वागत भाषण एवं समारोह का परिचय दिया। डाँ वेंकटेश्वरन ने समारोह में पधारे सभी भामाशाहों, प्रेरकों एवं सभागार में उपस्थित सभी लोगो का स्वागत एवं अभिनन्दन किया 25 वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का परिचय देते हुए प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में 15 लाख रुपये से अधिक का आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों एवं 30 लाख रुपये से अधिक का आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाहों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों का राज्य स्तर पर स्वागत किया जाता है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक सहशैक्षिक एवं भौतिक उन्नयन के क्षेत्र में इस वर्ष 121 भामाशाहों एवं 52 प्रेरकों का सम्मान किया गया। इस सत्र में (2018-19) में सर्वाधिक रुपये 14,946 लाख की सहयोग राशि शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है जबकि पिछले वर्ष रुपये 8487.29 लाख की सहयोग राशि प्राप्त हुई थी। इसके अलावा भी बहुत से छोटे-छोटे दान प्राप्त हुए। अक्षय पेटिका एवं विद्यादान कोष में भी भामाशाहों ने सहयोग दिया है। इससे राजकीय विद्यालयों से आमजन का जुडाव व सहयोग बढ़ रहा है एवं विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं नामांकन में वृद्धि हो रही है।

25 वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के अध्यक्ष ओर शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने

कहा कि हमारी सरकार शिक्षा के सर्वागीण विकास के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। हम शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाऐगें। भामाशाह को नमन करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार भामाशाह ने अपने जीवन की सम्पूर्ण पूंजी महाराणा प्रताप को मृतभूमि के लिए समर्पित कर दी थी। उसी प्रकार आज के यह भामाशाह अपनी गाढ़ी कमाई को शिक्षा के विकास के लिए समर्पित करके सराहनीय योगदान दे रहे है। हमें इन पर गर्व है एवं इस पुनीत कार्य के लिए आप सभी लोगों का साधुवाद, धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समारोह में पधार कर भामाशाह एवं प्रेरकों के उत्साहवर्धन के लिये बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया।

25 वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत ने भामाशाह के त्याग एवं समर्पण को याद करते हुए कहा कि पैसा बहुत लोग कमाते हैं लेकिन अपनी गाढी कमाई को सामाजिक कार्यों तथा जनहित में लगा देना पुण्य का काम है। राजस्थान की संस्कृति, संस्कार और परम्पराओं से दान की प्रेरणा मिलती है।

दानवीर भामाशाह

दानवीर भामाशाह बाल्यकाल से ही मेवाड के महाराणा प्रताप के मित्र ,सहयोगी और विश्वासपात्र सलाहकार थे। मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और दानवीरता ने भामाशाह का नाम इतिहास में अमर कर दिया। दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड राज्य में 29 अप्रेल 1547 को ओसवाल परिवार में हुआ।आपके पिता का नाम भारमल था, वह रणथंभौर के किलेदार थे। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी सम्पूर्ण धन-संपदा महाराणा के चरणों में अर्पित कर दी। यह सहयोग तब दिया गया जब महाराणा प्रताप अपना अस्तित्व बनाये रखने के प्रयास में निराश होकर परिवार सहित पहाडियों में छिपते भटकते फिर रहे थे। इस कठिन समय में भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को दी गई उनकी हर सम्भव सहायता ने मेवाड के आत्म सम्मान एवं संघर्ष को नई दिशा दी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी निजी सम्पति से इतना धन दान दिया कि उससे 25000 सैनिकों का 12 वर्षो तक निर्वाह हो सकता था। भामाशाह द्वारा दिये गये इस धन से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होने पुन: सैन्य शक्ति संगठित कर मेवाड को पुन: स्वतंत्र करवाया। वह बेमिसाल दानवीर , देशभक्त ,धर्म और संस्कृति के रक्षक एवं महान त्यागी महापुरूष थे। अपनी अकूत सम्पत्ति मातृभूमि के लिए अर्पित करने के कारण आज किसी भी दानदाता को दानवीर भामाशाह कहकर उनका स्मरण वंदन किया जाता है। उनकी दानवीरता के चर्चे आज के युग में भी पूरे मेवाड में बडे उत्साह और प्रेरणा के संग सुने-सुनाये जाते है। उनके लिए पंक्तिया कही गई है-वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामा सा लाल पला। राजस्थान में उनके सम्मान में पहला भामाशाह सम्मान समारोह 1995 में प्रारम्भ हुआ । भारत सरकार ने 31 दिसम्बर 2000 को उनके सम्मान में तीन रूपये का डाक टिकिट जारी किया। आज हम 25वां भामाशाह सम्मान समारोह रजत जयंती वर्ष मना रहे है। इस वर्ष 121 भामाशाहों ने शिक्षा के क्षेत्र में रुपये 14946.84 लाख का दान दिया जो कि विगत वर्षो से सर्वाधिक है।

राजस्थान में अकाल सूखे के समय प्रदेश के भामाशाहों ने मनुष्यों एंव पशुओं की रक्षा के लिए अपनी सम्पूर्ण सम्पति प्राणीमात्र के कल्याण के लिए समर्पित कर दी।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन इतिहास से छेडछाड एवं शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होने कहा कि भारत ओर पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आजाद हुए लेकिन पाकिस्तान में कई बार सैन्य शासन ओर तानाशाही रही गर्व की बात है कि हमारे देश में 70 साल बाद भी मजबूत लोकतंत्र कायम है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के समय उद्योगों को अपनी आय का एक हिस्सा सीएसआर गतिविधियों के लिए देना अनिवार्य किया गया था। यह एक ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई और आमजन को इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा विभाग द्वारा सभी अतिथियों एवं भामाशाहों प्रेरकों को सम्मान में एक-एक पौधा एवं गांधी दर्शन की 5-5 पुस्तकें देने का भी स्वागत किया और कहा कि आज गांधी के दर्शन को पढने और समझने की आवश्यकता है ।

इस अवसर पर उन्होने भामाशाहों तथा उन्हे प्रेरित करने वाले प्रेरकों की जानकारी से सम्बन्धित पुस्तिका प्रशस्तियाँ का विमोचन भी किया। सभी 121 भामाशाहों एवं 52 प्रेरकों को श्रीफल ताम्रपत्र शॉल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया एवं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद दिया कि आगे भी इसी प्रकार से मुक्त हस्त से समाज कल्याण के कार्य करते रहें एवं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करते रहें। भावी पीढी भी इन गौरवशाली परम्पराओं को आत्मसात् करे इसके लिए हमारी सरकार वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य का क्षेत्र धन कमाने का साधन न होकर सेवा का माध्यम है। परन्तु दुर्भाग्य से आज ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मानव सेवा के इन दोनों क्षेत्रों में न लाभ, न हानि के सिद्वान्त पर काम होना चाहिए। दुनिया के कोने कोने में बसे राजस्थानियों में हमेशा सहयोग की भावना रही है जब-जब भी वक्त आया अपनी माटी के लिए योगदान देने में कोई कसर नहीं छोडी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ 'मैने पानी बचाओं बिजली बचाओं ओर बेटी बढ़ाओ' का नारा दिया ओर अब इसमें एक ओर वाक्य 'वृक्ष लगाओं' का नारा जोडता हूँ। किसी भी संस्था के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है उसकी सांख ओर सेवा भावना ये दोनों हैं तो उस के लिए कोई भी सहयोग करने को तैयार हो जाता है, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार की अच्छी साख और सेवाभाव में विश्वास के कारण ही भामाशाहों ने शिक्षा के लिए बढ-चढकर आर्थिक सहयोग दिया है। आगे भी आपके विश्वास पर हम खरे उतरेगें। उन्होने कहा कि पिछले वर्ष जहाँ रुपये 86 करोड़ रुपये भामाशाहों ने दिया इस वर्ष करीब रुपये 150 करोड़ भामाशाहों ने दिए जो इस बात का सबूत है कि हमारी गवर्नेस अच्छी है।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भवंर सिह और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग ने कहा कि स्कूल शिक्षा की तर्ज पर तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग मे भी भामाशाहों को आगे आने की जरूरत है।

अन्त में श्री नथमल डिडेल, निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि श्री अशोक गहलोत, कार्यक्रम के अध्यक्ष, श्री गोविन्दसिंह डोटासरा, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, श्री भवर सिह भाटी एवं श्री सुभाष गर्ग डॉ आर. वैकटेश्वर, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान, श्री प्रदीप कुमार बोरड, विशिष्ट शासन सचिव राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं स्कूल शिक्षा, श्री एन.के. गुप्ता, निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना अन्य शिक्षा अधिकारियों, भामाशाहों प्रेरकों एवं कार्यक्रम में लगे समस्त शिक्षकों, कार्यकर्ताओं एवं मिडिया से आए हुए समस्त पत्रकार बन्धुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री डिडेल ने कहा कि यह भामाशाह सम्मान समारोह शिक्षा के क्षेत्र में उदारतापूर्वक सहयोग करने वालों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का विनम्र प्रयास है। अत: बहुत-बहुत आभार साधुवाद। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

भामाशाह

क्रं.स.	नाम भामाशाह	राशि लाखों में
1	हिन्दुस्तान जिंक, चंदेरिया लेड जिंग स्मेल्टर, चित्तौड़गढ़	1241.55
2.	हिन्दुस्तान जिंक, राजपुरा दरीबा कॉम्पलेक्स, राजसमन्द	1195.87
3.	हिन्दुस्तान जिंक जावर माइन्स, उदयपुर	877.88
4.	हीरो मोटोकोर्प लिमिटेड, जयपुर	768.09
5.	न्युक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, चित्तौड़गढ़	763.53
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार तेतरवाल, सीकर	550.00
7.	श्रीमती सी.एम. मूंधड़ा मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई	550.00
8.	भारतीय फाउण्डेशन, नई दिल्ली	536.52
9.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, कोटा	494.98
10.	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, नीमराना, अलवर	490.87
11.	हिन्दुस्तान जिंक, रामपुरा ऑगुचा खान, भीलवाड़ा	477.61
12.	डी.सी.एम. श्रीराम फाउन्डेशन, कोटा	475.41
13.	होण्डा मोटरसाइकल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा.लि. टपूकड़ा इण्डस्ट्रीयल एरिया, अलवर	469.87
14.	श्री गौतम आर. मोरारका, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	353.30
15.	हैवल्स इण्डिया लिमिटेड, अलवर	320.65
16.	क्यू.आर.जी. फाउण्डेशन, अलवर	320.28
17.	जैक्वार फाउण्डेशन, मानेसर	319.00
18.	श्री हरिप्रसाद बुधिया, कोलकाता	231.45
19.	एस.एम. सहगल फाउण्डेशन, गुडगाँव	216.54
20.	बॉश लिमिटेड, जयपुर	210.87
21.	जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था, पूणे, महाराष्ट्र	191.89
22.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली	180.96
23.	होंडा कार्स इण्डिया लिमिटेड, अलवर	170.00
24.	श्री मेघराज नरेन्द्र साकरियां जैन चेरीटेबल ट्रस्ट, चैन्नई	164.90
25.	श्री सांवलिया मन्दिर मण्डल मण्डफिया, चित्तौड़गढ़	161.75
26.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जयपुर	154.60
27.	सुमेरमल पटावरी ट्रस्ट, नई दिल्ली	125.00
28.	जागृति श्री जयकृष्ण जाजू, मैनेजिंग ट्रस्टी, जयपुर	112.23
29.	श्री चंपालाल सागरमल कोठारी, मुम्बई	100.00
30.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, उदयपुर	91.33
31.	समस्त सिवरी समाज दोरनड़ी, पाली	88.75
32.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली	70.00
33.	जे.के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	68.50
34.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर	60.00
35.	श्री राम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड पथरेडी, अलवर	58.67
36.	लिट्रेसी इंडिया केप्टन, पाल्म विहार, गुरुग्राम	53.00
37.	एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड, जोधपुर	52.94
38.	Siegwerk india Pvt. Ltd., Alwar	52.90
39.	श्री केवल कुमार, पुने	51.90
40.	कजारिया सिरेमिक लिमिटेड, गैलपुर, अलवर	51.23
41.	राउण्ड टेबल इंडिया (जे.एच.आर.टी. 185)	50.70
42.	एस.आर.एफ. लिमिटेड, अलवर	50.55
43.	श्री श्याम सेवा कुंज ट्रस्ट, मुम्बई	50.50
44.	युनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, भिवाड़ी (अलवर)	50.16
45.	बनवारी लाल सोनी (आसट), हैदराबाद	50.00
46.	माताश्री गोमती देवी जन सेवा निधि (लूपिन), अलवर	42.97
47.	श्री सीमेन्ट लिमिटेड, रास (पाली)	42.86
48.	श्री पी. प्यारेलाल पितलिया,चैन्नई	41.98
49.	मोजेक इंडिया प्रा.लि. गुड़गाँव	38.00
50.	डी.आर. रांका चेरिटेबल ट्रस्ट, बैगलुरू (कर्नाटक)	37.33
51.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जोधपुर	35.75
52.	वीरायतन संस्था श्री मोती चन्द डागा अध्यक्ष, जयपुर	35.49
53.	लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, भरतपुर	35.18
54.	अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, जोधपुर एवं मुम्बई (इकाई)	34.92
55.	श्री ताराचन्द खेतान, मोंरग (नेपाल)	34.20
56.	लार्सन एंड ट्यूबरो लिमिटेड, जयपुर	33.54
57.	श्री हरिराम सुथार, जोधपुर	33.00
58.	अल्ट्राटेक कम्यूनिटी वेलफेयर फाउण्डेशन, जयपुर	32.18
59.	वर्ल्ड विजन इंडिया, अलवर	31.72
60.	एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड, बीकानेर	30.07
61.	अश्वनी कुमार बगई ट्रस्ट, जयपुर	29.70
62.	श्री भागीरथ राम, चूरू	28.54
63.	जिलेट इण्डिया लिमिटेड, अलवर	28.11
64.	नागरिक विकास समिति, जयपुर	27.51
65.	रोटरी क्लब कोटा, कोटा	27.04
66.	श्री राहुल कपूर, जयपुर	26.60
67.	श्री गोकुल चन्द्र प्रजापती, मुम्बई	26.30
68.	श्री गणेशीलाल एजुकेशन फाउण्डेशन, अलवर	25.03

69.	युताका ऑटोपार्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर	25.00
70.	खेतड़ी ट्रस्ट इण्डिया, जयपुर	25.00
71.	सेन्ट गोबेन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर	24.84
72.	श्री प्रतापराय कोठारी चेरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई	24.81
73.	आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, अलवर	24.79
74.	वंडर सीमेंट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़	24.53
75.	राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेसिंग सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड अलवर	24.00
76.	श्री जुगल किशोर तोषनीवाल, कोलकाता	23.93
77.	श्रीमती सुमन मीणा पत्नी डॉ. हरसहाय मीणा, जयपुर	23.84
78.	जयपुर रॉयल्स राउण्ड टेबल-215, जयपुर	23.12
79.	उदयपुर लेकसिटी राउण्ड टेबल ट्रस्ट, उदयपुर	23.07
80.	जयपुर ज्वैल सिटी राउण्ड टेबल-191, जयपुर	22.05
81.	श्री साहिबराम सिहाग, फाजिल्का (पंजाब)	22.00
82.	श्री सीमेंट लिमिटेड, अलवर	21.88
83.	सीतादेवी तोषनीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, कोलकाता	21.63
84.	अजमेर राउण्ड टेबल-291 चेरिटेबल ट्रस्ट, अजमेर	21.50
85.	श्री चम्पालाल धोका, पाली	20.83
86.	श्री राज राजेन्द्र बसन्ती देवी, पाली	20.48
87.	श्रीमती दीपिका कँवर, जयपुर	20.28
88.	ए.बी.सी.आई. इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि., नई दिल्ली	20.25
89.	जोधपुर राउण्ड टेबल, जोधपुर	20.19
90.	श्री मनोज कुमार अग्रवाल, नागौर	19.86
91.	अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि., चित्तौड़गढ़	19.75
92.	श्री प्रमोद कुमार रूंगटा, हैदराबाद	18.85
93.	अक्ष ऑप्टिफाईबर लिमिटेड, सीकर	18.44
94.	श्रीमती पूरीबाई पूनमाजी चेरिटेबल ट्रस्ट, सिरोही	18.26
95.	गोविन्द राम मैमोरियल एज्युकेशनल सोसायटी, कोटा	18.07
96.	श्रीमती शशि चन्द्रशेखर सारड़ा, कोलकाता	18.00
97.	श्री उमाशंकर, हनुमानगढ़	17.95
98.	श्री अर्जुनसिंह दूत, झुंझुनूं	17.83
99.	श्री नारायण दास गुरनानी, जयपुर	17.38
100.	मोहनलाल गुप्ता चेरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई	17.10
101.	श्री मदन गोपाल माहेश्वरी (तोषनीवाल), कोलकाता	17.09
102.	स्वधर्म फाउण्डेशन, जयपुर	17.00
103.	श्री अनोपसिंह लखावत, पाली	16.90
104.	जयपुर जूल सिटी लेडीज सर्कल 117, जयपुर	16.66
105.	कोटा राउण्ड टेबल-281, कोटा	16.55
106.	श्री सुभाष सरावगी बड़जात्या, कोलकाता	16.22
107.	कम्पयूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जयपुर	16.07
108.	श्री मनोज कुमार मीणा, झुंझुनूं	15.92
109.	अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, जयपुर	15.83
110.	श्री संतोष कुमार जैन, कोलकाता	15.75
111.	जोधपुर ब्लूस राउण्ड टेबल-326, जोधपुर	15.69
112.	जयपुर टाइगर्स राउण्ड टेबल-292, जयपुर	15.60
113.	कर्नावट परिवार (मनमोहन, रजनीश, राजेश), पाली	15.50
114.	श्री नेमीचंद चौपड़ा, पाली	15.20
115.	उदयपुर यूनाईटेड राउण्ड टेबल-234, उदयपुर	15.18
116.	कोटा यूनाईटेड राउण्ड टेबल-306, कोटा	15.16
117.	उदयपुर राउण्ड टेबल-253, उदयपुर	15.11
118.	श्री मूलचंद कारगवाल, सीकर	15.11
119.	श्री राम कुमार केडिया, कोलकाता	15.10
120.	श्री चिरंजी लाल, झुंझुनूं	15.08
121.	श्रीमती धनेश्वरी तोषनीवाल, कोलकाता	15.02

प्रेरक

1 श्री दामोदर प्रसाद झंवर, बीकानेर
2. श्री सुरेश कुमार ओला, जयपुर
3. श्री राधेश्याम यादव, अलवर
4. श्री सुदर्शन सिंह शेखावत, उत्तरप्रदेश
5. श्री जगमाल गुर्जर, अजमेर
6. श्रीमती कुसुम शेखावत, चूरू
7. श्री सत्यनारायण शर्मा, चित्तौड़गढ़
8. श्री लीलाधर त्रिवेदी, पाली
9. श्री विद्याधर शर्मा, बीकानेर
10. श्री डालसिंह शेखावत, सीकर
11. श्री लालूराम मीना, जयपुर
12. श्री प्रदीप मीणा, राजसमंद
13. श्री उम्मेदसिंह, पाली
14. श्री विजय कुमार यादव,अलवर
15. श्री राजेश कुमार लवानिया, अलवर
16. श्री दिनेश चंद पारीक, अजमेर
17. श्री जगदीश नारायण मीणा, जयपुर
18. श्री हनुमान सहाय यादव, जयपुर
19. श्रीमती संगीता गौड़, अलवर
20. श्री अशोक कुमार आहूजा, अलवर
21. श्री श्रवण कुमार राजपुरोहित, पाली
22. श्री सुवालाल जाट, सीकर
23. मो. आसिफ जैदी, अलवर
24. श्रीमती नयन कंवर शेखावत, सीकर
25. श्री विवेक जाँगिड़, सीकर
26. डॉ. कविता गर्ग, जयपुर
27. श्री राजेश कुमार मीणा, जयपुर
28. श्री सोहन लाल मीणा, जयपुर
29. श्रीमती पुष्पा मीणा, अलवर
30. श्री नन्दलाल सिंह जोधा, पाली
31. डॉ. ब्रज राज शर्मा, पाली
32. श्री शिवचरण लाल मीना, जयपुर
33. श्रीमती शर्मिला मीणा, जयपुर
34. श्री राजेन्द्र कुमार, पाली
35. श्री राजेन्द्र सिंह कुम्पावत, जोधपुर
36. श्री चन्द्र शेखर शर्मा, अजमेर
37. श्रीमती माया सैनी, अजमेर
38. श्रीमती अंजु आदरा, पाली
39. श्री हरिओम मीणा, जयपुर
40. श्री महेन्द्र सिंह, झुंझुनूं
41. श्री ओमप्रकाश बेन्दा, जोधपुर
42. श्री गुलाम हैदर, झुंझुनूं
43. श्रीमती मीनू चतुर्वेदी, अजमेर
44. श्री अशोक कुमार सुरेला, जयपुर
45. श्री संजय मीणा, कोटा
46. श्री महताब सिंह, अलवर
47. डॉ. रामगोपाल जाट, नागौर
48. श्री सुरेन्द्र सिंह कविया, सीकर
49. श्री शिवराम मीना, अलवर
50. श्रीमती किरण चौधरी, नागौर
51. श्री अशोक कुमार जाँगिड़, जयपुर
52. श्री गजेन्द्र दवे, पाली

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर (राज.)

मैं नारी हूँ

❒ अंशु यादव

सृष्टि के सृजनकर्त्ता ईश्वर है, ईश्वर के पश्चात् नारी और पृथ्वी द्वारा भी नवसृजन किया जाता है, यह नारी जो सृजनकर्त्ता हैं। अपने ही अस्तित्व के लिए सदैव संघर्ष करती रही है। नारी जो प्रकृति के समान मूक, सहनशील व गंभीर है। जिसे हमारी संस्कृति में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इसी पूजा का एक स्वरूप है। फिर भी यह प्रकृति स्वरूपा देवी स्वयं को बचाने के लिए निरन्तर संघर्ष किए जा रही है।

नारी सशक्तिकरण हो रहा है, नारी आगे बढ़ रही है। ये शोर चारों तरफ गुंजायमान होता है पर क्या ये धरातल पर सभी के लिए है। अगर हम ध्यान दे तो कुछ अद्भुत करने वाली महिलाएँ तो हर काल में रही हैं। सीता से लेकर द्रोपदी, रजिया सुल्तान से लेकर रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर इंदिरा गाँधी, किरण बेदी से लेकर सायना नेहवाल। परन्तु महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आया और आम महिलाओं ने इस परिवर्तन को किस तरह से देखा?

दरअसल, असल परिवर्तन तो आना चाहिए आम लोगों के जीवन में, जरूरत है उनकी सोच में परिवर्तन लाने की। उन्हें बदलने की। आम महिलाओं के जीवन में परिवर्तन। यही तो है असली empowerment. महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं जरूरत है बंद दरवाजे को खोलने की। रोशनी को अंदर आने देने की। प्रकाश में अपना प्रतिबिम्ब देखने की। उसे सुधारने की, निहारने की, निखारने की।

एक महिला का आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है, परिवार के लिए ही नहीं वरन् अपने लिए भी। पैसे से खुशियाँ नहीं आती, पर बहुत कुछ आता है जो साथ खुशियाँ लाता है और नारी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षा और कौशल युक्त व्यावहारिक ज्ञान।

शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है, बिना शिक्षा के मनुष्य को पशु की श्रेणी में रखा जाता है शिक्षा की जब बात आती है, तो आज भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएँगे

जिससे शिक्षा में असमानता मिल जाएँगी। प्राचीन काल में नारी शिक्षा का विशेष प्रबंध था। प्राचीन समय में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदूषी महिलाएँ रही हैं जो हमारे इतिहास में सितारे की तरफ प्रकाशमान हैं परन्तु समय के साथ नारी के सामाजिक स्तर में परिवर्तन हुआ। नारी को शिक्षा से दूर रखा जाने लगा और यही एक बड़ा कारण रहा कि वह अंधविश्वास और रीति रिवाजों के दायरों के मकड़जाल में फंसती चली गई। शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक प्रत्येक स्तर पर उसकी सहभागिता कम होती गई। फिर आवश्यकता हुई इस जाल को काटने की, प्रयास शुरू हुए जो आज भी जारी हैं।

नारी शिक्षित हो इसका हमारे देश में अत्यन्त महत्त्व है। आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव खान-पान से लेकर शिक्षा तक सभी स्तरों पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लड़कियों की स्थिति सोचनीय हो जाती है। ग्रामीण परिवेश में लोग शिक्षा के महत्त्व से परिचित नहीं हो पाते हैं। उनकी दृष्टि में पुरुषों को शिक्षा की जरूरत होती है क्योंकि पुरुष ही कमाने व नौकरी करने के लिए बाहर जाता है।

परिवर्तन संसार का नियम है और वर्तमान में परिवर्तन का दौर जारी है इस परिवर्तन के दौर की हमारी प्राथमिकता है कि नारी को शिक्षित किया जाए। क्योंकि एक शिक्षित नारी शिक्षित समाज का निर्माण करेगी। एक शिक्षित नारी अपने परिवार को शिक्षित और सभ्य बनाती है और शिक्षित और सभ्य परिवारों में ही शिक्षित और सभ्य समाज का निर्माण होता है। शिक्षा से नारी की आर्थिक संसाधनों में सहभागिता बढ़ेगी और आर्थिक सहभागिता से निश्चित रूप से उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहभागिता में भी परिवर्तन आएगा। जिससे वह देश व समाज को खुशहाल बनाएगी।

आज इस तेजी से बदलते समय में पुरुषों के बराबर स्त्रियों की भी शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। लोगों में जागरूकता फैलाने का काम स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। आम चुनावों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। इन सब से आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने रूझान पढ़ाई की ओर कर दिया है। आज की लड़कियाँ घर और बाहर दोनों को संभाल रही हैं। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही है। जैसे-

1. कक्षा 1 से 8 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
2. कक्षा 1 से 8 मध्याह्न भोजन
3. अन्नपूर्णा दूध योजना
4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण
5. आपकी बेटी योजना
6. पन्नाधाय योजना
7. निःशुल्क साईकिल वितरण
8. मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ
9. गार्गी पुरस्कार (सीनीयर/जुनियर)
10. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना
11. सुकन्या समृद्धि योजना
12. लाड़ली लक्ष्मी योजना
13. धनलक्ष्मी योजना
14. मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना
15. राजश्री योजना
16. राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना-सबला
17. विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा योजना
18. किशोरी शक्ति योजना
19. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
20. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

ये कुछ ऐसी योजनाएँ है जिनसे छात्राओं का शिक्षा की ओर रूझान बढ़ा है साथ ही समाज का भी स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान गया है हमारा संविधान भी लिंग के आधार पर शिक्षा मे भेदभाव का विरोध करता है महिलाओं के लिए नौकरियों में एवं पंचायतीराज संस्थाओं में दिया गया आरक्षण उन्हें मजबूत बना रहा है। नारी शिक्षा के साथ-साथ कौशल युक्त व्यावहारिक ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है जिससे वह प्रत्येक क्षेत्र में (जैसे-चिकित्सा, कृषि, इन्जिनियरिंग, फैशन) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

शिक्षित नारी प्रत्येक स्तर पर समाज को संवारती है शिक्षा का लाभ पूरे परिवार को मिलता है। यदि एक महिला शिक्षित होती है तो वह पूरे घर को शिक्षित कर सुधार कर सकती हैं और आज यह शिक्षा के कारण परिवार की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। सामाजिक स्थिरता से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजने के लिए महिलाओं की शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिससे समुदाय और समाज अधिक समृद्ध हो जाते है। महिला शिक्षा के परिणामस्वरूप माता और शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ जीवन रक्षा दर में वृद्धि और सामुदायिक उत्पादकता में वृद्धि हो रही हैं। शिक्षित महिला आर्थिक चुनौतियों का सामना जैसे कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, भोजन आत्मनिर्भरता, पर्यावरण गिरावट के खिलाफ लड़ाई और पानी और ऊर्जा का संरक्षण करने में सक्षम होती है। जिससे देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है।

भारतीय महिलाएँ मंद गति से ही सही, परंतु अपनी वास्तविक योग्यताएँ एवं सामर्थ्य को पहचान रही है वे अपनी बेड़ियाँ तोड़कर देश तथा विदेश मे अलग-अलग क्षेत्रों में अपना वर्चस्व जमा रही हैं। पर इन सब के बावजूद भी नारी समाज की यातनाओं से आज भी कराह रही है आज भी हमारे चारों ओर नारी प्रताड़ना की अनेक घटनाएँ होती है और जब तक यह सब होगा तब तक आवश्यकता होगी इस अत्याचार के दरिया में निरन्तर संघर्ष करते हुए बहने की, जो मैं कर भी रही हूँ क्योंकि मैं नारी हूँ।

रा.आ.उ.मा.वि. बावद सकतपुरा
मुण्डावर (अलवर)
मो. 9414877996

अभिभावकों के भी हैं दायित्व

❐ ओम प्रकाश सारस्वत

शिक्षा, संस्कार एवं व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के जीवन्त घटकों में प्रमुख तीन घटक विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक हैं। भौतिक घटकों में प्रमुख विद्यालय है जबकि सरकार, विभाग, समाज एवं अन्य विविध संस्थाएँ परोक्ष में प्रभाव डालने वाले घटक हैं। इनमें भी शासन व्यवस्था बहुत महत्त्वपूर्ण घटक है लेकिन वह विद्यालय की तरह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाली नहीं होने के कारण जनमानस में विद्यालय की तरह व्याप्त नहीं रहती।

शिक्षा का उद्देश्य महज अंक-अक्षर का ज्ञान प्रदान करते हुए उपाधि/प्रमाण-पत्र दिला देना भर नहीं है। शिक्षा का अन्ततोगत्वा उद्देश्य तो अंक-अक्षर ज्ञान के साथ बालक के चरित्र में नैतिकता एवं उत्तम संस्कारों का बीजारोपण करते हुए उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है।

परम्परावादी माता-पिता विद्यालयों में खेलकूद, संगीत, नृत्य आदि गतिविधियों को फालतू करार देते हुए क्लास रूम में कराई जाने वाली पढ़ाई को ही शिक्षा मानते हैं। यही कारण है कि बहुत से अभिभावक स्कूलों में आयोजित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपने बच्चों को भेजते तक नहीं है। यद्यपि पहले की तुलना में अब स्थिति में सुधार हो रहा है। विद्यालय द्वारा आयोजित पिकनिक में अपने बच्चे को नहीं भेजने वाली एक माँ ने इसका कारण यह बताया कि वहाँ बच्चे आपस में लड़ाई-झगड़ा कर लेंगे जबकि शिक्षा दर्शन कहता है कि पिकनिक एवं दर्शनीय स्थानों पर बच्चों को ले जाने जैसी गतिविधियों से उनमें समूह जीवन, प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है और वे एक दूसरे को सम्मान देना व सहयोग करना सीखते हैं। यदि विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा से नवाजा जाता है तो फिर उसमें त्यौहारों की भाँति विविध गतिविधियों तथा आउटिंग के लिए पिकनिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के भ्रमण जैसे आयोजन होने आवश्यक है। इनसे बच्चे परस्पर सम्मान, अन्तःनिर्भरता जैसी स्थितियों का अहसास करते है जो सफल नागरिकता के लिए अपेक्षित है। माता-पिता को न केवल ऐसे आयोजनों के प्रति वांछित सकारात्मक रुख अपनाते हुए उनकी सफलता के लिए भागीदार बनना चाहिए बल्कि आवश्यकतानुसार सहयोग भी करना चाहिए।

सामान्यतः हमारे यहाँ माता-पिता बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। ऐसा मध्यम एवं अन्य आय वर्ग वाले अभिभावकों में ज्यादा है। अब यदि बच्चे में किसी प्रकार की कोई अप्रिय बात नजर आती है तो इसका दोषारोपण विद्यालय एवं शिक्षकों पर किया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि दिन के 24 घंटों में से 18-20 घंटे तो बच्चे अपने अभिभावकों के जिम्मे ही रहते हैं। बच्चे जिनकी वाणी, व्यवहार एवं उपनिषद् से सीखते व संस्कारित होते हैं, उनमें सर्वोपरि स्थान तो उनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी एवं अन्य अभिभावकों का होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अभिभावकीय उत्तरदायित्वों को समझना और तद्नुसार कार्यव्यवहार करना चाहिए। घर में अभिभावक बच्चों के लिए प्रयोगशाला की तरह होते हैं। वे जैसा करेंगे, बच्चे भी वैसा ही करेंगे। जिस घर में बड़े बीड़ी पीते हैं, यह मानकर चलिए कि बच्चे बीड़ी पीना सीख जाएंगे ही। एक बालक के दादा जर्दा चबाते थे। बालक उनकी सारी क्रिया को सावधानी से देखता। कुछ समय में वह ऐक्टिंग करने लगा। दाएँ हाथ से बाएँ हाथ में कुछ रखने का उपक्रम करता फिर बाएँ अंगूठे से दाईं हथेली रगड़ता। फिर चिमटी भरकर मुँह में रखने का उपक्रम करता हुआ जीभ से मुँह

फुलाता और अन्त में मुँह से थू बोलता हुआ थूक देता। इतना करने के बाद जोर से हँसता। यह है जर्दा खाने की ट्रेनिंग। अब यदि बड़ा होकर यह बच्चा जर्दा नहीं खाए तो उसे अपवाद ही समझना। नकल करना बच्चों की सहज फितरत होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर उनके पालनकर्त्ताओं को कार्य करने चाहिए।

इस निबंध के प्रारम्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थी, अध्यापक एवं अभिभावक शिक्षा प्रक्रिया के तीन प्रमुख घटक हैं। इनमें विद्यार्थी एवं अध्यापकों के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है जबकि अभिभावक प्रायः अछूते रहते हैं। एक उदाहरण शिक्षा का अधिकार कानून के सम्बन्ध में है। स्कूल आने योग्य बच्चों की तलाश कर उन्हें स्कूल लाने तथा न्यूनतम अधिगम स्तर (MLL) तक की पढ़ाई कराने के लिए स्थानीय शाला प्रशासन एवं गुरुजन को जिम्मेदार बना दिया है। शिक्षक घर-घर सम्पर्क करने समझाते हैं और अभिभावक कई तरह की परिस्थितियों का बयान करते हुए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। प्रवेशोत्सव के समय नामांकन के लिए घर-घर दस्तक देते शिक्षकों को देखकर अभिभावक सोचते हैं कि यह गुरुजन की गरज है। इस कार्य में केवल शिक्षकों को ही नहीं बल्कि माता-पिताओं को भी उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

बच्चों की समुचित परवरिश करना उनके जन्मदाता माता-पिता का नैतिक कर्त्तव्य है। इस नैतिक कर्त्तव्य को समाज व शासन स्तर पर अनिवार्य उत्तरदायित्व करार कर देना चाहिए। ऐसे में सामाजिक व शासकीय भय से लोग अपने परिवार को उतनी संख्या तक ही सीमित रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे जितनों की उचित परवरिश वे कर सकते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार की सख्ती से उतना कामयाब नहीं हुआ जितना लोगों की अपनी समझ से। बच्चों की परवरिश में इनका पढ़ाना-लिखाना प्रमुख रूप से शामिल है। जन्मदाता होने के नाते यह उनका नैतिक कर्त्तव्य है।

घर और विद्यालय के बीच में योजक कड़ी का काम करते हैं अभिभावक। बच्चा सही समय पर स्कूल पहुँच जाए, छुट्‌टी होने के बाद सही समय पर वापिस घर पहुँच जाए, इतना प्रबोधन तो माँ-बाप करते ही हैं। विद्यालय में दिए गए गृह कार्य को किया अथवा नहीं... उसकी उत्तर पुस्तिकाओं में शिक्षकों द्वारा क्या टिप्पणियाँ की गई है.. कोई आपत्तिजनक सामग्री तो उसके स्कूल बैग में नहीं है... सामयिक परखों में उसकी पोजीशन क्या है, उसे जानते रहना चाहिए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं- भोले और नादान। अपनी स्वयं की प्रेरणा से पढ़ने-लिखने का काम कम ही बच्चे करते हैं। प्रायः तो घर आकर बेग को एक तरह से फेंककर खेलकूद, मौजमस्ती में मशगूल हो जाते हैं। बच्चों का घर पर भी पढ़ने-लिखने का शेड्यूल हो तथा वे तद्नुसार पढ़े-लिखे यह सुनिश्चित करना अभिभावकों का काम है। इसमें माँ का रोल अधिक रहता है। यह नहीं है कि हम बच्चों को निरा कूप मंडूक ही बना दें, उन्हें घर के बाहर की दुनिया दिखाने का काम भी निसंदेह अभिभावकों को करना होता है। समय-समय पर दर्शनीय स्थानों के भ्रमण का कार्यक्रम बनाएँ। उस दौरान बच्चों को अवलोकन करते हुए नोट्स लेने के लिए पेन कापी (डायरी) साथ में रखने के लिए कहें। सहयात्रियों के साथ उचित व्यवहार करने तथा ट्रेन, बस यात्रा के अपेक्षित अनुशासन की पालना करने पर बारीक नजर अभिभावकों को रखनी चाहिए खाने-पीने के मामले में बच्चों की फरमाइश हर माँ-बाप पूरी करना चाहते हैं। यह बच्चों का अपना अधिकार और माता-पिता का कर्त्तव्य है लेकिन ऐसा करते समय यह ध्यान रखें कि कोई स्वास्थ्य विरोधी वस्तु खाने को न दी जावे। बच्चों के साथ बच्चा बनकर जीने वाले अभिभावकों का जीवन आनन्द से भरपूर होता है। दो वर्ष तक बालक अबोध होता है। छः वर्ष का होने पर किंचित समझदारी का ठप्पा उस पर लग जाता है। अतः तीन से पाँच-छः वर्ष की आयु का बच्चा आनन्द का भण्डार होता है। उसके साथ खेलिए। नाचिए।

बच्चों के साथ डील करना बड़ा सोच समझ का कार्य है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के साथ अधिक सख्त व्यवहार नहीं करें। नकल करना तथा जो मना (No) कर दिया जाता है, इसे करना इनका सहज स्वभाव होता है। अतः अभिभावकों को भी इसमें सहज रहना चाहिए। सख्ती करने से तो बच्चे जिद्दी हो जाएँगे। ज्यों-ज्यों वे बड़े होंगे, त्यों-त्यों अपने भले-बुरे को समझने लगेंगे और आपकी समस्या स्वतः ही सुलझ जाएगी। बच्चों को काल्पनिक कहानियों, दृष्टान्तों से उनके भले-बुरे का ज्ञान करवाना चाहिए। बच्चों की उनकी स्वयं की क्रियाओं तथा अन्य जन की क्रियाओं पर उनकी प्रतिक्रियाओं पर नजर अवश्य रखनी चाहिए। प्रयास यह रहना चाहिए कि बच्चे की संगत अच्छी रहे तथा उसके नैतिक पक्ष का उत्थान हो। 'मनुष्य अपने वातावरण की उपज है' कथन खरा है। अतः बच्चों को उत्तम मूल्यपरक वातावरण दिया जाना चाहिए।

गुड पैरेन्टिंग का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आप अपने बच्चों को समय दें। घर के सभी सदस्य कम से कम डिनर तो साथ बैठकर लें ही। इस दौरान एक-दूसरे के स्वभाव एवं रुचियों का अंदाज लग जाता है। बच्चों को अपनी बात खुलकर कहने दो। उनके साथ टीवी. देखिये। इस दौरान उनके हावभाव परखिए। आपको उनके अन्तर्भावों का अंदाज लग जाएगा। टीवी चैनलों पर न्यूज एवं डिबेट सामान्य ज्ञान बढ़ाकर उनकी तर्कशक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। बशर्ते सावधानी के साथ उन्हें देखा-दिखाया जाए। टीवी पर बच्चों के स्वास्थ्य, मानसिकता, चरित्र पर विपरीत प्रभाव डालने वाले धारावाहिकों से उन्हें बचाकर रखा जाना चाहिए और यह काम अभिभावक ही कर सकते हैं।

अच्छी अभिभावकता (Good Parenting) से ही अच्छी संतति मिल सकती है। रूस के महान शिक्षाविद् अन्तोन माकारेंको ने इस विषय पर गहन अध्ययन, चिन्तन, मनन करके एक ग्रंथ 'एक पुस्तक माता-पिता के लिए' लिखी। ऐसा और भी साहित्य उपलब्ध है। माता-पिता एवं अन्य अभिभावकों को उनका अध्ययन करना चाहिए। गुरुजनों की इस कार्य में और भी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। गुरुजनों के साथ वे अभिभावक भी हैं। बाल मनोविज्ञान ही नहीं बल्कि अभिभावक मनोविज्ञान के भी वे ज्ञाता हैं। अभिभावकों के साथ सम्पर्क एवं बैठकों में इस महत्त्वपूर्ण विषय पर अभिभावकों के साथ चर्चा उन्हें करनी चाहिए। इति शुभम्।

संयुक्त निदेशक (से.नि.)
ए-विनायक लोक, बाबा रामदेवजी रोड,
गंगाशहर (बीकानेर)
मो: 9414060038

- प्रेरणा -

सहायक सामग्री

❒ पवन के भूत

यदि हम अपने व्यवसाय को पेशेवर रूप में करना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहने का जुनून रखते हैं तो हम सहायक सामग्री (Helping Aids) को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन सहायक सामग्रियों में स्लिप-पेड से लेकर नोट-पेड तक, चॉक से लेकर स्मार्ट बोर्ड तक, अधिकारी से लेकर कस्टमर तक सूचना संप्रेषण तकनीक व कुछ नवीन आवश्यक एप्स से लेकर वेबसाइट्स तक-सभी से दोस्ती करनी होगी। यही वो तत्व है जो हमें अद्यतन (Update) रखते हैं और अपना कार्य बेहतर तरीके से करने हेतु सक्षम बनाते हैं।

KYC अर्थात Know Your Child यह हमारे व्यवसाय (शिक्षण व शिक्षा जगत) की महत्ती आवश्यकता है। सभी जानते हैं कि बच्चा अपने स्तर व गति से सीखता है। कक्षा के सभी बच्चों को उनके स्वयं के स्तर व गति से पढ़ाना, सिखाना व आगे बढ़ाना यह पहाड़-सा एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। इस कार्य को बिना सहायक सामग्री के कर पाना असंभव है और इसीलिए हमारे शिक्षक साथी समय-समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर शिक्षण सामग्रियाँ (TLMs) बनाते भी हैं लेकिन सीमित संसाधन व बजट का अभाव इसमें होता रहा है।

इस बार पी.ई.ई.ओ. क्षेत्र के शिक्षकों को व्यसायिक संबलन (TLM) हेतु प्रति पी.ई.ई.ओ. कुछ राशि दी गई है। हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्या ने इस राशि का निर्देशानुसार सार्थक उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की तो एक योजना सामने आई जिसके अनुसार पी.ई.ई.ओ. क्षेत्र के सभी विद्यालयों से एक-एक शिक्षक बुलाकर (ताकि कोई विद्यालय बंद न रहे) एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसमें शिक्षक अपने-अपने विद्यालय की आवश्यकतानुसार एक या दो शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करे जो कार्यशाला के पश्चात् उसी को इश्यू कर दी जाए। इनका प्रदर्शन अन्य विद्यालयों में भी किया जाए-यह भी प्रस्ताव आया।

रा.उ.मा.वि. रानीगाँव में उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 8 विद्यालयों के 12 शिक्षकों ने भाग लिया और अलग-अलग विषयों से संबंधित टी.एल.एम. का निर्माण किया। संभागी निर्मला प्रेमजानी ने सूर्य ग्रहण/चन्द्र ग्रहण का वर्किंग मॉडल बनाया व एक पैरिस्कोप भी तैयार किया। रीना डूडी ने समान्तर रेखाओं की गणित मॉडल द्वारा समझाई। मीनाक्षी वर्मा ने 'जल-चक्र' का निर्माण किया। बाबूलाल जयपाल ने तरह-तरह के घर बनाकर दिखाए। अध्यापिका नेहा कंवर ने गणित की मूल संक्रियाएँ खेल-खेल के माध्यम से रोलिंग चक्रों के माध्यम से समझाने का बेहतरीन कार्य किया। गुलनाज ने सौर परिवार का सुन्दर मॉडल बनाया। विद्यालय के प्राथमिक विंग से आई अध्यापिका संतोष जोशी ने अंग्रेजी में होमोफोन्स पर क्रियात्मक मॉडल बनाकर प्रदर्शित किया। विद्यालय के अन्य शिक्षकों नीरज, पिंकी, सुरेश राज, जालम सिंह आदि ने इनका पूरा सहयोग किया। मुझे कार्यशाला के आयोजन, अध्यापकों को मार्गदर्शन करने का जिम्मा सौंपा गया था। जिसमें सभी संभागियों व विद्यालय के स्टाफ ने अपना पूर्ण सहयोग देकर इसे सफल करवाया, संस्थाप्रधान व पी.ई.ई.ओ. ने इस कार्यशाला को छात्रोपयोगी व शिक्षकों का क्षमता संवर्धन के लिए उपयोगी करार दिया।

मैंने अपने 21 वर्ष के शिक्षण कॅरियर में पढ़ा, देखा तथा अनुभव किया कि-
मैंने सुना - भूल गया। मैंने देखा -याद रहा।
मैंने किया - समझ में आया।
मैंने प्रदर्शन किया - आनन्द आ गया।

नोट- छात्र/छात्राओं से सहायक सामग्रियों द्वारा अधिकाधिक अभ्यास कार्य करवाया जाए तथा फिर उसे पूरी कक्षा/छोटे समूह में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाए तभी उसका आत्मविश्वास बढेगा और उसे आनन्द की अनुभूति होगी।

व्याख्याता (भूगोल)
रा.उ.मा.वि. रानीगाँव (बाड़मेर)
मो. 9982157002

सब से बेहतर सरकारी स्कूल

❒ प्रदीप कुमार कौशिक

सब से अच्छे, सब से सुन्दर,
सब से बेहतर सरकारी स्कूल
जो व्यावहारिक वह ज्ञान यहाँ
फिर सेवार्थ प्रस्थान यहाँ,
समता, शुचिता और सच्चापन,
खुल कर हँसता-गाता बचपन,
यहाँ बाल सभा की हँसी-ठिठोली,
सब दुख करती दूर
चलो चलें सरकारी स्कूल,
चलो चलें सरकारी स्कूल,
सब से अच्छे .....
उपलब्ध यहाँ सब साधन हैं
प्रायोगिक के संसाधन हैं
है प्रतिभा की पहिचान यहाँ,
और छात्रवृति, सम्मान यहाँ
गुणी गुरुजन के पोषण से खिल
कांटे भी बनते फूल
चलो चलें सरकारी स्कूल,
चलो चलें सरकारी स्कूल
सब से अच्छे .....
परमेश्वर से आगाज यहाँ
बनती प्रकृति खुद साज यहाँ,
हैं ध्यान, मौन और योगासन,
सुर लहरी हरती सब का मन,
प्रेरक प्रसंग से हट जाती,
मन के दर्पण की धूल
चलो चलें सरकारी स्कूल
चलो चलें सरकारी स्कूल
सब से अच्छे .....
यहाँ योग्य- प्रशिक्षित शिक्षक हैं
संस्कारों के संवाहक हैं
लड़के-लड़की का भेद नहीं,
अभिभावक और निर्देशक हैं
हम मंज़िल निज चुनना सीखें
देखें न पथ प्रतिकूल
चलो चलें सरकारी स्कूल
चलो चलें सरकारी स्कूल
सब से अच्छे.....

व्याख्याता
रा.उ.मा. विद्यालय, श्री डूँगरगढ़, बीकानेर
मो. : 9461976500

आदेश-परिपत्र : अगस्त, 2019

● **1.** शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से बाल वाहिनी योजना। ● **2.** विदेश यात्रा अनुमति हेतु आवेदन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ● **3.** आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में। ● **4.** राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को अर्थात् पाँच जातियों यथा- 1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया लोहार, गोडोलिया, 3. गुर्जर, गुजर, 4. राईका, रैबारी, देबासी, 5. गडरिया (गाडरी), गायरों को शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में। ● **5.** राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर 'महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना के सम्बन्ध में। ● **6.** प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ● **7.** विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on computer Concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण के संबंध में। ● **8.** विभिन्न छात्रवृत्तियों के समयबद्ध आवेदन एवं वितरण हेतु कलेण्डर। ● **9.** राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना के संबंध में। ● **10.** बजट माँग एवं व्यय के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश वर्ष 2019-20 ● **11.** ड्रॉप आउट फ्री उजियारी पंचायत 2019-20 की तिथियों के सम्बन्ध में। ● **12.** समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री ''उजियारी पंचायत'' किए जाने के सन्दर्भ में मानदण्ड। ● **13.** शिक्षक दिवस 05 सितम्बर, 2019 के अवसर पर झण्डियों का वितरण कर धन संग्रह बाबत।

1. शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से बाल वाहिनी योजना।

● कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● परिपत्र ● प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर के कार्यालय आदेश संख्या 23/2017 की पालना में शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से बाल वाहिनी योजना के तहत समय-समय पर जारी आदेश एवं उसके संशोधनों को अतिष्ठित करते हुए निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैः-

1. बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत आने वाले वाहनों हेतु शर्ते :-

I. स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला होगा जिसके आगे व पीछे ''स्कूल बस'' लिखा होगा। अनुबन्धित बस पर ''ऑन स्कूल ड्यूटी'' लिखा होगा। वैन/कैब के पीछे व साइड में 150 एम.एम. चौड़ाई की सुनहरे पीले रंग की आडी पट्टी ''बाल वाहिनी'' स्पष्ट रूप से अंकित होगा। छात्र-छात्राओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त ऑटो रिक्सा में आगे व पीछे स्पष्ट अक्षरों में ''ऑन स्कूल ड्यूटी'' लिखा होगा।

II. बस/वैन/कैब/ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नम्बर अनिवार्य रुप से अंकित किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में अथवा चालक द्वारा लापरवाही करने की दशा में सूचित किया जा सके।

III. बस के अन्दर ड्राईवर का नाम, पता, लाइसेंस नम्बर, वेज नम्बर, वाहन स्वामी का नाम व मोबाईल नम्बर, चाइल्ड हेल्प लाईन, यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग हेल्प लाईन तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। ड्राईवर के बदलने पर उसका विवरण बदल दिया जाएगा।

IV. इस योजना के अन्तर्गत संचालित ऑटो/वैन/कैब/बस के वाहन चालक को इसी श्रेणी के वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव हो तथा उसके पास कम से कम 5 वर्ष पुराना वैध ड्राईविंग लाइसेंस हो।

V. ऑटो की बजाय बस/वैन/कैब जैसे सुरक्षित वाहनों का प्राथमिकता दी जावें।

VI. बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों की बैठक क्षमता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार निर्धारित क्षमता की डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, जो पंजीयन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है।

VII. ऑटो में बच्चों की सुरक्षा हेतु बायीं ओर (चढ़ने/उतरने वाले गेट पर) लोहे की जाली लगा कर बन्द किया जाएगा।

VIII. दुर्घटना और आपात की स्थिति में छात्रों के लिए शिक्षा संस्था की वैन/कैब/बस/ऑटो में अनिवार्य रूप से प्राथमिक सहायता (First Aid) बॉक्स तथा अग्निशामक यंत्र लगाया जावें।

IX. वाहन में पानी की बोतल व स्कूल बैग रखने के लिए रैक लगी होगी।

X. वैन/बस/कैब में चालक अनिवार्य रुप से नियमानुसार सीट बेल्ट लगा कर ही वाहन चलाएगा।

XI. ऑटो में ड्राईवर सीट पर बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा।

XII. वैन/बस/कैब में चालक के पास वाली सीट पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा।

XIII. बाल वाहिनी वाहन चालक/कन्डक्टर नियमानुसार खाकी वर्दी पहनेंगे।

XIV. ऑटो/बस/वैन/कैब में अनिवार्य रुप से जी.पी.एस. लगाया जाए जिसके लॉगिंग नम्बर व कोड स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करवाए जाएँगे जिससे स्कूल प्रशासन द्वारा उसकी मॉनीटरिंग की जाएगी।

XV. इस योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों का रख-रखाव सुचारू रूप से किया जाएगा। ऐसे वाहन मोटर वाहन नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतः अनुपालना करेंगे यथा फिटनेस, बीमा, ड्राईविंग लाइसेंस, प्रदुषण प्रमाण-पत्र, पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।

XVI. इस योजना के अन्तर्गत वाहन स्वामी को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उसका वाहन उस विद्यालय के छात्रों को स्कूल लाने-ले जाने के कार्य में अनुबन्धित हैं।

XVII. यदि वाहन चालक का लाल बत्ती का उल्लंघन करने, तेज गति व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात करने जैसे अपराध के लिए एक से अधिक चालान हुआ हो तो उसे हटाया जाएगा।

XVIII. बस में छात्रों को उतारने व चढ़ाने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा।

XIX. चालक व परिचालक को निर्धारित वर्दी पहन कर ही वाहन चलाना होगा।

XX. खिड़की शलाकाएं ऐसी रीति से लगायी जाएगी कि किसी दिए हुए बिन्दु पर उनकी दूरी उर्ध्वाधर दिशा में 200 मि.मि. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

XXI. दो वर्ष में कम से कम एक बार बाल वाहिनी चालकों की सड़क सुरक्षा एवं जीवन दायनी प्रक्रिया का प्रशिक्षण एवं एक बार मेडिकल चेकअप (नेत्र व स्वास्थ्य जाँच) करवाना आवश्यक होगा।

XXII. बाल वाहिनी वाहनों में डोर लॉक की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा करवाए जाएँगे।

XXIII. बाल वाहिनी वाहनों में परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक 6715 दिनांक : 31.03.2016 आदेश संख्या 10/2016 के अनुसार स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगवाया जाए एवं उसकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जावें।

XXIV. बाल वाहिनी चालक द्वारा विद्यालय द्वारा जारी ट्रेफिक प्लॉन/व्यवस्था के अनुरूप ही विद्यार्थियों को विद्यालय के अन्दर सुरक्षित चढ़ाने-उतारने की कार्यवाही की जाएगी।

XXV. बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों को इस प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने की स्थिति में अलग से कर देय नहीं होगा।

XXVI. इस योजना के अन्तर्गत संचालित वाहन किसी अन्य श्रेणी के अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ये वाहन किसी अन्य श्रेणी के अनुज्ञापत्र से कवर्ड है तो उसके लिए नियमानुसार कर देय होंगे।

XXVII. स्टेज केरिज व कान्ट्रेक्ट केरिज के रूप में संचालित ओमिनी बसों को छात्र वाहिनी के रूप में संचालन हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी से पृथक से ऑथोराइजेशन प्राप्त करना होगा। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर प्राधिकार द्वारा वाहन के पूर्व में जारी अनुज्ञापत्र में नियम 5.19 के उपनियम (4 क) के खण्ड (iii) से (ix) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तें जोड़ी जाएगी। उक्त ऑथोराइजेशन के अभाव में ओमनी बस का छात्र वाहिनी के रूप में संचालन बिना अनुज्ञापत्र माना जावेगा तथा उक्त वाहन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

XXVIII. परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक : 36467 दिनांक : 26.05.2017 कार्यालय आदेश 19/2017 द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं एवं सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर देय कर के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-

1. ऐसे वाहन जो कि शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत हैं व जिनकी बैठक क्षमता 10 सीट से अधिक है, वह राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 28(G) के तहत कर की देयता से मुक्त हैं।

2. वाहन जो कि शैक्षणिक अथवा संस्था के नाम से 08.03.2017 के पूर्व से पंजीकृत हैं तथा जिसकी क्षमता 10 सीट तक है, उन पर विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ. 6 (119) परि./कर/मु./95/22सी दिनांक : 14.07.2014 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर लागू कर के अनुसार एक मुश्त कर देय होगा। दिनांक : 08.03.2017 से पंजीकृत होने वाले ऐसे वाहनों पर नियमानुसार शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर देय एक मुश्त कर आरोपित किया जाएगा।

XXIX. नियमित रूप से या आंतरिक रूप से छात्रों को ले जा रही शैक्षणिक संस्था बस से भिन्न कोई ओमनी बस, चाहे शैक्षणिक संस्था से अनुबंधित हो या नहीं, के परमिट की वे ही अतिरिक्त शर्ते होगी जो किसी शैक्षणिक संस्था यान के परमिट के लिए नियम 5.19 के उपनियम (4 क) के खण्ड (iii) से (ix) के अधीन विनिर्दिष्ट हैं। छात्रों को ले जाते समय ''स्कूल/कॉलेज बस'' लिखित प्लेट ऐसी ओमनी बस के विंडो लाईन के नीचे सामने और पीछे की ओर मजबूती से लगायी जाएगी।

2. विद्यालय के कर्त्तव्य :-

I. शैक्षणिक संस्थान प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब्स के माध्यम से बाल वाहिनी योजना सख्ती से लागू कराई जाएगी। संस्थान प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब में एक वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता स्तर का यातायात संयोजक नियुक्त किया जाएगा। जिसके निर्देशन में क्लब द्वारा बाल वाहिनी नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। रोड सेफ्टी क्लब द्वारा जहाँ संभव हो वहाँ यातायात पुलिस के माध्यम से ट्रेफिक वार्डन्स/यातायात पुलिस की सहायता ली जावें।

II. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार करके बाल वाहिनी के वाहनों द्वारा छात्र-छात्राओं को संस्थान के निर्धारित परिसर से सुरक्षित चढ़ाने व उतारने का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। इस ट्रैफिक प्लान को विद्यालयों में सुगम्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

III. विद्यालय द्वारा विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को चढ़ाने उतारने के निर्धारित स्थान पर एवं विद्यालय के बाहर सड़क की ओर देखते हुए सीसीटीवी. कैमरा लगवाए जाएँगे।

IV. शैक्षणिक संस्थान द्वारा बाल वाहिनी वाहन चालक को विशेष फोटो युक्त परिचय पत्र सुनहरे पीले रंग के कार्ड पर नीले रंग से लिखा जाएगा जो वाहन चालक के अनुबंधित बाल वाहिनी वाहन चलाने तक ही वैध होगा। जो ड्राईवर द्वारा चालन के समय अपने पास रखा जाएगा और किसी पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के किसी अधिकारी, जो मोटर यान उपनिरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा तथा उक्त योजना से कवर्ड वाहन से मुक्त होने पर परिचय पत्र शैक्षणिक संस्थान में जमा करवाएगा। यह पहचान निम्न प्रारूप में जारी किया जाएगा।

बाल वाहिनी चालक पहचान पत्र	
फोटो जिसके ऊपर संस्थान की सील हो	पहचान पत्र आईडी क्रमांकः वाहन चालक का नामः जन्म तिथि : लाइसेंस क्रमांक एवं श्रेणीः लाइसेंस की वैधताः

पहचान पत्र के पीछे का विवरणः

पताः...

....

मोबाइल नम्बरः

ब्लड ग्रुप ः

जारी करने की तिथिः

V. शैक्षणिक संस्थान प्रशासन द्वारा बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत आने वाले वाहनों द्वारा छात्र-छात्राओं से किराया वसूल करने की दर निर्धारित की जाएगी।

VI. शैक्षणिक संस्थान द्वारा उनके यहाँ प्रयुक्त बाल वाहिनी वाहनों के चालकों को प्रति दो वर्ष में एक बार रिफ्रेशर ट्रैनिंग कोर्स कराने हेतु सूची स्थाई संयोजक समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

VII. शैक्षणिक संस्थान प्रशासन द्वारा बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत आने वाले वाहन चालकों का वर्ष में कम से कम एक बार नेत्र/ स्वास्थ्य जाँच संयोजक समिति के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

VIII. शैक्षणिक संस्थान द्वारा रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से निम्न रिकॉर्ड संधारित कराया जाएगा ः-

क्र. सं	वाहन का प्रकार एवं मॉडल	पंजीयन क्रमांक एवं बैठक क्षमता	वाहन स्वामी का नाम एवं मो. नं.	वाहन चालक का नाम, पता एवं मो. नं. एवं नियुक्ति तिथि	वाहन चालक का लाइसेंस नं. जारी दिनांक एवं वैधता	वाहन परिचायक का नाम, पता, मो. नं. एवं लाइसेंस नम्बर	रूट का विवरण	वाहन की शैक्षणिक संस्थान के साथ अनुबंध की तिथि	वाहन की फिटनेस की तिथि

- **वाहन वार रजिस्टर**

  बाल वाहिनी में लगे हुए प्रत्येक वाहन के पृथक से रजिस्टर संधारित किए जाएँगे जिसमें वाहन/चालक से संबंधित सूचना के अलावा उसमें लाने ले जाने वाले छात्रों की सूची मय विस्तृत विवरण होगी। रजिस्टर वाहन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

रजिस्टर का प्रारूप निम्नानुसार हैः-

शैक्षणिक संस्थान का नाम एवं दूरभाष नम्बरः-

वाहन पंजीयन क्रमांकः-

वाहन चालक का नाम, पता, मोबाइल नं. एवं उसे शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी आई डी क्रमांक/दिनांकः-

क्र. सं.	छात्र का नाम	कक्षा	अभिभावक का नाम एवं मो. नं.	पता	छात्र का ब्लड ग्रुप एवं मेडिकल हिस्ट्री यदि कोई हो तो	अन्य विवरण	फोटो

- **शिकायत पंजिकाः-** इस पंजिका में छात्र-छात्राओं/अभिभावकों द्वारा की गई शिकायतें दर्ज की जाएँगी। जिनका निस्तारण शैक्षणिक संस्था प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। पंजिका का प्रारूप निम्नानुसार हैः-

क्र. स.	शिकायत दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम (वैकल्पिक)	शिकायत का विवरण	निस्तारण का विवरण	निस्तारण की तिथि

IX. बच्चों, अभिभावकों तथा स्कूल में विद्यमान सेफ्टी क्लब द्वारा चालक के बारे में नियमित रूप से अनुक्रिया या सुझाव लिए जाएँ। बच्चों को शिक्षित किया जाएगा कि ड्राईवर या परिचालक से किसी प्रकार की शिकायत होने पर वे उसे टोके व स्कूल प्रशासन को आवश्यक रूप से शिकायत करें।

3. बाल वाहिनी योजना के सुचारू व सफल क्रियान्वयन के लिए संयोजक समिति का गठन, बैठकें, कार्य इत्यादि के सम्बन्ध में।

(अ) प्रत्येक जिले में बाल वाहिनी योजना के क्रियान्वयन हेतु एक स्थाई संयोजक समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगेः-

I.	पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नरेट में उपायुक्त, यातायात पुलिसः	अध्यक्ष
II.	जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट	सदस्य
III.	सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
IV.	जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग	सदस्य
V.	जिला यातायात प्रभारी, पुलिस	सदस्य
VI.	अधिशाषी अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
VII.	अधिशाषी अभियन्ता, संबंधित विकास प्राधिकरण	सदस्य
VIII.	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
IX.	बस/वैन/ऑटो/कैब ऑपरेटर यूनियन्स के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
X.	समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत विद्यालय के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
XI.	समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो अभिभावक	सदस्य
XII.	समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत स्वयंसेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	सदस्य
XIII.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य सचिव

(ब) उपर्युक्त संयोजक समिति सम्पूर्ण जिले में शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को लाने ले जाने के लिए लगाए गए समस्त वाहनों के सम्बन्ध में बाल वाहिनी योजना लागू करवाएगी तथा बाल वाहिनी से सम्बन्धित समस्त दिशा-निर्देशों की पालना कराएगी। संयोजक समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी जिसमें समिति के समस्त सदस्य भाग लेंगे। इस बैठक की रिपोर्ट जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित यातायात प्रबंधन समिति के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी। संयोजक

समिति द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगेः-

I. समिति द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि विद्यालय में छात्र-छात्राओं के आवागमन के लिए अनन्य रूप से बाल वाहिनी परमिट वाले वाहनों का ही प्रयोग हो।

II. समिति द्वारा बाल वाहिनी वाहनों के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (लीड एजेन्सी) परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः पालना कराई जाएगी।

III. समिति द्वारा जिले के सभी विद्यालयों के प्रमुखों के साथ प्रत्येक 6 माह में एक बार बैठक आयोजित कर बाल वाहिनी योजना की क्रियान्विति की समीक्षा की जाएगी।

IV. समिति द्वारा विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब्स को सक्रिय कराकर उनके माध्यम से बाल वाहिनी योजना की अनुपालना सुनिश्चित कराई जाएगी तथा क्लब्स द्वारा बाल वाहिनी योजना के सम्बन्ध में रखे जाने वाले रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी।

V. समिति की बैठक में प्रत्येक विद्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके यहाँ बाल वाहिनी योजना की पूर्ण पालना की जा रही हैं।

VI. समिति द्वारा विद्यालयों द्वारा तैयार किए गए ट्रैफिक प्लान की अनुपालना सुनिश्चित करायी जाएगी।

VII. समिति द्वारा सभी विद्यालयों के बाहर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमानुसार समस्त कार्य यथा स्पीड लिमिट निर्धारण, स्पीड लिमिट बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, आवश्यकतानुसार समस्त प्रकार के चेतावनी चिह्न, उचित स्थान पर जेब्रा क्रॉसिंग एवं इन सबके रख-रखाव की उचित व्यवस्था की जाएगी।

VIII. समिति द्वारा नियमित वार्षिक कलैण्डर तैयार करके नेत्र/स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाए जाएँगे जिनमें सभी बाल वाहिनी वाहन चालकों की वर्ष में कम से कम एक बार जाँच कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।

IX. प्रवर्तन एजेन्सीज यथा पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से अपने स्तर पर एवं संयुक्त अभियान के द्वारा बाल वाहिनी वाहनों की जाँच करायी जाएगी एवं की गई कार्यवाही त्रैमासिक रिपोर्ट समिति द्वारा संधारित की जाएगी।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ●क्रमांक-शिविरा-माध्य / मा-स / सड़क सुरक्षा / 22418 / 2015-19/273 ●दिनांक - 30.04.2019

2. विदेश यात्रा अनुमति हेतु आवेदन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● विदेश यात्रा अनुमति हेतु आवेदन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विदेश यात्रा की स्वीकृति हेतु प्रकरण निदेशालय को प्राप्त होते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि निदेशालय को प्रकरण कार्मिक द्वारा की जाने वाली विदेश यात्रा प्रारम्भ होने की तिथि से ठीक पूर्व या कई बार उस तिथि के उपरान्त प्राप्त होते हैं। कार्मिकों द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही यात्रा के टिकट बनवाने या यात्रा प्रारम्भ किए जाने की जानकारी दी जाती है। विभाग की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति देते हुए प्रस्तावित तिथियों में बदलाव या कमी की जा सकती है, जिससे उन्हें असुविधा होती है। अतः आकस्मिक अपरिहार्य स्थितियों के अलावा विदेश यात्रा आवेदन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

1. कार्मिक/संस्थाप्रधान विदेश यात्रा स्वीकृति हेतु प्रकरण सीधे निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित नहीं करेंगे। सक्षम अधिकारी प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण निदेशालय को कम से कम तीन सप्ताह पूर्व अनिवार्य रूप से अग्रेषित करेंगे।
2. विदेश यात्रा हेतु विभागाध्यक्ष की पूर्वानुमति आवश्यक है।
3. सक्षम स्वीकृति जारी किए जाने से पूर्व यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत मानकर उसे अंतिम रूप नहीं दिया जाए।
4. विदेश यात्रा कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जावें कि उनकी यात्रा से शिक्षण कार्य/पदीय दायित्वों में व्यवधान पैदा न हो। यथा संभव अवकाश अवधि में ही विदेश यात्रा हेतु कार्यक्रम बनावें।
5. विदेश यात्रा की अनुमति के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश स्वीकृति के निर्धारित समय पश्चात् यदि कार्मिक कर्तव्य स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो कर्त्तव्य से अनुपस्थित मानते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
6. विदेश यात्रा हेतु आवेदन कर देने मात्र को ही विदेश यात्रा अनुमति का आधार नहीं माना जाए।
7. कार्मिक विदेश यात्रा की अनुमति के साथ सक्षम अधिकारी (राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के प्रावधानानुसार) से अपना अवकाश स्वीकृत करवाए जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
8. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवकाश अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे।
9. विदेश से भिजवाए गए त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत/विभागीय जाँच/न्यायिक/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन/प्रक्रियाधीन हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाए। यदि ऐसा नहीं हो तो इस आशय की घोषणा आवेदन पत्र पर अंकित की जाए।
11. संबंधित संस्थाप्रधान शिक्षण कार्य/राजकीय कार्य में व्यवधान न होने के आशय की घोषणा के साथ ही कार्मिक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी तथा यह भी घोषणा अंकित करेंगे कि उक्त अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जावेगी।
12. यथा संभव विदेश यात्रा की अवधि 30 दिन से अधिक नहीं रखी जावे।
13. सबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों जैसे कार्मिक का प्रार्थना पत्र, घोषणा पत्र, पासपोर्ट की

प्रति, कार्मिक द्वारा लिए जाने वाले अवकाश का विवरण एवं परिशिष्ट 'अ' 'ब' 'स' की पूर्ति होने के उपरान्त ही प्रकरण निदेशालय को अग्रेषित करवाना सुनिश्चित करावें।

14. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
15. विदेश यात्रा के लिए आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि सक्षम स्तर से अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं की जाएगी।
16. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई व्यय/विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
17. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
18. अधिकारी/कार्मिक द्वारा विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी।

● संलग्न : 1. चैक लिस्ट 2. अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा 3. परिशिष्ट अ,ब,स।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ● दिनांक : 02.05.2019 ● क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2019

कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र

मैं..................पुत्र/पुत्री/पत्नी..................पदनाम........... पदस्थापन स्थान...............जन्मतिथि..............वर्तमान पता.... ....पिनकोड................निवासी स्थायी पता........... दूरभाष/मोबाइल नम्बर.............ईमेल पता........................ यह शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित देश का नाम............ एवं शहर का नाम .... है।
2. मेरा विदेश यात्रा का प्रयोजन/कारण......................है।
3. विदेश प्रवास का पता....................है।
4. सक्षम अधिकारी से अनुमति एवं अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही प्रस्थान करूँगा/करूँगी।
5. विदेश में रहते हुए स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करूँगा/करूँगी।
6. विदेश प्रवास के दौरान कोई व्यवसाय/नौकरी/अध्ययन/प्रशिक्षण /विदेश सेवा ग्रहण नहीं करूँगा/करूँगी।
7. विदेश यात्रा सम्बन्धित समस्त व्यय स्वयं के द्वारा ही वहन किया जाएगा।
8. विदेश में रहते हुए सेवा से त्याग पत्र प्रेषित नहीं करूँगा/करूँगी।
9. विदेश में रहने का पता विभाग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
10. प्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायिक/आपराधिक प्रकरण/ विभागीय जाँच प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
11. कार्यभार एवं महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से करने के पश्चात् ही विदेश को प्रस्थान करूँगा/करूँगी।
12. विदेश यात्रा हेतु दिनांक........से................तक अवकाश.......(अवकाश का प्रकार) लिया जाना प्रस्तावित है।
13. विदेश प्रवास के दौरान कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि/प्रचार में हिस्सा नहीं लूंगा/लूंगी।
14. पासपोर्ट की सत्यापित प्रति संलग्न कर दी गई है।
15. विदेश प्रवास के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करूँगा/करूँगी।
16. पासपोर्ट नम्बर...............पासपोर्ट जारी करने की तिथि....... पासपोर्ट वैधता की तिथि.................है।
17. स्वीकृति अवकाश अवधि से अधिक समय तक विदेश में रहता/रहती हूँ अथवा अवकाश समाप्ति उपरान्त कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होता/होती हूँ तो विभाग कानूनी/विभागीय कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ ग्रहिता का नाम, पदनाम

सत्यापन- मैं शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त घोषणा पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मेरी निजी जानकारी में लिखा गया है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

अभिप्रमाणित — हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

संस्थाप्रधान/सक्षम अधिकारी — शपथ ग्रहिता का नाम

पदनाम

परिशिष्ट-अ

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
द्वारा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा...संभाग....
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक......
/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....

क्र.सं.	विवरण	विवरण भरा जाना
1	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2	पति/पिता का नाम	
3	पति/पिता का व्यवसाय	
4	वर्तमान धारित पद एवं मूल वेतन (विषयाध्यापक अपना विशेष उल्लेख करें)	
5	वर्तमान पदस्थापन स्थान	
6	जन्मतिथि (अंकों एवं शब्दों में)	
7	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि (पद एवं तिथि)	
8	वर्तमान पद स्थायी/अस्थायी	
9	स्थायी पता	
10	वर्तमान पता	
11	विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित देश एवं शहर का नाम	
12	विदेश यात्रा का प्रयोजन/कारण	
13	विदेश में रहने की अवधि दिन एवं तिथि का उल्लेख करें।	
14	विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित अवकाश	
15	विदेश प्रवास का पता	
16	कार्मिक ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर	
17	पूर्व में विदेश गए है तो उसका अवधिवार विवरण	
18	पासपोर्ट की वैधता अवधि का उल्लेख	
19	विभागीय जाँच का विवरण	

20	एफ.आई.आर./शिकायत का विवरण	
21	आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन एवं चालान पेश हो चुका हो का विवरण	
22	यात्रा व्यय का स्रोत (निजी/सरकारी)	

मैं..........घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। मैंने कोई भी तथ्य छुपाया नहीं है। दिनांक.....से......... तक अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवधि हेतु निजी विदेश यात्रा.......... (देश का नाम) की अनुमति प्रदान कराने का श्रम करावें।

संलग्नः

1. जी.ए. 45
2. पासपोर्ट की सत्यापित प्रति
3. विभागीय जाँच/न्यायिक प्रकरण की प्रति एवं संबंधित दस्तावेज।

दिनांक आवेदक नाम एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट–ब

कार्यालय की टिप्पणी एवं अनुशंषा

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री/श्रीमती........... ....पदनाम...............जन्मतिथि............. द्वारा परिशिष्ट–अ में अंकित विवरण कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है तथा इसमें कोई भिन्नता नहीं है।
2. आवेदक के विरुद्ध कोई राजकीय बकाया नहीं है।
3. आवेदक के पास ऐसा कोई राजकीय महत्त्वपूर्ण अभिलेख अथवा कोई गोपनीय दस्तावेज आदि का चार्ज नहीं है जिसके कारण राजकीय कार्य में व्यवधान होता हो अथवा गोपनीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के अवकाश लेखा में आज दिनांक तक...........दिनों का उपार्जित अवकाश स्वत्व शेष है एवं अर्द्धवेतन अवकाश का..........दिनों का स्वत्व शेष है।
5. यदि आवेदक विदेश प्रस्थान करता है तो राजकीय कार्य/छात्रहित किसी तरह से प्रभावित नहीं होगा। सम्बन्धित कार्मिक के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कर ली जाएगी।
6. परिशिष्ट–अ पर अंकित विवरण एवं फोटोग्राफ अभिप्रमाणित किया गया है।
7. पासपोर्ट की प्रति अभिप्रमाणित है।

कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट–स

1. आवेदक श्री/सुश्री/श्रीमती............पदनाम............ के आवेदन पत्र के परिशिष्ट–अ एवं ब में वर्णित तथ्यों का सत्यापन किया जाता है।
2. आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जाँच/अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।
3. आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायिक/आपराधिक प्रकरण दर्ज/प्रक्रियाधीन नहीं है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना प्रभारी से रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है।
4. आवेदक का प्रमाणित फोटो प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
5. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अभिप्रमाणित कर संलग्न कर दिया गया है।

हस्ताक्षर
मय पद एवं मोहर
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग....../
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक...../
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी....

3. आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा–माध्य/छात्रवृत्ति/स्कॉलर–ई/आपकी बेटी/2018–19 दिनांकः 18.06.2019 ●समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय ● विषयः आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में। ● प्रसंगः शिक्षा (आयोजना) विभाग का पत्रांक क्रमांक पं. 01(18) प्राशि./आयो /2019 दिनांक 31.05.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपकी बेटी योजना के तहत बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा कक्षा 1 से 12 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत गरीबी की रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाएँ, जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, को बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से कक्षा 1 से 8 की बालिका को 1100/– एवं कक्षा 9 से 12 को 1500/– रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी।

सत्र 2019–20 से कक्षा 1 से 8 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को रुपये 2100/– प्रतिवर्ष तथा कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को रुपये 2500/– प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजनान्तर्गत होने वाला समस्त व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा राशि के अर्जित ब्याज से वहन किया जाएगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2019–20 के लिए आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2019 तक अनिवार्यतः सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर को निम्नांकित प्रारूप में पात्र बालिकाओं की सूची हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी में वाहक स्तर पर पहुँचाते हुए इस कार्यालय के ई–मेल deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करे।

क्र. सं.	छात्रा का नाम	विद्यालय का नाम	कक्षा	बीपीएल नम्बर	बैंक खाता संख्या	आईएफएससी. कोड	बैंक का नाम	माता–पिता जिनका निधन हुआ है	वर्ग

संलग्नः बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा जारी आवेदन पत्र का प्रारूप।

●**(संजय सेंगर)** प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

4. राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को अर्थात् पाँच जातियों यथा– 1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया लोहार, गोडोलिया, 3. गुर्जर, गुजर, 4. राईका, रैबारी, देबासी, 5. गडरिया (गाडरी), गायरों को शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में।

● सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ● क्रमांकः एफ.11(125)एम.बी.सी./आर.एण्ड पी./सान्याअवि/2012/365 46 जयपुर, दिनांक 21.06.2019 ● परिपत्र।

राज्य सरकार के राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 2/2019) एवं समय–समय पर इस संबंध में जारी परिपत्रों की अनुपालना में राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को अर्थात पाँच जातियों यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया लोहार, गाडोलिया, 3. गुजर, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी, देबासी, 5. गडरिया (गाडरी), गायरी को शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण दिया जाना है।

इस हेतु उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में नियमानुसार अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त पाँच जातियों के अभ्यर्थियों को कतिपय विभागों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राज्य के विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिए जाने में संशय की स्थिति है। इस क्रम में पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 जारी किया गया था। (प्रति संलग्न)

इस संबंध में पुनः यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग लाभ के लिए आवेदन किया गया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा।

● **(अखिल अरोरा)**, प्रमुख शासन सचिव

संशोधित परिपत्र

● सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ● क्रमांकः एफ.3 (25) एमबीसी/आरएमसी./सान्याअवि/2012/15633 दिनांकः 22.02.2018 ● संशोधित परिपत्र।

राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 38/2017) (यथा संशोधित) की धारा 2 डी एवं एफ में अति पिछड़ा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पाँच जातियों यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया लोहार, गाडोलिया, 3. गुजर, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी, देबासी, 5. गडरिया (गाडरी), गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1) डीओपी/ए–2/2017 दिनांक 21.12.2017 तथा आदेश क्रमांक प.7 (1) कार्मिक/क–2/2017 जयपुर दिनांक 29.01.2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग की उपर्युक्त जातियों को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उभय अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्ति) अतिरिक्त मुख्य सचिव

5. राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर 'महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा–मा/माध्य/अ–4/म.गां/अंग्रेजी माध्यम/2019–20 दिनांकः 24.06.2019 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक हनुमानगढ़/सिरोही। ● विषयः राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर 'महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना के सम्बन्ध में। ● प्रसंगः राज्य सरकार का पत्रांक प.4(15) शिक्षा–1/2019 दिनांक 24.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश दिनांक 14.06.2019 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.06.2019 के द्वारा जिला मुख्यालय के 33 राजकीय विद्यालयों को प्रथम चरण में 'महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)' में रूपांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य सरकार के प्रासंगिक संसोधित स्वीकृति आदेश की पालना में इस कार्यालय द्वारा जिला मुख्यालय के 33 विद्यालयों के लिए पूर्व में जारी आदेश दिनांक 14.06.2019 के साथ संलग्न 33 विद्यालयों की सूची के क्रम संख्या 15 व 30 पर अंकित विद्यालयों के नाम से निम्नलिखित संशोधन किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	जिला	समसंख्यक आदेश दिनांक 14.6.2019 द्वारा स्वीकृत विद्यालय का नाम	संशोधित राजकीय विद्यालय का नाम जिसको महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपांतरित किया जाना है।	परिवर्तन के बाद विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
15	हनुमानगढ़	रा.बालिका उमावि. हनुमानगढ़ जंक्शन	राउप्रावि. कैनाल कॉलोनी,हनुमानगढ़ जंक्शन	महात्मा गाँधी राजकीय कैनाल कॉलोनी,हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
30	सिरोही	राउमावि. नवीन भवन, सिरोही	राउमावि. पुराना भवन, सिरोही	महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय पुराना भवन, सिरोही

1. कॉलम संख्या 3 में अंकित विद्यालय पूर्व की भाँति हिन्दी माध्यम में यथावत संचालित रहेगा।
2. महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय हेतु चयनित प्रधानाचार्य अब संशोधित नवीन महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे।
3. जिन आशार्थियों ने महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया है उन्हें अब पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके पूर्व आवेदन के आधार पर ही प्रवेश हेतु निर्णय किया जाएगा।
4. शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

6. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

● राजस्थान सरकार ● प्रशानिक सुधार एवं समन्वय विभाग ● (अनुभाग-1) ●क्रमांक : प.10(1)प्रसु/अनु/-1/2012 ●जयपुर, ● दिनांक : 27.06.2019 ●परिपत्र।

शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान अंकित टिप्पणी/नोट अथवा प्रेषित पत्र पर जाने वाले हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम तथा दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किए जाने के संबध में समय-समय पर इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.03.2012, 21.02.2013, 24.05.2013 एवं 18.03.2016 जारी किए निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा इन निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है। अतः पुनः दोहराया जाता है कि शासन में सभी स्तर पर पारदर्शिता लाने, पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निम्न निर्देश की पूर्ण पालना आवश्यक रूप से की जावें।

1. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (फील्ड में कार्यरत भी) द्वारा अपने राजकीय कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रस्तुत/प्रेषित टिप्पणी/नोट पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों पर जब भी अपने हस्ताक्षर किए जावे तो अंकित किए गए हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, पदनाम व दिनांक भी आवश्यक रूप से अंकित करें।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय पत्र व्यवहार करते समय क्रम संख्या-1 में प्रदत्त निर्देश की पालना के साथ-साथ पत्र के आधार (Bottam) पर कार्यालय का सम्पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, वेबसाईट, कार्यालय/संबंधित अधिकारी की मेल-आई.डी. भी आवश्यक रूप से अंकित की जाए।
3. जिन प्रकरणों पर अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नाम, पदनाम दिनांक अंकित नहीं हो उन पत्रावलियों को उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं कर पत्रावलियाँ संबंधित अधिकारी/कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जावें।

प्रदत्त उक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें तथा निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जाकर सम्बंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण, विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना राजकीय विभाग/कार्यालय/बोर्ड/नियम/आयोग आदि में सुनिश्चित की जावें।

डी.बी. गुप्ता, मुख्य सचिव

7. विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on computer Concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : उनि/सशि/मु.म.बजट घोषणा/डिजीटल लिटरेसी/2015-16/29 ● दिनांक : 11.06.2019 ● समस्त संस्था प्रधान राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय ● अति-आवययक ● विषय : विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on computer Concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.09.2015 एवं 23.06.2016 द्वारा डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम के तहत समस्त आयुवर्ग के समस्त शिक्षकों एवं मंत्रालयिक कार्मिकों को RKCL से RS-CIT कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं जो कार्मिक/शिक्षक प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे उनकी सेवाएँ संतोषप्रद नहीं मानते हुए वेतनवृद्धि रोके जाने पर विचार करने बाबत निर्देश दिए गए थे। ध्यातव्य है कि इस कम्प्यूटर

प्रशिक्षण की शुल्क का पुनर्भरण राज्य सरकार के नियमानुसार ही देय है। यदि किसी कार्मिक ने अन्य सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष अथवा उच्च स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसे आरकेसीएल. से कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है।

विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक/अधिकारी द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम CIC/CIT/BCA/MCA(IGNU), RS-CIT(RKCL) And Course on Computer Concept (CCC) (Nielit) यथा कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण (वर्तमान एवं लम्बित) व प्रोत्साहन राशि का नियमानुसार भुगतान पदस्थापन स्थल से किया जाना है। इस संदर्भ में आपके विद्यालय के जिन शिक्षकों/कार्मिकों ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनकी प्रविष्टि शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में करें। शाला दर्पण पर प्रविष्टि के अभाव में कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुल्क का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा। विद्यालय की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 19.06.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में सॉफ्ट एवं हार्ड कापी में उपलब्ध करावाएं। ताकि तद्नुसार राज्य सरकार से बजट स्वीकृत करवाया जाए।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम एवं आई. डी.	कार्मिक का नाम एवं आई. डी.	कार्मिकों की संख्या जिन्हें पुनर्भरण किया जाना है।						पुनर्भरण हेतु कुल राशि
			CIC	CIT	BCA	MCA	RS-CIT	CCC /NIELIT	

उक्त क्रम में उन्हीं पाठ्यकमों के लिए बजट की मांग की जाए जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण हेतु मान्य की गई है। निर्धारित तिथि तक समेकित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में यदि कोई कार्मिक पुनर्भरण से वंचित रह जाता है तो इसका संपूर्ण दायित्व आपका होगा। पुनर्भरण के लिए जिले की समेकित सूचना भेजने के साथ यह प्रमाण-पत्र जारी करें कि सूची में वर्णित प्रत्येक कार्मिक की कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण करने की प्रविष्टि शाला दर्पण के प्रपत्र-10 में कर दी गई है।

उपनिदेशक समाजशिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

8. विभिन्न छात्रवृत्तियों के समयबद्ध आवेदन एवं वितरण हेतु कलेण्डर।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/डी/विविध/2019 ● दिनांक : 03.07.2019 ● परिपत्र ● प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2019 को सम्पादित बैठक में लिए गए निर्णय उपरांत जारी कार्यवाही विवरण दिनांक 26.06.2019 की अनुपालना में प्रतिवर्ष विभिन्न छात्रवृत्तियों के समयबद्ध आवेदन एवं वितरण हेतु कलेण्डर निम्नानुसार रहेगा। समस्त सम्बन्धित पक्ष तद्नुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र.सं.	गतिविधि	समय सीमा	उत्तरदायी कार्यालय/अधिकारी
छात्रवृत्ति आवेदन तथा समेकित प्रस्ताव भारत/राज्य सरकार को भिजवाया जाना			
1.	छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आदेश जारी करना	प्रतिवर्ष विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ होने से 15 दिवस पूर्व	प्रभारी छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
2.	विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त करना तथा प्राप्त आवेदनों को शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करना	प्रतिवर्ष प्रवेश प्रारंभ होने की तिथि से प्रवेश की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक	समस्त विद्यालयों के संस्थाप्रधान
3.	छात्रवृत्ति आवेदनों को ऑनलाईन निदेशालय स्तर पर समेकित करना तथा राज्य सरकार को भिजवाया जाना (ई-मेल तथा व्यक्तिशः)	छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक	प्रभारी छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
4.	समेकित प्रस्ताव को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाते हुए भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को भिजवाना	निदेशालय से समेकित प्रसव (जरिये ई-मेल/व्यक्तिशः) प्राप्त होने के 10 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
5.	उपरोक्त प्रस्तावों के क्रम में सम्बन्धित मंत्रालय से फॉलोअप मीटिंग करना	समेकित प्रस्ताव मंत्रालय को भिजवाए जाने के 07 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर

छात्रवृत्ति भुगतान तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भिजवाने के सम्बन्ध में			
6.	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति जारी करना (ई-मेल द्वारा)	भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से राशि प्राप्त होने के 07 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवाचलय, जयपुर
7.	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा राशि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्याख्य /संस्कृत एवं प्रारंभिक शिक्षा को जारी करना (ई-मेल द्वारा)	राज्य सरकार से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति प्राप्त होने के 03 दिवस में	सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति अनुभाग के माध्यम से वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
8.	जिले के समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भिजवाया जाना (डी.बी.टी. द्वारा विद्यार्थी को लाभान्वित कर)	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर से छात्रवृत्ति बजट राशि प्राप्त होने के 30 दिवस में	समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय/संस्कृत एवं प्रारंभिक शिक्षा
9.	समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार को भिजवाया जाना (व्यक्तिशः)	राज्य सरकार से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति प्राप्त होने के 40 दिवस में	सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति अनुभाग के माध्यम से वित्तीय सलाहकार/ उपनिदेशक (योजना), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
10.	उपयोगिता प्रमाणपत्र सम्बन्धित मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाया जाना (व्यक्तिशः)	माध्यमिक शिखा निदेशालय उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 05 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
11.	संशोधित बजट प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना (यदि आवश्यकता हो)	प्रतिवर्ष नवम्बर माह तक	प्रभारी छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशलय, बीकानेर

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

9. राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/म.गाँ./अंग्रेजी माध्यम/2019-20 दिनांक : 14-06-2019 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक ● विषय : राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना के संबंध में। ● प्रसंग : राज्य सरकार का पत्रांक 4 (15) शिक्षा-1/2019 दिनांक 14.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य सरकार के प्रासंगिक स्वीकृति आदेश की पालना में संलग्न सूची के अनुसार जिला मुख्यालय के 33 राजकीय विद्यालयों को प्रथम चरण में 'महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)' में रुपान्तरित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रथम चरण में 'महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)' प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक के स्तर पर प्रारम्भ किए जाएँगे, जिनमें प्रथम वर्ष में कक्षा प्रथम से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित की जायेगी। आगामी वर्षों में क्रमशः नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा संचालित की जायेगी। इस प्रकार से स्थापना के चतुर्थ वर्ष में विद्यालय का स्तर प्रथम से बारहवीं स्तर तक का होगा। उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नियमित नहीं रखना चाहते हों, तो उन्हें नजदीक के हिन्दी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक विद्यार्थी अपने अध्ययन को अंग्रेजी माध्यम में नियमित रख सकेंगे।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.**, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किए जाने हेतु जिलेवार 33 राजकीय विद्यालयों की सूची शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रारम्भ (राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक : प.04 (15)शिक्षा-1/2019 दिनांक : 14.06.2019 की पालना में)

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित राजकीय विद्यालय का नाम जिसको महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया जाना है	परिवर्तन बाद विद्यालय का नाम
1.	अजमेर	राउमावि. वैशाली नगर, अजमेर	महात्मा गाँधी राज. विद्यालय वैशाली नगर, अजमेर
2.	अलवर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नयाबास, अलवर	महात्मा गाँधी रावि. नयाबास, अलवर
3.	बांसवाड़ा	राउमावि. खान्दु कॉलोनी, बाँसवाड़ा	महात्मा गाँधी रावि. खान्दु कॉलोनी, बाँसवाड़ा
4.	बारां	राउमावि. स्टेशन रोड, बारां	महात्मा गाँधी रावि. स्टेशन रोड, बारां
5.	बाड़मेर	राउमावि. स्टेशन रोड, बाड़मेर	महात्मा गाँधी रावि. स्टेशन रोड, बाड़मेर
6.	भरतपुर	राजकीय माध्यिमक विद्यालय सिविल लाईन्स, भरतपुर	महात्मा गाँधी रावि. सिविल लाईन्स, भरतपुर
7.	भीलवाड़ा	राउमावि. लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा	महात्मा गाँधी रावि. लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा
8.	बीकानेर	राउमावि. मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर	महात्मा गाँधी रावि. मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर
9.	बून्दी	रा. आदर्श उमावि. बालचन्दपाड़ा, बार्ड नं. 1, बून्दी	महात्मा गाँधी रावि. बालचन्दपाड़ा, वार्ड नं. 1, बून्दी
10.	चित्तौड़गढ़	राबाउमावि. स्टेशन, चित्तौड़गढ़	महात्मा गाँधी रावि. स्टेशन, चित्तौड़गढ़
11.	चूरू	राउप्रावि. नं. 15, चूरू	महात्मा गाँधी रावि. नं. 15, चूरू
12.	दौसा	राउमावि. रेल्वे स्टेशन, दौसा	महात्मा गाँधी रावि. रेल्वे स्टेशन, दौसा
13.	धौलपुर	राउमावि. सिटी कोतवाली, धौलपुर	महात्मा गाँधी रावी. सिटी कोतवाली, धौलपुर
14.	डूंगरपुर	राबाउमावि. टाउन, डूंगरपुर	महात्मा गाँधी रावि. टाउन, डूंगरपुर
15.	हनुमानगढ़	रा बालिका उमावि. हनुमानगढ़ जंक्शन	महात्मा गाँधी रावि. हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
16.	जयपुर	राबाउमावि. मानसरोवर, जयपुर	महात्मा गाँधी रावि. मानसरोवर, जयपुर
17.	जैसलमेर	राउप्रावि. इंगानप, जैसलमेर	महात्मा गाँधी रावि. इंगानप, जैसलमेर
18.	जालौर	राबाउमावि. शिवाजीनगर, जालौर	महात्मा गाँधी रावि. शिवाजीनगर, जालौर
19.	झालावाड़	राउमावि. कलक्ट्री, झालावाड़	महात्मा गाँधी रावि. कलक्ट्री, झालावाड़
20.	झुंझुनूं	राउप्रावि. खीदरसर, झुंझुनूं	महात्मा गाँधी रावि. खीदरसर, झुंझुनूं
21.	जोधपुर	राउमावि. चैनपुरा, जोधपुर	महात्मा गाँधी रावि. चैनपुरा, जोधपुर
22.	करौली	राबामावि. करौली	महात्मा गाँधी रावि. करौली
23.	कोटा	राउमावि. मल्टीपर्पज गुमानपुरा, कोटा	महात्मा गाँधी रावि. मल्टीपर्पज गुमानपुरा, कोटा
24.	नागौर	राबाउमावि. गिन्नाणी, नागौर	महात्मा गाँधी रावि. गिन्नाणी, नागौर
25.	पाली	रामावि. पुनायता, पाली	महात्मा गाँधी रावि. पुनायता, पाली
26.	प्रतापगढ़	राउप्रावि. पालीवाल गली, प्रतापगढ़	महात्मा गाँधी रावि. पालीवाल गली, प्रतापगढ़
27.	राजसमन्द	राउमावि. राजनगर, राजसमन्द	महात्मा गाँधी रावि. राजनगर, राजसमन्द
28.	स.माधोपुर	राउमावि साहूनगर, स. माधोपुर	महात्मा गाँधी रावि. साहूनगर, स. माधोपुर
29.	सीकर	रा. श्री हिन्दी विद्या भवन सैकण्ड्री स्कूल, सीकर	महात्मा गाँधी रावि. सीकर
30.	सिरोही	राउमावि. नवीन भवन, सिरोही	महात्मा गाँधी रावि. नवीन भवन, सिरोही
31.	श्री गंगानगर	राउमावि. हरिजन बस्ती, श्री गंगानगर	महात्मा गाँधी रावि. हरिजन बस्ती, श्री गंगानगर
32.	टोंक	राबाउमावि. गुलजार बाग, टोंक	महात्मा गाँधी रावि. गुलजार बाग, टोंक
33.	उदयपुर	राउमावि. धानमण्डी, उदयपुर	महात्मा गाँधी रावि. धानमण्डी, उदयपुर

सहायक निदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

● कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) योजना (स्तर प्रथम से बारहवीं तक)

1. **प्रस्तावनाः-** देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए अभी भी और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान समय वैश्वीकरण (Globlisation) का है। शिक्षा में सतत् विकास के वैश्विक लक्ष्यों के साथ सरेखण (Alignment with Global sustainable development goals) करने के लिए वैश्विक शिक्षा के विकास एजेंडा की दिशा में सतत् प्रयास करने की महती आवश्यकता है। जिसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे राज्य के विद्यार्थी वैश्विक समुदाय के साथ सरेखण कर अपना भविष्य तलाश सके। राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश होने से प्रायः देखा जा रहा है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते है।

ऐसी स्थिति में राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 'महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)' कक्षा एक से बारहवीं तक, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन विद्यालयों को जिलों एवं ब्लॉक में उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जाएगा।

2. **स्थापनाः**–राज्य में 33 जिला मुख्यालयों पर और 301 ब्लॉक मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में इनकी स्थापना की जाएगीः–

1. इस कर्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक 14.06.2019 द्वारा प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर एक विद्यालय का चयन कर **''महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)''** में रूपांतरित किए जाने बाबत 33 विद्यालयों की सूची जारी की जा चुकी है। (संलग्नः परिशिष्ट–1)
2. बिन्दु संख्या 01 में वर्णित सूची में अंकित विद्यालयों में प्रथम चरण में **''महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)''** प्रथम कक्षा से आठवीं तक के सतर पर प्रारंभ किए जाएँगे, जिनमें प्रथम वर्ष में प्रथम से आठवीं तक कक्षाएँ संचालित की जाएगी। आगामी वर्षों में क्रमशः नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा संचालित की जाएगी। इस प्रकार से स्थापना के चतुर्थ वर्ष में विद्यालय का स्तर प्रथम से बारहवीं तक का होगा।
3. उस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नियमित नहीं रखना चाहते हों, तो उन्हें नजदीक के हिन्दी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में उसी विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
4. इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
5. **''महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)''** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सम्बद्ध रहेगा। पूर्व विद्यालय की सम्बद्धता का स्थानान्तरण नवीन विद्यालय के रूप में बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
6. **''महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)''** में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTE के मानकों के अनुरूप सैक्शन निर्धारित किए जाएँगे। कक्षा एक से पाँच तक 30, छः से आठ में 35 एवं नवीं से बारहवीं तक 60 विद्यार्थी प्रति सैक्शन निर्धारित रहेंगे। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इसमें समय–समय पर समीक्षा उपरान्त परिवर्तन करेगी।

3. **शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक स्टाफ का चयन :–**

1. **(i) ''महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)''** हेतु शिक्षा विभाग में कार्यरत दक्ष शिक्षकों (अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाएगी) में से योग्य शिक्षकों को साक्षात्कार (Walk in Interview) लेकर चयनित किया जाएगा। उक्त विद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षक भी साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। चयनित नहीं हो पाने वाले शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित किया जा सकेगा। इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 14.06.2019 द्वारा उक्त समस्त विद्यालयों में संस्थाप्रधान तथा शैक्षिक एवं गैर क्षैक्षिक पदों पर वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से पात्र आशार्थियों के चयन हेतु आयोज्य साक्षात्कार हेतु तिथियाँ निर्धारित कर दी गई है। (संलग्न : परिशिष्ट–2)

   (ii) अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रियाः इन विद्यालयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में कक्षा प्रथम से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएँ संचालित की जाएगी। शेष कक्षाएँ यथावत संचालित की जाती रहेगी।

   कक्षा प्रथम से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का चयन किए जाने पर अधिशेष शिक्षकों का समायोजन सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य विद्यालयों में किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। आगामी वर्षों में जैसे–जैसे अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, स्टाफ के चयन के कारण अधिशेष हुए वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं का समायोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यत्र किया जाएगा।
2. गैर–शैक्षिक का चयन भी साक्षात्कार (Walk in Interview) के माध्यम से किया जाएगा।

4. **भौतिक अवसंरचना (Physical Infrastructure) :–**

1. **विद्यालय भवन :**

   चयनित विद्यालय का भवन ही **''महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)''** का भवन होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा–कक्षों को गतिविधि आधारित शिक्षण (Activity Base Learning Rooms) कक्षों के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। उपलब्ध संसाधनों की कमी की स्थिति में प्राथमिकता से कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, पेयजल सुविधा, बालक व बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय, विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर, एबीएल. कक्षा–कक्ष, नेट कनेक्टिविटी की सुनिश्चितता, स्मार्ट क्लास, गणित–विज्ञान कक्ष आदि की उपलब्धता चरणबद्ध रूप में अग्रांकित विवरणानुसार की जाएगी ताकि विद्यालय उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित हो सके।

   (i) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना में उपलब्ध कमियों (GAPS) के आधार पर प्लान तैयार किया जाकर भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार निर्माण कार्य करवाए जाएँगे।

   (ii) विद्यालय भवनों का विकास राज्य सरकार की अन्य योजनाओं यथा–MLA LAD/MP LAD/MSDP/TSP/DMFT आदि के माध्यम से करवाया जाएगा तथा मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना, भामाशाहों, दानदाताओं एवं सी.एस.आर. के माध्यम से भी विद्यालय विकास करवाया जाएगा।

(iii) इस कार्य में जिला स्तर पर उपलब्ध कोष यथा-जिला समान परीक्षा, जिला खेलकूद कोष एवं सम्बन्धित विद्यालय के छात्रकोष/विकास कोष की राशि का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

(iv) .... को विद्यालय समय में उक्त योजना के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अति. जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) की उपस्थिति में संस्थाप्रधान द्वारा लॉटरी के माध्यम से निर्धारित संख्या में विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसकी सूची उसी दिन विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक द्वारा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी उप निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय हाउस की ई-मेल आई.डी. secondarydd2@gmail.com पर दिनांक 29.06.2019 तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जाएगी।

(v) महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय में कक्षा-1 से 8 तक प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों का उक्त विद्यालय में नवीन नामांकन किया जाएगा तथा संस्थाप्रधान उक्तानुरूप नवीन स्कॉलर रजिस्टर संधारित कर नवप्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय में पंजीयन सुनिश्चित करेंगे।

(vi) उक्त विद्यालय में इस सत्र में कक्षा-9 व 10 अथवा 9 से 12 (माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय) में पूर्व से अध्ययनरत, विद्यार्थी यथावत रहेंगे। उक्त विद्यालय में कक्षा-1 से 8 में पूर्व प्रवेशित ऐसे विद्यार्थी, जिनका प्रवेश अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची में नहीं हो पाए अथवा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने के इच्छुक नहीं हो ऐसे समस्त विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान कर उक्त विद्यालय के समीपवर्ती विद्यालय में जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रवेश दिलवाए जाने सम्बन्धी कार्यवाही की सुनिश्चितता हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अति. जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) द्वारा सतत् पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन किया जाएगा। उक्तानुरूप 10 जुलाई तक सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक द्वारा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी-उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा की ई-मेल आई.डी. secondarydd2@gmail.com पर तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.**, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

10. बजट माँग एवं व्यय के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश वर्ष 2019-20

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2019-20/ दिनांक 10.06.2019 ● समस्त आहरण वितरण अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग। ● विषय : बजट माँग एवं व्यय के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश वर्ष 2019-20

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.04.2019 के द्वारा समस्त अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम 04 माह हेतु वेतन का बजट आवंटन जारी करते हुए उसके व्यय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। तत्पश्चात् इस कार्यालय के अन्य पत्र दिनांक 15.04.2019 के द्वारा समस्त विद्यालयों को (पीईईओ. सहित) 01 संवेतन के अतिरिक्त अन्य उपमद यथा यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यय के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर नया मॉड्यूल स्थापित करते हुए माँग करने के लिए प्रपत्र ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया था। पूर्व में जारी समस्त आदेश परिपत्र तथा उपलब्ध कराए गए शाला दर्पण मॉडयूल के बारे में नीचे लिखेनुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. समस्त विद्यालयों को 01 संवेतन में चालू वर्ष के लिए 04 माह हेतु वेतन का बजट आवंटन जारी किया हुआ है। यदि किसी विद्यालय को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है तो वह शालादर्पण मॉड्यूल पर माध्यमिक शिक्षा के लेखा मदों हेतु तथा पीईईओ. सम्बन्धी लेखा मदों हेतु माँग कर सकते हैं। वेतन की माँग बिल बनाने के एक सप्ताह पहले कर ली जावे तथा 02 दिन का इन्तजार अवश्य करें, निदेशालय द्वारा यथा समय माँग को जाँच कर बजट ऑनलाईन IFMS पर आवंटित कर दिया जावेगा।
2. जिन लेखामदों में संवेतन हेतु केन्द्रीय सहायता (CA) तथा राज्य निधि (SF) दोनों में बजट आवंटित किया हुआ हैं, उनमें आवंटित बजट के अनुपात के अनुसार ही राशि का व्यय किया जावे। कई बार विद्यालय केवल CA में या केवल SF में ही राशि का व्यय करते जाते हैं एवं अतिरिक्त माँग करते रहते हैं, ऐसे में राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह भी निर्देश है कि निदेशालय द्वारा यदि केवल CA में या SF किसी में भी आवंटन किया जाता है तो उसका व्यय कर लिया जावे। किसी एक ही मद के लिये बार-बार माँग नहीं की जावे।
3. यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा मदों के लिए शाला दर्पण पर माँग की जावे, विभाग द्वारा यथाशीघ्र ही इनका निस्तारण किया जाएगा तथा उपलब्ध बजट के आधार पर समानुपातिक रूप से सभी विद्यालयों को बजट आवंटन जारी कर दिया जावेगा। जिन विद्यालयों को गत वर्ष में यात्रा व्यय तथा चिकित्सा व्यय में कोई आवंटन जारी नहीं हुआ है, उन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन जारी किया जाएगा।
4. चिकित्सा व्यय की माँग शाला दर्पण मॉड्यूल पर केवल साधारण एवं राजकीय चिकित्सालय के प्रकरणों में ही की जावे तथा अनुमोदित एवं निजी चिकित्सालयों तथा राज्य से बाहर के चिकित्सालयों में कराए गए ईलाज के पुनःभरण हेतु गत वर्षों की भाँति ही प्रकरणों का पूर्ण परीक्षण नियमानुसार सम्बन्धित CDEO अथवा DEO (HQ) कार्यालय से नियमानुसार करवाकर ही डाक से प्रकरणों को भिजवाया जावे। गंभीर रोगों के प्रकरणों हेतु मांग शाला दर्पण पर नहीं की जानी हैं।
5. प्रयोगशाला मद के लिए ऐसे विद्यालय जहाँ विज्ञान विषय संचालित

है, केवल वे विद्यालय ही न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर माँग मॉड्यूल में करें ताकि उन्हें राशि का आवंटन किया जा सके। इसके लिए अलग से मांगपत्र डाक से भिजवाने की आवश्यकता नहीं है तथा शालादर्पण पर मांग पत्र प्राप्त होने पर IFMS पर ऑनलाईन आवंटन जारी कर दिया जाएगा।

6. अन्य उपमदों यथा कार्यालय व्यय, पुस्तकालय व्यय, वर्दियाँ, भवन किराया आदि में गत वर्षो की भांति ही निदेशालय द्वारा यथाशीघ्र ही बजट का आवंटन IFMS पर ऑनलाईन आवंटन जारी कर दिया जाएगा।

अतः सभी अधीनस्थ विद्यालयों से भी आग्रह है कि वे बार-बार पत्र व्यवहार नहीं करके IFMS पर तथा विभाग की वेबसाइट पर बजट आवंटन के आदेश देखते रहें। निदेशालय के ध्यान में यह भी आया है कि कई संस्था प्रधान अपने अधीनस्थ शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन समय पर आहरण नहीं करते है जिससे अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता हैं एवं कई शिक्षक/कार्मिक निदेशालय में वेतन हेतु गुहार लगाते हैं। अतः निर्देश दिए जाते है कि समस्त संस्थाप्रधान अपने अधीनस्थ कार्मिकों/शिक्षकों का वेतन समय पर नियमानुसार आहरण करना सुनिश्चित करावें।

● **(ब्रह्मदत्त शर्मा)** वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2019-20 दिनांक : 10.06.2019

11. डॉ्प आउट फ्री उजियारी पंचायत 2019-20 की तिथियों के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/माध्य-द/22492/प्रवेशोत्सव/2019-20/95 दिनांक 17-07-2019 ● समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा। ● समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान। ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा। ● समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान। ● विषयः-ड्रॉ आउट फ्री उजियारी पंचायत 2019-20 की तिथियों के सम्बन्ध में। ● प्रसंग :-राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्रांक समसा/जय/वै.शि/2019-20/उजियारी पंचायत/3361 दिनांकः 9.7.19।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण में चिन्हित बालक-बालिकाओं को उनकी आयु अनुसार आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों में प्रवेशित कराया जाकर शालादर्पण पोर्टल प्रविष्ठ करवायी जानी अनिवार्य है।सत्र 2019-20 के लिए ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन तथा घोषणा एवं सम्मान की समयावधि एवं तिथियों निम्नानुसार होगी :-

1. प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण में बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपडेशन-12 जुलाई 2019 तक।
2. उजियारी पंचायत हेतु ग्राम सभा से अनुमोदित आवेदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 22 जुलाई 2019।
3. आवेदित ग्राम पंचायतों की शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की अंतिम तिथि-25 जुलाई 2019।
4. उपखण्ड/ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच-13 अगस्त 2019 तक।
5. जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन-27 अगस्त, 2019 तक।
6. जिला निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदन-30 अगस्त 2019।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक्सेल में समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर को सूची प्रस्तुतीकरण-02 सितम्बर 2019 तक।
8. उजियारी पंचायत की घोषणा एवं सम्मान-5 सितम्बर 2019 तक।

अतः उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं घोषणा सम्बन्धित कार्यवाही उपरोक्तानुसार निश्चित समयावधि में किया जाना सनिश्चित करें।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.,** निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

12. समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री ''उजियारी पंचायत'' किए जाने के सन्दर्भ में मानदण्ड।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/माध्य-द/22492/प्रवेशोत्सव/2019-20/96 दिनांक 17-07-2019 ● समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा। ● समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान। ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा। ● समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान। ● विषयः-समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री ''उजियारी पंचायत'' किए जाने के सन्दर्भ में मानदण्ड। ● प्रसंग :-राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्रांक समसा/जय/वै.शि/2019-20/उजियारी पंचायत/3360 दिनांकः 9.7.19।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांकः शिविरा/माध्य/माध्य-द/22492/प्रवेशोत्सव/2019-20/33 दिनांक 25.04.2019 एवं 20.06.2019 के माध्यम से आपको प्रवेशोत्सव सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण में सभी पंचायतों के अधिकांश बालक-बालिकाओं को चिन्हित कर/सर्वे कर आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई होगी। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण 24.06.019 से 12.07.2019 तक आयोजित किया जाना है। इसमें सभी पंचायतों के समस्त बालक-बालिकाओं चिन्हित कर/सर्वे कर आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है

प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात् अनामांकित/ड्राप आउट पंचायत को उजिचारी पंचायत घोषित किया जाना है। **ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत** घोषित किए जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश/मानदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/संस्थाप्रधानों को यह निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि अनामांकित/ड्राप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी/विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर परिणाम आधारित कार्यवाही सुनिश्चत करें ताकि उनकी **पंचायत ड्रॉप आउट फ्री पंचायत ''उजियारी पंचायत''** घोषित हो सकें।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.,** निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

समस्त अनामांकित/ड्राप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने पर ड्रॉप आउट फ्री **''उजियारी पंचायत''** घोषित किए जाने हेतु मानदण्ड 2019-20

1. प्रस्तावना

1.1 हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान महत्त्वपूर्ण है।

1.3 वर्ष 2019-20 हेतु शिक्षा विग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाए जाने का निश्चय किया गया हैं ऐसी पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन एवं ड्रॉप आउट फ्र पंचायतों को **''उजियारी पंचायत''** के रूप में चिह्नित कर सम्मानित किया जाएगा।

2. ''उजियारी पंचायत'' की घोषणा हेतु मानदण्ड।

2.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक-बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आगनबाड़ी में नामांकित है।

2.2 5-6 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिका (आँगनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित) का चिह्निकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

2.3 कक्षा 5/8/10 उत्तीर्ण अथवा इनकी परीक्षा में प्रविष्ट 80 प्रतिशत से अधिक बालक-बालिकाओं का चिह्निकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।

2.4 यदि कोई विद्यार्थी 4 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है और यदि रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

2.5 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल (अनामांकित/ड्रॉपआउट) बच्चों को विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया गया है एवं वे कक्षा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत है।

2.6 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) कार्यालय में 0 से 18 वर्ष के पंचायत क्षेत्र के समस्त बालक-बालिकाओं का हाउस होल्डवार सर्वे रिकोर्ड संधारण किया हुआ हो।

2.7 पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की जाएगी।

3. आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया

3.1 उजियारी पंचायत घोषणा के लिए आवेदन जुलाई माह में आमंत्रित किये जाएँगे एवं प्राप्त आवेदनों का दो चरणों में क्रमश ब्लॉक एवं जिला स्तर से गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

3.2 उजियारी पंचायत हेतु घोषणा आवेदन पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भरा जावेगा।

3.3 आवेदन पत्र सरपंच, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ.), ग्राम विकास अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक (आईसीडीएस.) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाएगा।

3.4 उजियारी पंचायत घोषणा हेतु प्रस्ताव ग्राम सभा की मासिक बैठक में अनुमोदन कराया जाएगा तत्पश्चात **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ.)** को दो प्रतियों में प्रेषित किया जाकर एक प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावेगी।

3.5 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ.) द्वारा आवेदन करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रविष्ट शालादर्पण पोर्टल पर की जावेगी। शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्ट की गई आवेदित ग्राम पंचायतों का ही ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच एवं जिला स्तरीय सत्यापन किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों की प्रविष्टि अंतिम तिथि तक शालादर्पण पोर्टल पर नहीं की जाएगी, उन ग्राम पंचायतों का आवेदन अमान्य होगा।

3.6 आवेदन के साथ पंचायत के किसी भी ग्राम में 3 से 5/6 वर्ष का कोई भी बच्चा आँगनबाड़ी में नामांकन एवं 5/6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय में नामांकन से वंचित नहीं है। इस आशय का सरपंच, पीईईओ., ग्राम विकास अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर वाला प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जावेगा। (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न)

3.7 सीबीईओ. कार्यालय का शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की अंतिम तिथि तक समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टि करना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि तक

प्रविष्टि नहीं करने की समस्त जिम्मेदारी सीबीईओ की होगी।

3.8 उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों की भौतिक जाँच की जाएगी। समितियों का गठन ब्लॉक के आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार किया जाएगा। यह समिति निम्नलिखित सदस्यों में से किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा गठित की जावेगी। प्रत्येक समिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य होना अनिवार्य है :-

1. सीबीईओ./एसीबीईओ.
2 आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का पीईईओ.
3 आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का व्यख्याता
4 उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य

3.8 ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच दल जाँच की तिथि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पीईईओ. को पूर्व सूचना देगा।

3.9 पीईईओ. द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच एवं महिला पर्यवेक्षक आँगनबाड़ी को जाँच तिथि की सूचना दी जाएगी। सभी सम्बन्धित व्यक्ति जाँच के समय उपस्थित रहेंगे।

3.10 पंचायत से प्राप्त आवेदन पत्र पर भौतिक जाँच दल पंचायत के कम से कम 25 प्रतिशत या न्यूनतम 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाड़ी जो भी अधिक हो में उपलब्ध सर्वे रिकॉर्ड का सत्यापन भौतिक स्थिति से करेगा।

3.11 आवेदन के भौतिक जाँच के दौरान सम्बन्धित पंचायत के पीईईओ. कार्यालय में उपलब्ध हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड में से रेण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्र लिए जाकर सम्बन्धित घरों में बालक-बालिकाओं की वस्तु स्थिति (हैड काउंटिंग) का मिलान आँगनबाड़ी एवं विद्यालय (सरकारी एवं निजी) के रिकॉर्ड से किया जाएगा।

3.12 भौतिक जाँच के दौरान सर्वे में हाउस होल्ड के साथ-साथ अन्य बसावट जैसे गाँव के आस-पास गाड़िया लुहार, ईंट भट्टा बस स्टैण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पूरबा, मजरा आदि को भी सम्मिलित कर भौतिक सत्यापन किया जावें।

3.13 ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच समिति अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत को उजियारी घोषित किए जाने अथवा नहीं किए जाने की अभिशंषा निर्धारित जाँच प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करेगी।

3.14 ब्लॉक स्तरीय जाँच दल मौके पर पहुँच कर प्रत्येक ग्राम पंचायत की निर्धारित जाँच प्रपत्र (ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच एवं जिला स्तरीय सत्यापन प्रपत्र) में जाँच करेगा। भौतिक जाँच रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार की जावेगी। जाँच रिपोर्ट की एक प्रति संबधित पीईईओ. कार्यालय को दी जावेगी। जाँच रिपोर्ट की दूसरी प्रति मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर (प्रमाणिक रिपोर्ट) एवं जाँच रिपोर्ट की तीसरी प्रति आवेदन पत्र की फोटो प्रति के साथ संलग्न कर सीबीईओ. कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

3.15 सीबीईओ. द्वारा समस्त आवेदित ग्राम पंचायतों की प्रमाणिक जाँच रिपोर्ट (रिपोर्ट मय मूल आवेदन पत्र) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। समस्त आवेदित ग्राम पंचायतों की जाँच रिपोर्ट का दूसरा सेट उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया जावेगा

3.16 उपखण्ड अधिकारी द्वारा समस्त जाँच रिपोर्ट का सेट जिला कलक्टर को प्रेषित किया जाएगा।

3.17 जिला कलक्टर द्वारा ब्लॉकवार तीन सदस्यीय जिला स्तरीय सत्यापन समितियों का गठन किया जाएगा। समितियों का गठन ब्लॉक के आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार किया जाएगा। यह समिति निम्नलिखित सदस्यों में से किन्हीं तीन सदस्यों के द्वारा गठित की जावेगी। प्रत्येक समिति में जिला कलक्टर द्वारा नामित सदस्य होना अनिवार्य है -

1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
2 आवेदित ग्राम पंचायत के ब्लॉक से भिन्न ब्लॉक का पीईईओ.
3 आवेदित ग्राम पंचायत से भिन्न पंचायत समिति का पीईईओ.
4 जिला कलक्टर द्वारा नामित सदस्य

3.18 जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक आवेदित ग्राम पंचायत की ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा दी गयी जाँच रिपोर्ट की मौके पर पूर्ण जाँच की जायेगी तथा पंचायत के 25 प्रतिशत विद्यालयों एवं आँगनबाड़ी अथवा न्यूनतम 2 विद्यालय एवं 2 आँगनबाड़ी (जो भी अधिक हो) में उपलब्ध रिर्कार्ड का भौतिक स्थिति से मिलान करते हुए ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट का सत्यापन किया जाएगा एवं ग्राम पंचायत को उजियारी घोषित किए जाने अथवा नहीं किए जाने की अभिशंषा निर्धारित जाँच प्रपत्र में अंकित की जावेगी।

3.19 जिला स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा की गई अभिशंषा अनुसार ग्राम पंचायत का उजियारी पंचायत घोषित किया जाना प्रस्तावत किया जावेगा।

3.20 जिला कलक्टर द्वारा गठित ब्लॉकवार जिला स्तरीय सत्यापन समितियाँ भौतिक जाँच पश्चात् अभिशंषा रिपोर्ट मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगी।

3.21 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिला निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जावेगा।

3.22 जिला निष्पादन समिति की बैठक में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर चर्चा एवं अनुमोदन पश्चात् मानदण्डानुसार सम्बन्धित पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित करने हेतु अनुमोदन किया जावेगा।

4. उजियारी पंचायत की घोषणा

4.1 आवेदित, सत्यापित एवं जिला निषादक समिति में अनुमोदित पंचायत को **''उजियारी पंयायत''** घोषित किया जाएगा एवं घोषणा प्रमाण पत्र शिक्षक दिवस पर 5 सितम्बर को आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदान किया जाएगा।

4.2 चयनित उजियारी ग्राम पंचायत के पीईईओ. एवं सरपंच सम्मिलित रूप से उजियारी पंचायत का प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जावेगा।

4.3 जिले में उजियारी पंचायत के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कार्मिकों का जिला कलक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र

एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जावेगा।

4.4 उजियारी पंचायत घोषणा पश्चात् पंचायत के पंचायत भवन एवं पंचायत के सभी विद्यालयों पर **''अनामांकित/ड्राप आउट फ्री उजियारी पंचायत''** लिखवाया जावें।

4.5 राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उजियारी पंचायत को प्राथमिकता दी जावेगी।

सहायक निदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदन पत्र सत्र 2019-20 उजियारी पंचायत (अनामांकित/ड्रापआउट फ्री ग्राम पंचायत के लिए) ग्राम पंचायत................ ब्लॉक................जिला................ 0 से 18 वर्ष के समस्त बालकों-बालिकाओं का सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष के समस्त अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालकों-बालिकाओं को आयु अनुसार आँगनबाड़ी/विद्यालय में प्रवेशित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत में 3-18 वर्ष के समस्त बालक-बालिका आयु अनुसार आँगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत है एवं कोई बालक/बालिका ड्रॉप आउट अथवा अनामांकित नहीं है। ग्राम पंचायत.............को उजियारी ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

महिला पर्यवेक्षक नाम...............ग्राम विकास अधिकारी नाम.............पीईईओ नाम.............सरपंच नाम............. विद्यालय का नाम..................

ड्रॉप आउट फ्री ''उजियारी पंचायत'' की घोषणा सत्र 2019-20 (यह प्रपत्र पंचायत द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे) मैं.....................सरपंच गाम पंचायत............ मैं..................पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत, ...मैं........ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ....मैं.................महिला पर्यवेक्षक (ICDS) ग्राम पंचायत..............हम संयुक्त रूप से घोषणा करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत......... ब्लॉक.......... जिला..........मैं 0 से 18 वर्ष के समस्त बालक-बालिकाएँ अपनी आयु के अनुरूप आँगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्यनरत है और कोई भी बालक-बालिका ड्रॉप आउट अनामांकित नहीं है तथा पंचायत में 0 से 18 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या निम्नानुसार है-

0 से 3 वर्ष	3 से 6 वर्ष	6 से 14 वर्ष	14 से 18 वर्ष	कुल बच्चों की संख्या

महिला पर्यवेक्षक नाम........... ग्राम विकास अधिकारी नाम................ पीईईओ नाम....... सरपंच नाम.........

विद्यालय का नाम..............

●ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच एवं जिला स्तरीय सत्यापन प्रपत्र 2019-20 उजियारी पंचायत ●दिनांक............

(आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर इस प्रपत्र में ब्लॉक एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा जाँच/सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जावें) ग्राम पंचायत............. ब्लॉक.............. जिला....................

1. क्या भौतिक सत्यापन से पूर्व ग्राम पंचायत के पीईईओ को सूचित किया गया है। हाँ/नहीं
2. क्या पीईईओ. द्वारा सरपंच को सूचित किया गया। हाँ/नहीं
3. भौतिक सत्यापन के समय उपस्थित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ((✕) या (✔) का निशान लगाऐ)
4. पीईईओ. ( ) सरपंच ( ) वार्डपंच ( ) महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी ( )
5. क्या पीईईओ कार्यालय में 0 से 18 आयुवर्ग के बच्चों के हाउस होल्ड सर्वे का रिकोर्ड रजिस्टर संधारित है। हाँ/नहीं
6. यदि हाँ तो, प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 की पूर्ति करें।

भौतिक जाँच/सत्यापन प्रपत्र-1

ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा भौतिक जाँच हेतु (25 प्रतिशत विद्यालय एवं आंगनबाड़ी या 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाड़ी में से जो भी अधिक हो, की भौतिक जाँच करें।)							जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	ग्राम पंचायत में संचालित शैक्षिक संस्थाएं	कुल शैक्षिक संस्थाऐं	शैक्षिक संस्थाओं की संख्या जिसमें भौतिक जाँच की गई	शैक्षिक संस्थाओं का नाम	हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड अनुसार नामाकिंत (मेनस्ट्रीम) OoSC बच्चें	भौतिक जाँच अनुसार नामांकित (मेनस्ट्रीम) OoSC बच्चें	जिला स्तरीय सत्यापन हेतु भौतिक जांच कर कॉलम संख्या 2 से 7 को प्रमाणित/अप्रमाणित करें।
1	राजकीय विद्यालय						

हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र-1

विद्यालय से बाहर (OoSC) बच्चों की सूचना

ग्रामीण क्षेत्र पीईईओ कार्यालय का नाम : ....

शहरी क्षेत्र बीईईओ कार्यालय का नाम : .... ग्राम/वार्ड का नाम................सर्वे दिनांक............

विद्यालय का नाम जिसे उस ग्राम/वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है:..

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	गाँव/ वार्ड	हेबिटेशन/ वासस्थान	नाम बालक/ बालिका	पिता का नाम	उम्र	लिंग	श्रेणी SC/ ST/ OBC/ Minority	शैक्षिक स्थिति		ड्रॉप आउट कक्षा	OoSC होने के कारण			
									अनामांकित	ड्रॉप आउट		दिव्यांगता	पलायन	आर्थिक	अन्य

प्रपत्र पीईईओ/बीईईओ को जमा कराने की दिनांक : ....

हस्ताक्षर

सर्वे प्रपत्र भरने वाले शिक्षक/शाला प्रधान का नामः.........

मोबाईल नम्बर : ....

विद्यालय का नाम : ....

13. शिक्षक दिवस 05 सितम्बर, 2019 के अवसर पर झण्डियों का वितरण कर धन संग्रह बाबत।

● राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● (शिक्षक दिवस 05 सितम्बर, 2019) ● क्रमांक : शिविरा-मा/राशिकप्र/31582/2019-20 ● दिनांक 15 जुलाई 2019 ● 1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक/प्रांरम्भिक शिक्षा) 3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी 4. सम्पादक, शिविरा पत्रिका ● विषय : शिक्षक दिवस 05 सितम्बर, 2019 के अवसर पर झण्डियों का वितरण कर धन संग्रह बाबत। महोदय/महोदया, माननीय सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन भूतपूर्व राष्ट्रपति की जन्म तिथि 05 सितम्बर, 2019 को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने, समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति समुचित आदर एवं सम्मान व्यक्त करने तथा शिक्षकों के कल्याणार्थ धन संग्रह करने के लिए देश के समस्त नगरों, ग्रामों, ग्राम खण्डों, पंचायत समितियों एवं उच्च माध्यमिक/माध्यमि/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों (राजकीय/गैरराजकीय) के स्तर पर शिक्षक दिवस को उल्लास एवं शालीनता से पूर्व की भांति मनाया जावे। इस सम्बन्ध में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. **झण्डियों के जिलेवार लक्ष्य के अनुसार धनराशि संग्रह :-** शिक्षक वर्ग के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन करने हेतु झडियों की बिक्री से धन राशि एकत्रित की जानी होती है। तद्विषयक शिक्षकों के कल्याणार्थ 36.00 लाख रुपये की धन राशि संग्रह किए जाने का जिलेवार संलग्न विवरणानुसार लक्ष्य निर्धारित किया हुआ। शिक्षक कल्याण कोष में धन-संग्रह पूर्व मनोयोग एवं सम्पूर्ण प्रयास से एक अभियान के रूप में शिक्षक दिवस 05 सितम्बर से झण्डियों की बिक्री का शुभारंभ कर 30.09.2019 तक शिक्षकों के कल्याणार्थ धन संग्रह किया जाना है। तत्पश्चात् एकत्रित धन राशि सचिव कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर को एकत्रित धन राशि का बैंक ड्रफ्ट भेजा जावे।
2. **धन संग्रह हेतु शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षक वर्ग व अन्य का सहयोग :-** लक्ष्य की पूर्ति के लिए शिक्षा जगत के समस्त वर्ग के अधिकारी, व्याख्याता, अध्यापक, कर्मचारी एवं पंचायत समितियों के अधीन कार्यरत विद्यालयों के शिक्षकों (राजकीय/गैरराजकीय) छात्र/छात्रा से इस कार्य को सम्पन्न कराने, दानस्वरूप धन एकत्रित करने एवं अपना सम्पूर्ण योगदान करने हेत निवेदन किया जावे ताकि धन संग्रह अधिकाधिक हो सके एवं लक्ष्य की प्राप्ति संभव होकर शिक्षकों के कल्याणार्थ अनेक अन्य योजनाएं प्रारम्भ हो सके।
3. **धन संग्रह हेतु अन्य सुप्रसिद्ध संस्थाओं एवं दान-दाताओं का सहयोग :-**
   1. योजना की सफलता के लिए स्थानीय निकाय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, रोटरी क्लब, लॉयन्स क्लब, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, शिक्षक संघों, पत्रकार बन्धुओं एवं संघों, अन्य विशिष्ठ जन-समुदाय एवं व्यक्तियों से शिक्षकों के कल्याणार्थ

धन-संग्रह के लिए सहयोग प्राप्ति हेतु बैठकों का आयोजन कर निवेदन किया जावे ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके एवं इन्हें इस अवसर की उपादेयता तथा कार्यक्रमों की जानकारी हो सके।

2. स्वेच्छा से चन्दा एवं दानदाताओं से दान स्वरूप धन-संग्रह हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों/उद्योगपतियों को कार्यक्रमों की जानकारी सहित उदारता से सहयोग करने हेतु व्यक्तिशः एवं इनके संगठनों से निवेदन करना। दान की कोई सीमा नहीं है। दानदाताओं का नाम, पता एवं राशि के उल्लेख सहित अलग से पत्र प्रेषित करें ताकि धन्यवाद का पत्र प्रेषित किया जा सकें।

4. **योजना की सफलता हेतु कार्यक्रमों का आयोजन :-** धन संग्रह हेतु इस अवसर पर विभिन्न शैक्षिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना आवश्यक है ताकि समाज में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की जानकारी परिलक्षित हो सके। ऐसे कार्यक्रमों में किसी भी सम्माननीय एवं सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है।

5. **धन संग्रह हेतु प्रचार, प्रसार, सांस्कृतिक तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन :-** जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) अपने जिले में एवं संस्था प्रधान उच्च माध्यमिक/माध्यमि/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम भी निम्नानुसार आयोजित करें :-

1. विशिष्ठ स्थानों पर वर्णनात्मक पोस्टारों, सिनेमा स्लाइडों, दूरदर्शन टेलिविजन अखिल भारतीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाना।
2. केन्द्र सरकार से प्राप्त पोस्टरर्स का वितरण करना, पोस्टर को उचित स्थान पर लगाया जावे।
3. सिनेमा मालिकों/प्रदर्शकों से 05 सितम्बर को एक शो आय राष्ट्रीय कल्याण प्रतिष्ठान के लिए दान करने का अनुरोध करना।
4. राजकीय/गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं सहित विभिन्न संगठनों, शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ठ एवं सराहनीय कार्य करने पर उन्हें सम्मानित करने जैसे विशेष समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। शिक्षकों को भावी पीढ़ी के निर्माता के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके जीवनवृत्त, योगदान तथा तृष्टिकोणों पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं एवं संगोष्ठियों, आदि का आयोजन किया जावे।
5. सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियाँ, खेल-कूद प्रतियोगिताएं, मैत्रीपूर्व क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंन्टन, खो-खो आदि कार्यक्रमों का आयोजन।
6. सांस्कृतिक संगठनों एवं शिक्षक संघों, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से शिक्षक दिवस से एक या दो दिन पूर्व विशेष मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करवाकर कोष के लिए धन संग्रह करवाना।

6. **शिक्षकों के कल्याणार्थ प्रतिष्ठान के लिए धन-संग्रह हेतु उत्तरदायित्व :-** समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिलों के शिक्षा अधिकारियों, मुख्यालयों (माध्यमिक/प्रारंभिक) द्वारा, राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में झण्डियों का वितरण करवाकर शिक्षकों के कल्याणार्थ शिक्षक दिवस दिनांक 05.09.2019 को झण्डियों की बिक्री कर शुभारंभ कर धन-संग्रह करवाना। धन संग्रह किए जाने एंव शिक्षक दिवस 05 सितम्बर के समस्त कार्यक्रमों को शालीनता एवं पूर्ण उत्साह से सम्पन्न कराये जाने तथा प्रतिष्ठान के लिए अपना सम्पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की कार्यवाही करना।

7. **झण्डियों का मूल्य, वितरण व्यवस्था एवं लक्ष्य अनुसार धन संग्रह :-**

1. झण्डियों की बिक्री मूल्य 2/- (दो रूपये) निर्धारित की गई है।
2. राज्य में जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक शिक्षा), जयपुर द्वारा सीधे ही जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक) को झण्डियों का वितरण किया जावेगा।
3. जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) अपने अधीनस्थ राजकीय/गैर राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में झण्डियों का वितरण करेंगें तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मार्गदर्शन एवं धन-संग्रह करवायेंगें। झण्डियों के विक्रय से विद्यालयों द्वारा संग्रहित धनराशि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा एकत्रित की जावेगी तथा उस धनाराशि का एक ही ड्राफ्ट निदशालय में भिजवायें। ध्यान रखें कि विद्यालय स्तर से सीधे ही निदेशालय को ड्राफ्ट नहीं भिजवावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारंभिक शिक्षा) अपने अधीनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों एवं पीईईओ/प्रा./उप्रा. (राजकीय/गैर राजकीय) विद्यालयों से धन-संग्रह हेतु मार्गदर्शन देंगें तथा धन संग्रह करवायेगें, एवं संग्रहित राशि जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारंभिक शिक्षा) झण्डियों के विक्रय से एकत्रित राशि का समेकित बैंक ड्राफ्ट निदेशालय को भेजेंगे।

8. **झण्डियों की बिक्री से प्राप्त राशि कहां से और किसको कैसे भेजी जावे :-** कृपया झण्डियों की बिक्री एवं अन्य आयोजनीय कार्यक्रमों से प्राप्त धन राशि का बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर (NATIONAL FOUNDATION FOR TEACHERS WELFARE FUND SEC. DEU. RAJ., BIKANER) के नाम बनाकर प्रेषित करें।

अतः हम समस्त का उत्तरदायित्व है कि 05 सितम्बर शिक्षक दिवस को पूर्ण शालीनता एवं उत्साह पूर्वक मनावें एवं इस कल्याणकारी योजना में अधिक से अधिक झण्डियों की ब्रिकी कर

(राजकीय/गैरराजकीय संस्थाओं से) धनराशि जुटाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

नोट :

1. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक/प्रांरभिक) द्वारा जो झंडियां विद्यालयों में विक्रय हेतु वितरण की जाती हो उस विक्रय से प्राप्त राशि के बैंक ड्राफ्ट विद्यालयों द्वारा सीधे ही निदेशालय भेजे जाते थे, के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अब उक्त एकत्रित धन राशि निदेशालय को विद्यालयों द्वारा सीधे न भेजी जाकर जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर संग्रहित कर जिले का एक ही बैंक ड्राफ्ट बनाकर निदेशालय को प्रेषित किया जावे।
2. बैंक ड्राफ्ट भिजवाने हेतु पता-सचिव कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

● उप निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान बीकानेर
राजस्थान राज्य के लिए धन संग्रह हेतु जिलेवार लक्ष्य
माध्यमिक शिक्षा हेतु (सत्र 2019-20)

जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक शिक्षा)		आवंटित झण्डियां	आवंटित राशि (लक्ष्य निर्धारित)
1. चूरू मण्डल			
1.	चूरू	30,000	60, 000
2.	झुंझुनूं	50,000	1,00,000
3.	सीकर	50,000	1,00,000
	योग	**1,30,000**	**2,60,000**
2. जयपुर मण्डल			
4.	जयपुर	60,000	1,20,000
5.	अलवर	47,500	95,000
6.	दौसा	25,000	50,000
	योग	**1,32,500**	**2,65,000**
3. उदयपुर मण्डल			
7.	उदयपुर	45,000	90,000
8.	चित्तौड़गढ़	20,000	40,000
9.	बांसवाड़ा	20,000	40,000
10.	डूंगरपुर	17,500	35,000
11.	राजसमन्द	17,500	35,000
12.	प्रतापगढ़	17,500	35,000
	योग	**1,37,500**	**2,75,000**
4. भरतपुर मण्डल			
13.	भरतपुर	40,000	80,000
14.	सवाईमाधोपुर	22,500	45,000
15.	करौली	22,500	45,000
16.	धौलपुर	20,000	40,000
	योग	**1,05,000**	**2,10,000**
5. जोधपुर मण्डल			
17.	जोधपुर	45,000	90,000
18.	बाड़मेर	20,000	40,000
19.	जैसलमेर	10,000	20,000
	-	-	-
	योग	**75,000**	**1,50,000**
6. कोटा मण्डल			
20.	कोटा	50,000	1,00,000
21.	बूंदी	17,500	35,000
22.	झालावाड़	17,500	35,000
23.	बारां	17,500	35,000
	योग	**1,02,500**	**2,05,000**
7. पाली मण्डल			
24.	पाली	32,500	65,000
25.	जालोर	20,000	40,000
26.	सिरोही	20,000	40,000
	योग	**72,500**	**1,45,000**
8. बीकानेर मण्डल			
27.	बीकानेर	35,000	70,000
28.	गंगानगर	35,000	70,000
29.	हनुमानगढ़	32,500	65,000
	योग	**1,02,500**	**2,05,000**
9. अजमेर मण्डल			
30.	अजमेर	50,000	1,00,000/-
31.	नागौर	37,500	75,000/-
32.	भीलवाड़ा	37,500	75,000/-
33.	टोंक	17,500	35,000/-
	योग	**1,42,500**	**2,85,000/-**

प्रारंभिक शिक्षा हेतु (सत्र 2019-20)

जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा)		आवंटित झण्डियां	आवंटित राशि (लक्ष्य निर्धारित)
1.	बीकानेर	30,000	60,000/-
2.	चूरू	30,000	60,000/-
3.	श्री गंगानगर	35,000	70,000/-
4.	हनुमानगढ़	30,000	60,000/-
5.	झुंझुनूं	35,000	70,000/-
	योग	**1,60,000**	**3,20,000/-**

6.	जयपुर	50000	1,00,000/-
7.	अलवर	32,500	65,000/-
8.	सीकर	32,500	65,000/-
9.	दौसा	20,000	40,000/-
	योग	**1,35,000**	**2,70,000/-**
10.	उदयपुर	30,000	60,000/-
11.	चित्तौड़गढ़	20,000	40,000/-
12.	बांसवाड़ा	12,500	25,000/-
13.	डूंगरपुर	12,500	25,000/-
14.	राजसमन्द	12,500	25,000/-
15.	प्रतापगढ़	12,500	25,000/-
	योग	**1,00,000**	**2,00,000/-**
16.	भरतपुर	25,000	50,000/-
17.	सवाईमाधोपुर	17,500	35,000/-
18.	करौली	17,500	35,000/-
19.	धौलपुर	15,000	30,000/-
	योग	**75,000**	**1,50,000/-**

20.	जोधपुर	35,000	70,000/-
21.	पाली	32,500	65,000/-
22.	बाड़मेर	17,500	35,000/-
23.	जालोर	17,500	35,000/-
24.	सिरोही	17,500	35,000/-
25.	जैसलमेर	10,000	20,000/-
	योग	**1,30,000**	**2,60,000/-**
26.	कोटा	45,000	90,000/-
27.	बूंदी	15,000	30,000/-
28.	झालावाड़	15,000	30,000/-
29.	बारां	15,000	30,000/-
	योग	**90,000**	**1,80,000/-**
30.	अजमेर	40,000	80,000/-
31.	नागौर	25,000	50,000/-
32.	भीलवाड़ा	25,000	50,000/-
33.	टोंक	20,000	40,000/-
	योग	**1,10,000**	**2,20,000/-**

उप निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

शिविरा पञ्चाङ्ग : अगस्त-2019

अगस्त-2019					
रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	31

अगस्त 2019 ● कार्य दिवस-25, रविवार-04, अवकाश-02, उत्सव-04 ● 01 अगस्त-''असहयोग आंदोलन'' के प्रारम्भ के स्मरण में समस्त विद्यालयों में 'असहयोग आंदोलन' से सम्बन्धित भाषण/निबन्ध/पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन (गाँधी सार्ध शताब्दी महोत्सव)। 03 अगस्त-सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)। 09 अगस्त-कृमि मुक्ति दिवस-समस्त विद्यार्थियों को डिवर्मिंग दवा (एल्बेंडाजॉल) खिलाएँ। 09 अगस्त से 15 अगस्त (स्वाधीनता सप्ताह)-'भारत छोड़ो आंदोलन' के प्रारम्भ के स्मरण में समस्त विद्यालयों में महात्मा गाँधी तथा 'स्वतंत्रता संग्राम एवं शहीदों' से सम्बन्धित विभिन्न भाषण/क्विज/निबन्ध/पेंटिंग/पोस्टर प्रतियोगिता का विद्यालय एवं जिला स्तर पर सतत आयोजन (गाँधी सार्ध शताब्दी महोत्सव)। 12 अगस्त-ईदुल जुहा (अवकाश चन्द्र दर्शनानुसार)। 15 अगस्त-स्वतंत्रता दिवस (अवकाश-उत्सव अनिवार्य), रक्षा बन्धन (अवकाश) एवं संस्कृत दिवस (उत्सव), महात्मा गाँधी एवं स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित विशिष्ट चित्र प्रदर्शनी का आयोजन (गाँधी सार्ध शताब्दी महोत्सव)। 16 अगस्त-SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यो हेतु आवश्यक निविदा कार्यवाही सम्पन्न करना। 17 अगस्त से पूर्व-प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समूह की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का अनिवार्य रूप से आयोजन। 17 अगस्त-सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)। 19 अगस्त-मॉप अप दिवस-कृमि मुक्ति दिवस (09 अगस्त-2019) को वंचित रहे विद्यार्थियों को डिवर्मिंग दवा (एल्बेंडाजॉल) खिलाएँ। 20 अगस्त-सद्भावना दिवस-राजीव गाँधी जयन्ती। 19-21 अगस्त-प्रथम परख का आयोजन। 22 से 23 अगस्त-जिला स्तरीय नेहरु हॉकी सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता का आयोजन। 24 अगस्त-जन्माष्टमी (अवकाश-उत्सव)। 26 अगस्त-राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार (RSCERT)। 27 से 29 अगस्त-राज्य स्तरीय नेहरु हॉकी सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता का आयोजन। 30 अगस्त-सामुदायिक बाल सभा का आयोजन-सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर आयोज्य, PTM-I का आयोजन। 31 अगस्त-SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्रपर्यन्त किए जाने वाले कार्यो हेतु निविदा कार्यवाही उपरांत क्रयादेश/कार्यादेश जारी करना। ● प्रत्येक सोमवार-WIFS नीली गोली (कक्षा 6-12), WIFS पिंक गोली (कक्षा 1-5)।

माह :
अगस्त, 2019

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

प्रसारण समय :
दोपहर 12.40 से 1.00 बजे तक

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
01.08.2019	गुरुवार	जोधपुर	12	हिन्दी (अनि.)	5	वीर रस के कवि (भूषण)
02.08.2019	शुक्रवार	बीकानेर	12	हिन्दी (अनि.)	3	नीति के दोहे (रहीम)
03.08.2019	शनिवार	जयपुर	12	हिन्दी (अनि.)	16	ममता (कहानी) जयशंकर प्रसाद
05.08.2019	सोमवार	उदयपुर	12	हिन्दी (अनि.)	12	मजदूरी और प्रेम (पूर्ण सिंह)
06.08.2019	मंगलवार	जोधपुर	12	भौतिक विज्ञान	8	चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण
07.08.2019	बुधवार	बीकानेर	12	राजनीति विज्ञान	खंड व इकाई 4-2	संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं विश्व शान्ति स्थापना में योगदान
08.08.2019	गुरुवार	जयपुर	12	इतिहास	4	मुगल आक्रमण : प्रकार और प्रभाव
09.08.2019	शुक्रवार	उदयपुर	12	इतिहास	5	उपनिवेशवादी आक्रमण
10.08.2019	शनिवार	जोधपुर	10	हिन्दी	11	ईदगाह
13.08.2019	मंगलवार	बीकानेर	गैरपाठयक्रम	संस्कृत दिवस		
14.08.2019	बुधवार	जयपुर	गैरपाठयक्रम	स्वतंत्रता दिवस		
15.08.2019	गुरुवार	स्वतंत्रता दिवस (अवकाश-उत्सव-अनिवार्य) रक्षाबंधन (अवकाश) एवं संस्कृत दिवस (उत्सव)				
16.08.2019	शुक्रवार	उदयपुर	12	भूगोल	12	पर्यावरण समस्याएं एवं समाधान
17.08.2019	शनिवार	जोधपुर	गैरपाठ्यक्रम	सद्भावना दिवस, राजीव गाँधी जयन्ती (20 अगस्त को)		
19.08.2019	सोमवार		प्रथम परख			
20.08.2019	मंगलवार	प्रथम परख, सद्भावना दिवस राजीव गाँधी जयन्ती (उत्सव)				
21.08.2019	बुधवार	प्रथम परख				
22.08.2019	गुरुवार	बीकानेर	10	हिन्दी	15	ईर्ष्या तू न गयी मेरे मन से
23.08.2019	शुक्रवार	जयपुर	गैरपाठ्यक्रम	जन्माष्टमी		
26.08.2019	सोमवार	उदयपुर	10	हिन्दी	5	राजिया रा सोरठा
27.08.2019	मंगलवार	जोधपुर	10	विज्ञान	18	भारतीय वैज्ञानिकःजीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ
28.08.2019	बुधवार	बीकानेर	10	विज्ञान	19	जैव विविधता एवं इसका संरक्षण
29.08.2019	गुरुवार	जयपुर	12	राजनीति विज्ञान	खंड-व इकाई 1-1	भारत के संविधान की विशेषताएँ
30.08.2019	शुक्रवार	उदयपुर	10	विज्ञान	10	विद्युत धारा
31.08.2019	शनिवार	जोधपुर	10	सामाजिक विज्ञान	5	लोकतंत्र

आवश्यक सूचना

● 'शिविरा' मासिक पत्रिका में रचना भेजने वाले अपनी रचना के साथ व्यक्तिगत परिचय यथा- नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी. नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ। ● कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अतः अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है।

-वरिष्ठ संपादक

वर्तमान संदर्भ में एक बालक से चहुँओर से अपेक्षा की जाती है कि वह ये बने, वो बने। घर में, समाज में, मित्रों में, विद्यालय में यहाँ तक की राष्ट्र की भी उससे यही अपेक्षा होती है कि वह श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देते हुए अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, उद्यमी बने। उसकी सफलता या असफलता का मापदण्ड उसके द्वारा प्राप्त की गई पोजीशन, स्थान, पद, प्रतिष्ठा से लगाया जाने लगा है। कड़वी सच्चाई यह भी है कि पद, प्रतिष्ठा मान-सम्मान यह समस्त भौतिकतावादी व्यवस्था से जुड़े हुए पहलू हैं, इनके वशीभूत व्यक्ति कई बार अपनों से दूर हो जाता है। उसके पास या तो अपनों के लिए समयाभाव है या फिर वह उन्हें अपने स्टेट्स के अनुसार न पाकर उनसे दूरी बनाए हुए हैं। इस संदर्भ में आज सर्वाधिक आवश्यकता है तो यह है कि बालमन पर जीवन मूल्य, संस्कार, जीवन चरित्र, विद्यालय एवं अपने परिवेश के प्रति आत्मीयता, त्याग, परोपकार जैसे गुणों का बीजारोपण हो। यह कार्य एक शिक्षक भली भांति कर सकता है। हालांकि उसकी अपनी समस्याएँ भी हैं।

आज एक शिक्षक के समक्ष दोहरी चुनौती है। प्रथम उसे अन्य विद्यालयों और विषयों की तुलना में श्रेष्ठ परिणाम देना है तो दूसरी तरफ शिक्षक धर्म का निर्वाह करते हुए अपने विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का इस कदर बीजारोपण करना है कि उनकी जड़ें अत्यंत गहरी हो जाएँ, फिर चाहे जीवन में कितने भी आँधी-तूफान क्यों न आएँ उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा मूल्यों की जड़ें दूब (दूर्वा) की भाँति सदैव हरी रहे। उनमें संवेदनशीलता, मानवीय मूल्य, चरित्र, त्याग के प्रति सम्मान की भावना रहे। यह सही भी है, इसांन कितनी ही ऊँचाइयों को छू ले लेकिन दुःखी व्यक्ति को देखकर उसे दुःख न होता हो, माँ-बाप और गुरुजनों के प्रति सम्मान में उसका शीश न झुके तो उसकी उन्नति किसी काम की नहीं रह जाती। आज विद्यार्थी और युवाओं में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसका एक सीमा तक समाधान शिक्षकों के हाथ में ही है। विद्यालय में छोटे-छोटे नवाचारों से वह सब कुछ हासिल हो सकता है जिसकी आज सबको चाहत है। चाहे वह परिवार हो, विद्यालय हो, समाज हो या फिर राष्ट्र हो।

मेरा अनुभव

शिक्षा में नवाचार

❒ डॉ. सूरजसिंह नेगी

कुछ ऐसे ही नवाचार शिक्षकगणों के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं। आइए जानेः-

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश कि प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी एक आदर्श विद्यालय को गोद लें। वर्ष 2015 में उपखण्ड अधिकारी, टोंक के पद पर रहते हुए राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, बमोर को गोद लेकर प्रिंसीपल शहजादे मियां के साथ मिलकर विद्यालय में विभिन्न नवाचार करवाए।

इन नवाचारों के अन्तर्गत :

- विद्यालय प्रागंण में सरस्वती प्रतिमा की स्थापना।
- विद्यार्थियों के लिए पहचान पत्र की उपलब्धता।
- **'स्टार ऑफ द क्लास' व 'स्टार ऑफ द स्कूल' –** विद्यार्थियों में स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रतियोगिता के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया गया। प्रतिमाह कक्षावार प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित उपस्थिति, यूनिफार्म, होमवर्क, अन्य गतिविधियों में भागीदारी, शिक्षक-साथी के प्रति एटीट्यूड आदि मापदण्डो के आधार पर

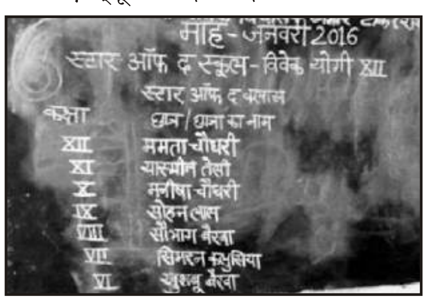

  रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सर्वाधिक स्कोर वाला विद्यार्थी 'स्टार ऑफ द क्लास' घोषित किया जाकर प्रमाण पत्र दिया गया एवं आगामी एक माह तक 'स्टार ऑफ द क्लास' के बोर्ड के साथ कक्षा में उसकी तस्वीर (फोटो) लगाई गई। इसी तर्ज पर पूरे विद्यालय से एक विद्यार्थी का चयन कर -स्टार ऑफ द स्कूल' घोषित किया जाना आरम्भ किया गया।
- **इनसे मिलिए, इनको जानिए' –** सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके इसके लिए विभागीय अधिकारियों को विद्यालय में आमन्त्रित कर योजना के विषय में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दिया जाना आरम्भ किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, प्रशासन, पुलिस, समाजसेवा से जुड़े अधिकारी एवं प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने जैसे कार्यक्रम आरम्भ किए गए।
- कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से दो माह पूर्व अवकाश के दिनों में अतिरिक्त कक्षाएँ आरम्भ की।
- विद्यालय में संगीतमय प्रार्थना सभा का आरम्भ।
- टोंक में ही बच्चों में साहित्यिक रुचि विकसित करने के उद्देश्य से स्कूल स्तर पर रुचि अनुसार कहानी, कविता, निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई गई। प्रत्येक विद्यालय से सर्वश्रेष्ठ तीन प्रतिभागियों को शामिल करते हुए बीस विद्यालयों के कुल 60 बच्चों को जिला मुख्यालय पर बुलाकर अन्तर विद्यालयी कहानी प्रतियोगिता का आयोजन कर सर्वश्रेष्ठ 11 बाल कहानीकारों का चयन कर प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
- भामाशाहों से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय में आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ जुटाई गई; जैसे-वाटर कूलर, आरओ, फर्नीचर, पंखे इत्यादि।

परिणाम : बमोर में अपनाए गए नवाचारों के बेहद उत्साहवर्धक परिणाम रहे–

- सत्र 2017-18 में राजस्थान कौंसिल ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन द्वारा फाईव

स्टार स्कूल घोषित किया गया।

- विद्यालय से दो छात्र नवीन वर्मा एवं मनीष प्रजापत नेशनल एथलेटिक्स एवं एक छात्र संजय कुमार बैरवा ने अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैराथन दौड़ में भाग लिया।
- वर्ष 2017 में विद्यालय के प्रधानाचार्य शहजादे मियां को जयपुर में शिक्षा संकुल में सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
- नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई।
- नवाचारों का गुणात्मक पक्ष भी उत्साहवर्धक रहा। विद्यार्थियों में विद्यालय, स्वयं अध्ययन एवं अनुशासन के प्रति व्यवहारगत परिवर्तन एवं जागरूकता उत्पन्न हुई। यहाँ तक कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी स्थानीय विद्यार्थी विद्यालय में स्थित सरस्वती मन्दिर में आराधना कर रहे हैं। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती मन्दिर में हवन किया जाने लगा है। विद्यार्थी विकसित किए गए लॉन में पेड़-पौधों की सार-संभाल करने लगे। इसके अतिरिक्त सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के साथ ही भविष्य के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। साहित्यिक गतिविधियों की तरफ बच्चों के रूझान का यह परिणाम रहा कि आज टोंक में आयोजित होने वाली परिचर्चा, संगोष्ठी में स्कूली बच्चे न केवल श्रोता होते हैं अपितु वह विषय पर अपनी बात भी रखने लगे हैं।

सहयोगी जिन्होंने नवाचारों को पंख लगाए – प्रधानाचार्य शहजादे मियां के अतिरिक्त व्याख्याता शाहीन आफरोज़ हीरालाल गौतम, कालूराम यादव, रमेशचन्द्र खटीक, वसीम बानो, हिना कौसर एवं गणेश

नायक वह लोग थे, जिन्होंने नवाचार के विचारों का न केवल स्वागत किया बल्कि मूर्त रूप प्रदान करने में सहयोग दिया।

वर्ष 2018 में उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ (अजमेर) में पदस्थापन के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजगरा को गोद लिया। बमोर विद्यालय में आरम्भ किए गए नवाचार 'स्टार ऑफ द क्लास'-स्टार ऑफ द स्कूल' एवं 'इनसे मिलिए-इनको जानिए' के अतिरिक्त वहाँ दो नए नवाचार आरम्भ किए।

इनसे मिलिए- इनको जानिए को 'एक दिन मेहमान का' के नाम से नवाचार शुरू किया गया।

अन्य नवाचार –

- **आओ वृक्ष गोद लें –** विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की दृष्टि से पूरी स्कूल के विद्यार्थियों को समूह में वृक्ष गोद दिए गए। गोद लिए गए वृक्ष के समीप एक बोर्ड लगाया जाकर समूह के विद्यार्थियों के नाम अंकित किए गए।
- **मेरा कोना सबसे अच्छा –** विद्यालय परिसर मे स्थित विभिन्न कोने प्रायः उपेक्षित ही रहते हैं। इसके लिए एक पहल की गई। समस्त विद्यार्थियों को अलग-अलग समूहों में बांटकर विद्यालय के कोने गोद दिए गए। गोद लिए गए कोनों में उनके द्वारा साफ-सफाई से लेकर रंगाई-पुताई, चित्रकारी एवं पौधों की क्यारी बनाकर फुलवारी विकसित करने संबंधी कार्य आरम्भ करवाए गए।
- अजगरा के अलावा सरवाड़ में स्कूली विद्यार्थियों से 'माँ के नाम पत्र लेखन प्रतियोगिता' का आयोजन करवाया जाकर प्रशस्ति पत्र दिए गए।
- विद्यार्थियों की साहित्यिक, कलात्मक अभिरुचि का विकास करने के उद्देश्य से कहानी, कविता लेखन एवं शिल्पकला व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालय के बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपखण्ड स्तर पर आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

सहयोगी जिन्होंने नवाचारों को पंख लगाए – प्रधानाचार्या रजनी लाखोटिया के अतिरिक्त व्याख्याता जाकिर हुसेन, बालमुकुन्द शर्मा, बृज किशोर वैष्णव, स्नेहलता पारीक,

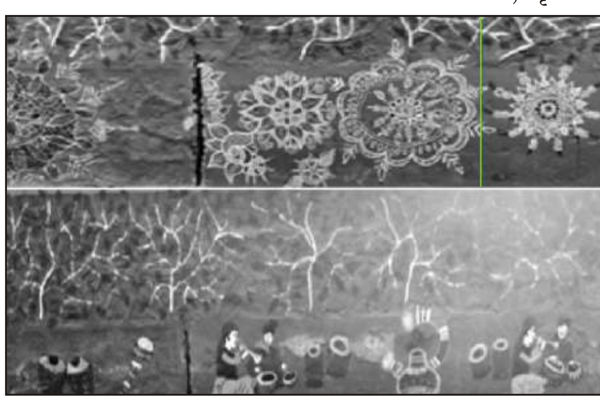

प्रतिभा माथुर, प्रदीप जैन समेत स्टॉफ के सदस्यों ने नवाचारों को पंख लगाए।

परिणाम यहाँ भी बेहद उत्साहवर्धक रहे। विद्यार्थियों में विद्यालय परिसर, पर्यावरण के प्रति विशेष लगाव देखा जा रहा है। गोद लिए गए कोने को सर्वश्रेष्ठ बनाने की होड़ में खाली समय में विद्यार्थियों को अपने-अपने कोने के समीप साफ-सफाई, पेंटिंग करते देखा जा सकता है। 'स्टार ऑफ द क्लास-स्टार ऑफ द स्कूल' के आशातीत परिणाम रहे। विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच, विद्यालय, अध्यापक एवं सहपाठियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार, अनुशासन जैसे गुणों का विकास देखा जा रहा है। 'एक दिन मेहमान का' कार्यक्रम भी उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाला एवं ज्ञानवर्धन में सहयोगात्मक रहा है।

विद्यालय स्टाफ ने भी विद्यालय में स्थित कुछ वृक्ष गोद लेकर मिसाल कायम की है जिनमें स्वयं प्रिंसिपल रजनी लाखोटिया शामिल हैं।

अगस्त, 2018 में उपखण्ड अधिकारी पीपलू, टोंक के पद पर पदस्थापन के दौरान उक्त सभी नवाचारों को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किए जाने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनवाडा में प्रधानाचार्य पन्नालाल एवं उनकी पूरी टीम इन नवाचारों को अपना रही है एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणोली में प्रधानाचार्य हनुमान प्रसाद जाट एवं विद्यालय के अन्य शिक्षक इन नवाचारों से प्रभावित होकर इन्हें अपने विद्यालय में अपना रहे हैं; जिनके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

अन्य नवाचार –

- **गुरुजन सम्मान कार्यक्रम** : 5 सितम्बर, 2018 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उपखण्ड पीपलू में समस्त पीईईओ से श्रेष्ठ शिक्षकों के नाम आमन्त्रित किए जाकर सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। कुल 75 कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को आमन्त्रित कर श्रीफल, कलम एवं पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया।
- **गुरु की पाती, शिष्य के नाम** : शिष्यों को जीवन का अनुभव, जीवन चरित्र, जीवन मूल्यों के साथ सीख देते हुए शिक्षकों को पाती लेखन के लिए प्रेरित किया गया। राज्य भर से कुल 72 पातियाँ प्राप्त हुई, जिनको संपादित कर एक पुस्तक का आकार देने का कार्य प्रगति पर है।

अक्टूबर, 2018 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) बूंदी के पद पर पदस्थापन के पश्चात् सम्पूर्ण जिले में उक्त नवाचारों को अपनाया जा रहा हैं। अब तो स्वयं जिला कलेक्टर बूँदी श्रीमती रूकमणि रियार विद्यालय में इन नवाचारों की मॉनिटरिंग कर रही हैं एवं प्रति सोमवार साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में जिले भर के शिक्षाधिकारियों से नवाचारों पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

बूँदी पदस्थापन के दौरान ही पाती लेखन का एक अन्य नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में आरम्भ किया गया।

- **शिष्य की पाती गुरु के नाम** : शिष्यों का आह्वान कर गुरु को पत्र लिखने की एक नई मुहिम आरम्भ की गई। अभी तक राज्य के बूँदी, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, भरतपुर, नागौर जिले में स्थित दो दर्जन से अधिक विद्यालयों में पाती लेखन का आयोजन हो चुका है। राज्य से बाहर उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले में स्थित विद्यालयों में भी आयोजन किया जा रहा है।

  इसके अतिरिक्त देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित विद्यालयों में गुरु के नाम पत्र लिखवाए जा रहे हैं एवं सर्वश्रेष्ठ तीन पत्र हमारे पास भिजवाए जा रहे हैं, जिनको संपादित कर निकट भविष्य में पुस्तक का आकार देने की योजना है। अब तक लगभग 800 छात्र-छात्राएँ गुरु को पाती लिख चुके हैं।
- **कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा –** कलात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से बूँदी में स्कूली विद्यार्थियों को चित्रकारी के लिए प्रेरित किया गया। जिलेभर के कुल 225 विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया जिनमें से श्रेष्ठ 42 चित्रों का चयन कर जिला कलेक्टर, बूँदी श्रीमती रूकमणि रियार की प्रेरणा से बूंदी के पं. बृजकिशोर शर्मा सामान्य चिकित्सालय की गैलेरी में

दीवारों पर लगाया गया। इससे जहाँ जिले भर में कला के प्रति विद्यार्थियों का रूझान ज्ञात हुआ, वहीं विद्यालय को भी उनकी प्रतिभा का आभास हुआ और उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को राजकीय अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थल पर लगाए जाने से विद्यार्थी प्रोत्साहित हो रहे हैं। इस कार्य में श्रीमती तेजकंवर जिला शिक्षा अधिकारी, श्री ओमप्रकाश गोस्वामी अति. जिला शिक्षा अधिकारी बूँदी एवं जिले के विभिन्न संस्थाप्रधानों का विशेष सहयोग रहा।

कुल मिलाकर यह ऐसे छोटे-छोटे नवाचार हैं जिनको हम खेल-खेल में अपना सकते हैं। इससे जहाँ विद्यार्थियों में संस्कार सृजन, अनुशासन में वृद्धि, विशुद्ध प्रतियोगिता का जन्म, जागरूकता का विकास होगा वहीं पर्यावरण एवं अपने परिवेश के प्रति लगाव होने के साथ विद्यालय के प्रति अपनत्व एवं आत्मीयता का भाव भी उत्पन्न होगा, जिनकी शायद आज सर्वाधिक आवश्यकता है एवं आज अभिभावक, शिक्षक एवं समाज का सिरदर्द बन चुके सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से भी युवा पीढ़ी को निजात दिलाई जा सकती है। बच्चे की अभिरुचि पहचान उसे विकसित करने से यह संभव है और जहाँ नवाचार अपनाए गए हैं इसके सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। सबसे सुखद पहलू यह है कि इन नवाचारों के प्रति पृथक से किसी अतिरिक्त फण्ड, शिक्षण कार्य में कटौती या अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। दिए गए समय में ही यह सब हो सकता है।

(RAS)
413, रामानुजन निवास, वनस्थलीविद्यापीठ,
निवाई (टोंक-राज.)-304022
मो: 9460709680

रपट

पर्यावरण संरक्षण

सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में पौधारोपण

❒ गिरधारी गोदारा

सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में पौधारोपण महाअभियान में मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान नथमल जी डिडेल व विशिष्ट अतिथि उपनिदेशक प्रेमवती शर्मा थे। उपप्रधानाचार्य अजय पाल सिंह शेखावत ने बताया कि सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में व्याख्याता सुभाष चन्द्र जी गोदारा की अगुवाई में इसी मौसम मे 2100 पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य रखा है।

व्याख्याता गिरधारी गोदारा ने बताया कि आज निदेशक महोदय ने शाला प्रांगण मे अशोक के 31 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण की शुरुआत की। निदेशक महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन मे प्रति वर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए, उन्होंने एक साथ इतने पौधे लगाने के अभियान की प्रशंसा की और शाला परिवार को इस हेतु प्रोत्साहित किया। आवासीय ग्रहस्पति नागेन्द्र जी शर्मा ने बताया कि विद्यालय में सभी छायादार व फ़लदार पौधे लगाए जाएंगे क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है फ़लदार व छायादार पौधों से छात्रों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। वृक्ष रोपण के साथ ही विद्यालय के पार्क में दूब लगाकर हरा भरा किया जा रहा है।

इस पूरे अभियान मे पूरा विद्यालय परिवार पूर्ण समर्पण भाव से लगा हुआ है। विदित रहे ये विद्यालय पूरे राजस्थान मे खेलों के लिए विशिष्ट विद्यालय है इसका प्रधानाचार्य उपनिदेशक स्तर का अधिकारी होता है। अभी प्रधानाचार्य पद पर प्रेमवती शर्मा (उपनिदेशक) पदस्थापित है। इस दौरान शाला के व्याख्याता सुभाष चन्द्र जी गोदारा, रतन लाल जी छलानी, सत्यपाल जी गोदारा, कल्पना जी चतुर्वेदी, शिल्पा जी मेहता, रीना जी, राजेश जी कछावा, सुमेर सिंह जी व अनिल जी गोयल, जगदीश जी खत्री, दिनेश जी शर्मा, मनोज जी तन्वर, लक्ष्मी जी चौधरी, बिरमा जी बिश्नोई, सुनिता जी शेखावत, जावेद जी अखतर, सन्दीप सिघल, महेन्द्र जी रंगा, मधुबाला जी शर्मा, स्नेहलता जी, राजेश जी पड़ीहार, कान्ता जी, शशि जी विंग सहित सम्पूर्ण शाला परिवार उपस्थिति रहा।

व्याख्याता, वाणिज्य
सादुल स्पोर्ट्स स्कूल,
बीकानेर
मो: 9829265019

पौधारोपण व सेमिनार

❒ रामेश्वर प्रसाद शर्मा

1. 01 जून, 2019 को पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान का राज्य स्तरीय सम्मेलन शिक्षक सम्मान की गरिमा व शिक्षा विभाग विषय पर चूरू जिले के छापर स्थित राजकीय कल्याण बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा थे तथा अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मास्टर भँवरलाल जी मेघवाल ने की थी। विशिष्ट अतिथि संयुक्त निदेशक (कार्मिक विभाग) मा. शि. विभाग राजस्थान श्रीमती नूतन बाला कपिला थी। सम्मेलन में 22 जिलों से 200 से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों ने भाग लिया।

2. 07 जून 2019 को पुरस्कृत शिक्षक फोरम का 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल सिविल लाईन्स जयपुर स्थित निवास पर शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री गोविन्द सिंह डोटरसरा से मिला फोरम के महासचिव श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में फोरम की ओर से श्री डोटासरा का पाँच फूलदार पौधे लगे गमले भेंट करके उनका हार्दिक अभिनन्दन किया।

3. पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की ओर से 26 जून, 2019 को विद्यालयों के शैक्षिक विकास में शिक्षक विषय पर राज्य स्तरीय सेमीनार जयपुर के सुभाष चौक स्थित सेंट माइकल सी. सै. स्कूल के सभागार में आयोजित की। सेमीनार के मुख्य अतिथि संस्कृत व तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. सुभाष गर्ग थे। सेमीनार में राज्य के 120 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर फोरम की ओर से संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री के हाथों से 50 सरकारी विद्यालयों के 1000 जरूरतमन्द बच्चों को निःशुल्क स्टेशनरी वितरण का शुभारंभ भी किया।

महासचिव
3/403, चित्रकूट, वैशाली नगर,
गाँधी पथ, जयपुर-302021
मो: 9413801990

विद्यालय परिसर

संस्कारवान वातावरण निर्माण में सहायक कर्मचारी की भूमिका

❒ कन्हैया लाल बैरवा

स्वामी विवेकानंद ने कहा है-''शिक्षा द्वारा बालक की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास होता है जिससे वह देश और समाज का सुयोग्य नागरिक बनता है।''

आज के विद्यालय में वातावरण निर्माण करने का दायित्त्व मात्र शिक्षकों का न होकर विद्यालय परिवार के हर सदस्य का है। विद्यालय में माता-पिता अपने नौनिहालों को मात्र अक्षर ज्ञान के लिए ही नहीं भेजते अपितु वे सभी गुरुजनों पर यह विश्वास करके अपने कलेजे के टुकड़े को गुरुजनों को सौंपते हैं कि इनके योग्य मार्गदर्शन में मेरी भावी पीढ़ी शिक्षित होने के साथ-साथ स्वावलम्बन, संस्कार, श्रम निष्ठा, कर्त्तव्यपरायणता, सदाचरित जीवन की पवित्रता का पाठ सीखकर सुनागरिक बनने के साथ-साथ समाज की सेवा और सार सम्हाल करने लायक बनेगी।

ऐसी स्थिति में अभिभावकों की उम्मीद पर खरा उतरना, बालक का सर्वांगीण विकास करना अकेले शिक्षकों के ही बूते की बात नहीं होती। शिक्षकों के कार्यव्यवहार, चाल-चलन के अतिरिक्त वहाँ कार्यरत समस्त कार्मिकों के यथोचित व्यवहार आदि का भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। छोटे-छोटे कोमल निर्मल बालमन पर स्टाफ के अन्य कार्मिकों के निश्छल प्रेमपूर्ण व्यवहार का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में देखकर सीखना उसका उद्भुत गुण होता है। उसकी एकाग्रता और लगन बहुत तीक्ष्ण होती है। वह अपने परिवार और परिवेश में घटित हरेक घटना का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करता है, उसके जैसा करने की कोशिश करता है और धीरे-धीरे बार-बार कोशिश करते-करते उसकी नकल करने में सफल हो जाता है अर्थात् वैसा ही सीखने की अपनी योग्यता का उसे धीरे-धीरे अहसास होता है और उसका आत्म विश्वास बढ़ता है।

बालक विद्यालय में प्रवेश के समय योग्यता परीक्षण करने वाले शिक्षकों की हरेक गतिविधि का अवलोकन कर उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के आधार पर उनका चित्र अपने दिलो-दिमाग पर बना लेता है। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान, प्रस्तुतीकरण और समझदारी पर की गई हरेक टिप्पणी शिक्षक के प्रति विद्यार्थी के मन में मूरत बनाती जाती है।

इसी प्रकार योग्यता परीक्षण अथवा सम्भावित प्रवेश सुनिश्चिता के पश्चात् निर्धारित शुल्क या प्रवेश फार्म जमा कराने हेतु विद्यालय के लिपिक द्वारा अभिभावक और विद्यार्थी के साथ किए गए व्यवहार से भी विद्यालय के वातावरण व वहाँ की तस्वीर बननी प्रारंभ हो जाती है।

गुरुजन और लिपिक के अलावा विद्यालय में कार्यरत सहायक कर्मचारी के सेवाभावी, समय पाबन्दी, सक्रियता, मेहनती जीवन, स्वच्छता प्रहरी के रूप में सजगता का भी बालक के मन पर गहरा संस्कार पड़ता है। प्रार्थना सभा में सुने गए भाषण और प्रवचन की अपेक्षा दैनिक कार्य तत्परता से करते हुए सहायक कर्मचारी को देखना कई गुना अधिक बालक पर चमत्कारिक प्रभाव डालता है। विद्यालय में कार्यरत सहायक कर्मचारी का विभिन्न सूचनाएँ लेकर कक्षा-कक्षों में जाना, समय की पाबन्दी के साथ कालांश परिवर्तन की घंटी बजाना, संस्थाप्रधान द्वारा बुलावे पर तत्परतापूर्वक उपस्थित होना, जल के पात्रों को व्यवस्थित धोकर उनमें छानकर पानी भरना, स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु जल संसाधनों की नियमित सफाई करना, कक्षा-कक्षों के आगे कचरापात्र को व्यवस्थित करना, उन्हें नियमित खाली कर कचरा निस्तारण कर पर्यावरण को संरक्षित करने में सहभागी बनना, विद्यालय परिसर में आवारा पशुओं के प्रवेश को रोककर पौधों का संरक्षण करना, वर्षाऋतु में पौधारोपण कर उनके नियमित जल संचरण व पोषण में सक्रिय रहने, व्यसनमुक्त जीवन व बच्चों पर निगरानी रखने, किसी बच्चे के चोटग्रस्त होने पर मरहम पट्टी आदि करने, ममता का स्पर्श देने सहित ये तमाम गुण बेकार की कसरत ही बनकर नहीं रह जाती अपितु ये सभी कार्य करते हुए चलते फिरते प्रत्यक्ष गतिमान जीवन का दर्शन मात्र ही बालक के मन को इन सभी गुणों को अपनाने और अपने समाज, देश, परिवेश के साथ एकात्मतापूर्ण समरस होने की दिशा में सोचने और वैसा बनकर जीवन को सार्थक व धन्य बनाने के लिए उद्वेलित करते हैं।

इस प्रकार बालक के सर्वांगीण विकास में गुरुजन आदि के साथ ही सहायक कर्मचारी भी अपनी गुणी छवि और व्यवहार के कारण सुयोग्य नागरिक निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वह अपने कार्य को सरकारी नौकरी न समझकर 'कार्य ही पूजा' के सिद्धान्त को अपनाकर विद्यार्थियों के साथ आत्मीयतापूर्ण संबंध रखकर विद्यालय में संरक्षक की भूमिका रखकर विद्यालय परिसर में बालक की हर गतिविधि पर अपनेपन से नज़र रखकर तराशते-तराशते योग्य नागरिक बनाने का संकल्प निभाए।

सहायक कर्मचारी
राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान,
आदर्श नगर, जयपुर
मो. 8766153675

नियति चक्र (उपन्यास)

लेखक : डॉ. सूरजसिंह नेगी **प्रकाशक** : सनातन प्रकाशन, जयपुर **संस्करण** : 2019, **पृष्ठ** : 128, **मूल्यः** ₹ 250

नियति चक्र डॉ. सूरजसिंह नेगी का सद्यः प्रकाशित उपन्यास है जिसे सनातन प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित किया गया है। 127 पृष्ठों के कलेवर में सिमटा यह संदेश परक उपन्यास भाग्य के हाथों की कठपुतली बने मानव की विवशताएँ दर्शाने के साथ ही 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्' का संदेश भी संप्रेषित करता है।

आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए इस उपन्यास का मुख्य पात्र डॉ. सचिन अवस्थी है जो 'मैं' शैली में इस उपन्यास में सर्वत्र विद्यमान रहते हुए अपनी जीवन गाथा कहता है लेकिन केन्द्रीय पात्र जो कि डॉ. अवस्थी का प्रेरक कहा जा सकता है, वह है 'सेठ नितिन घोष'। सेठजी जीवन भर त्याग, परोपकार व सेवा के सत्कार्यों को अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानते हैं और इनमें अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगाते रहते हैं पर यह नियति का खेल ही है कि ऐसे पुण्यात्मा की संतान, उनका पुत्र चित्रांश स्वभाव में उनसे एक कदम विपरीत निकलता है।

धनाढ्य सेठजी की पत्नी दुर्गादेवी भी अपने कर्मचारियों, मजदूरों और नौकरों के प्रति अत्यधिक ममता व प्रेम का भाव रखती थी। उनकी असामयिक मृत्यु से टूट चुके सेठजी जिन्होंने अपने पुत्र के प्रति माता और पिता दोनों का दायित्व निभाया था वे पुत्र को उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजकर और भी अकेले हो गए पर फिर भी अपना कर्त्तव्य पूर्ण निष्ठा से करते रहे, ऐसे देवता तुल्य पिता का पुत्र विदेश से आने पर अपने माता-पिता के संस्कारों को स्वयं से दूर छिटका कर नितान्त स्वार्थी और निष्ठुर बनकर अपने कर्मचारियों, नौकरों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करने लगा, उसे अपने पिता द्वारा जरूरतमंदों की मदद करना फिजूलखर्ची नज़र आने लगी।

सेठजी की सदाशयता से घबराकर उसने सम्पत्ति स्वयं के नाम करवा ली। देवतुल्य पिता ने यह भी सहजता से कर दिया और सन्यासी सा जीवनयापन करने लगे पर जब वे अपने जीवन से जुड़े नियमित सत्कर्मों के लिए भी मोहताज होने लगे और उनके द्वारा संचालित अनाथाश्रमों तक में उनके पुत्र चित्रांश ने कुछ भी देने से इंकार कर दिया तब वे बेहद बेचारगी और टूटन की स्थिति में घर से निकल गए और तब ऐसा नियति चक्र शुरू हुआ कि कुबेर सम धनाढ्य रहे एक सदाशय व्यक्ति को अनाथ-गुमनाम की तरह दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ा। जिस किशन को सेठजी बचपन में फुटपाथ से उठाकर लाए थे और उसे अपने यहाँ काम देकर सम्मानपूर्ण जीवन जीना सिखाया था, वही अन्त समय तक सेठजी का सहारा व राजदार बना रहा। जिन असंख्य निराश्रित और साधनहीन लोगों को नितिन सेठजी की निस्वार्थ सहायता ने सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सक्षम बनाया था उन्हीं में से एक थे डॉ. सचिन अवस्थी। उन्हीं के अस्पताल में उनके जीवन निर्माता सेठजी की गुमनाम मृत्यु हुई फिर भी वे उनके जीवित रहते उन्हें पहचान तक न सके क्योंकि सेठजी स्वयं नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई इस स्थिति में पहचाने और उनके पुत्र चित्रांश को अपमानित होना पड़े।

मृत्युपरान्त जब किशन काका से डॉ. सचिन अवस्थी को सेठजी का सच जानने को मिला तो वे हैरान तो हुए ही, तीव्र अन्तर्वेदना व पश्चाताप से भी भर उठे। बाद के सारे क्रियाकर्म डॉ. अवस्थी ने स्वयं पूर्ण आत्मीयता से सच्चे प्रेमाश्रु बहाते हुए निभाए।

अन्ततः संयोगवश डॉ. अवस्थी के अस्पताल में ही घायल अवस्था में सेठजी का बेटा चित्रांश लाया गया और उसे स्वयं डॉक्टर अवस्थी ने अपना खून देकर बचाया और जब होश में आने के बाद चित्रांश को डॉ. के मुख से सेठजी की सारी बातें ज्ञात हुई तब उसे पश्चात्ताप के साथ ही अपनी बदनसीबी का अहसास हुआ कि वह अपने देवतातुल्य पिता को सिर्फ पीड़ा ही देने का हेतु बना।

पश्चात्ताप की अग्नि में तपकर पावन हो चुके चित्रांश का हृदय अपने पिता के पुण्य प्रताप से एकदम परिवर्तित हो गया और वह उनके द्वारा संचालित पुण्य व सेवा के कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पित हो गया।

इस सम्पूर्ण उपन्यास में नियति के हाथों खिलौना बने मनुष्य के जीवन की आशा-निराशा, जय-पराजय, उतार-चढ़ाव चित्रित करने के साथ ही साथ इस सत्य की उद्घोषणा भी की गई है कि मनुष्य के सत्कर्म, मानवीय मूल्य कभी व्यर्थ नहीं जाते और देर-सेवर उनका सुफल सामने आता ही है। उपन्यास के अंतिम अंश में डॉक्टर सचिन एक न्यूज पेपर में पढ़ता है, ''इंसान की इंसानियत और मानवीय मूल्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। जिस सेठ नितिन घोष को अपने जीवनकाल के अन्तिम दिनों में अपना नाम तक छुपाना पड़ा, वह मरने के बाद भी अमर हो गया। सरकार द्वारा शिकारपुरा का नाम सेठ नितिन घोष के नाम पर रखने का निर्णय पारित कर दिया गया है....।''

उपन्यास के संवाद पात्रानुकूल, भाषा आम बोलचाल की एवं संप्रेषणीय है। नेगी जी के दूसरे उपन्यास 'वसीयत' के समान ही इस कृति में भी सूक्तिनुमा वाक्यों का भरपूर प्रयोग हुआ है। जैसे, ''इंसान का श्रम और समय मत खरीदो, उसके दिल में जगह बनाना सीखो...।''

''सच में किसी को रुपये पैसों से न आंककर उसे उचित सम्मान देकर हम बहुत कुछ पा सकते है।'' इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग इतनी सहजता से हुआ है कि भाषा स्वस्फूर्त रूप से जीवन मूल्यों का बोध कराने वाली लगती है। कहीं भी भाषा में क्लिष्टता, अनावश्यक अलंकरणता या दुरूहता नहीं आ पाई है।

कथावस्तु में आकस्मिक घटनाओं और संयोगों की अधिकता कहीं-कहीं हो गई है लेकिन मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने में उपन्यास सफल रहा है।

परोपकार, जीवनमूल्यों, ईमानदारी, त्याग और संवेदनशीलता के संदेश संप्रेषित करने में सफल रही इस सार्थक कृति की रचना हेतु लेखक डॉ. सूरजसिंह जी नेगी को अशेष साधुवाद।

समीक्षक : **डॉ. आशा शर्मा**
सी.ई.जी. टॉवर, बी-11 (जी)
मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया,
मालवीय नगर, जयपुर-302017
मो. 9414446269

बाल शिविरा

अपनी राजकीय शालाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा सृजित एवं स्व रचित कविता, गीत, कहानी, बोधकथा एवं चित्रों को इस स्तम्भ में प्रकाशन हेतु नियमित रूप से संस्थाप्रधान/बालसभा प्रभारी भिजवाएं। श्रेष्ठ का चयन करते हुए इस स्तम्भ में प्रकाशन किया जाता है।

-व. संपादक

टॉफी, गुड़िया तुम मत लाना

टॉफी, गुड़िया तुम मत लाना
लेकिन पुस्तक ला देना,
अपनी बिटिया नानी को तुम
विद्याज्ञान करा देना।

बिटिया नानी स्वाभिमान से
शीश उठाना सीखेगी,
शोषण अत्याचार से लड़ना
और निकलना सीखेगी।
नाम करेगी रौशन बिटिया
बस तुम राह दिखा देना,
मंदिर मस्जिद मत ले जाना
विद्यालय भिजवा देना।
टॉफी गुड़िया तुम मत लाना...।

नया जमाना कम्प्युटर का
तुम मत पीछे रह जाना,
बेटा बेटी दोनों सम है
भेद नहीं तुम कर जाना।
बिटिया की खुशियों की खातिर
तुम इस कदम बढ़ा देना,
झाड़ू पौंछा हाथ से लेकर
एक कलम पकड़ा देना।
टॉफी गुड़िया तुम मत लाना
लेकिन पुस्तक ला देना।

पायल शर्मा, कक्षा-7,
राबामावि. आंधी
जमवारामगढ़, जयपुर

हिन्दूस्तान से बैर ना करना

हिन्दूस्तान से बैर ना करना
वरना हम मिटा देंगे,
पाक छोड़ दे तू नादानियां
नहीं तो वो सदा देंगे।

डरते हैं इंसानियत से
इंसानियत तूझे सिखा देंगे,
जग समझ गया अब हमको
तुझे भी हम समझा देंगे।

समझ गए अमरीका चीन जापान
अब करते यहाँ जलपान,
सारा जगत सरता है
यहाँ बनने को मेहमान।

अरे ! छोड़ दे हैवानियत
वरना तुझे मिटा देंगे,
तेरे ही घर में घुसकर
ईट से ईट बजा देंगे।

बंद करो आतंकी अड्डे
मानवता तुझे सिखा देंगे
भाई का प्यार क्या होता है,
ये भी तुझको सिखा देंगे।

निशा यादव, कक्षा 7,
राआउमावि.
ईशरोदा (तिजारा) अलवर

ऊँचा रहे सदा तिरंगा

हरी भरी है धरती प्यारी
महकता है आसमान,
हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई
सबका होता यहाँ सम्मान।

मिलकर होली ईद मनाएं
गिरजाघर सब मिलकर जाएं,
भाईचारा हम निभाएं
इक दूज के काम है आएं।

रंगबिरंगे कपड़े पहने
तरह-तरह के वेश,
प्रीत भरे सब गीत हमारे
गाता सारा देश।

झोलीभर हम खुशियां बांटे
प्रभु हमे दो आशीष,
ऊँचा रहे सदा तिरंगा
सदानवाएं शीश।

राहुल बंजारा,
कक्षा11
राउमावि सवना, भिंडर, उदयपुर

गलती का अहसास

एक कछुआ जंगल में रहता था। किसी की बात नहीं मानता। काम भी नहीं करता किसी का। खना भी समय पर नहीं खाता बस जंगल में घूमता रहता या खेलता रहता।

एक दिन घूमते-घूमते जंगल में बहुत दूर चला गया। वह थक भी गया था। जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे नींद आ गई। जब आँख खुली तब भी उसने सोचा थोड़ा घूम लूं।

अब वह घर का रास्ता भूल गया। ढूंढने निकली उसकी मम्मी को बहुत चिन्ता हुई। वह सबसे पूछते वह सारा जंगल छान मारा और साथ में जोर जोर से अपने बच्चे को पूकारने लगी।

अपनी मम्मी की आवाज पहचान कर वह आवाज की दिशा में कछुआ धोड़ा और मम्मी के पास पहुंच गया और मम्मी को सारी बात बताई। वह रोने लगा। वह बोला मैं तो रास्ता ही भूल गया था। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। बिना कहें कहीं नहीं जाऊंगा।

उसे अपनी गलती का अहसास हो गया था। कछुआ अपनी मम्मी के साथ घर आ गया।

इन्दिरा कटारा, कक्षा-4
राप्रावि. भाटपुर, वार्ड नं.-15,
डुंगरपुर (राज.)

कलियाँ कहती...

कलियाँ कहती प्यारे बच्चों
सीखो तुम मुस्कुराना,

रंग बिरंगे फूल सिखाते
हँसना और हँसाना।

कोयल कहती मीठा बोलो
गाओ मीठा गाना।

दीदी कहती सीखो बच्चों
पढ़ना और पढ़ाना।

पुष्पा, कक्षा-11
राआउमावि., थिरपाली बड़ी,
चुरू (राज.)

पेड़ बचाओ...

पेड़ लगाओ,
अरे! पेड़ बचाओ।

कड़ी धूप है,
पर पेड़ नहीं।
कड़ी धूप में,

जलते पाँव।
होते पेड़ तो,
मिलती छाँव।

खाने को मिलते
मीठे फल,
आज नहीं तो
सोचो कल।

पेड़ लगाओ,
अरे!पेड़ बचाओ।

महिमा, कक्षा-5
रा.उत्कृष्ट बाउप्रावि. बाम्बलवास,
भादरा, हनुमानगढ़ (राज.)

विश्वास

एक बार एक वृद्ध आदमी अपनी बकरी लेकर किसी गांव की ओर जंगल से होकर बेचने जा रहा था। उस जंगल में तीन ठग रहते थे। उन तीनों से उसे आता हुआ देख ठगने की योजना बनाई और निकल पड़े। पहले एक गया और उस वृद्ध आदमी से बोला- अरे बाबा इस कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो? वह बोला यह बकरी है कुत्ता नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरा ठग आया बोला अरे!

बाबा इस कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो? वह सोचने लगा दो लोगों ने इस बकरी को कुत्ता कहा उसे संशय हुआ । वह सोचता जा रहा हा तभी तीसरा ठग आया वह भी वही बोला -अरे बाबा इस कुत्ते को कहां ले जा रहे हो। बाबा को विश्वास हो गया कि यह बकरी नहीं कुत्ता ही है। तीन-तीन लोग झूठ नहीं बोल सकते जरूर भूल में मैं ही बकरी की जगह कुत्ता ले आया।

वह बकरी को वहीं छोड़ वापिस गांव की ओर चल पड़ा । ठग बकरी को पकड़ कर ले गए। तभी बाबा को आते हुए मास्टर जी मिले बाबा ने सारी बात बताई तो मास्टर जी ने कहा- बाबा अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए, लोग एक ही झूठ को बार-बार बोल कर आपके सत्य को भ्रमित कर देते हैं। ठगों ने भी यही किया चलो अभी मजा चखाते हैं।

गांव वालों को साथ लेकर मास्टर जी ने ठगों से बकरी छुड़ाकर बाबा को दिलाई। मास्टर जी ने कहा आगे से किसी की बात पर विश्वास नहीं करना, अपने आप पर पूरा विश्वास करने वाले को कोई नहीं ठग सकता।

जतिन, कक्षा-4,
राउमावि घुस्यारी,
भरतपुर (राज.)

शाला प्रांगण से

अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर **shalaprangan.shivira@gmail.com** पर भिजवाकर सहयोग करें।

-व. संपादक

दांदू में बाल सभा का आयोजन समारोहपूर्वक मनाया गया

राजकीय माध्यमिक विद्यालय दांदू (चूरू) में सत्र 2018-19 के अंतिम कार्य दिवस दिनांक 9.5.2019 को बाल सभा का आयोजन धूमधाम से समारोहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्रा निकिता ने की। इस अवसर पर बच्चों ने देश भक्ति से ओत-प्रोत शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रधानाध्यापक मोहन लाल शर्मा ने राजकीय विद्यालयों में मिलने वाली लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा भरोसा दिलाया कि हम विद्यालय के बच्चों में अच्छी शिक्षा व संस्कार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संबलनकर्त्ता अधिकारी डॉ. गोविन्द सिंह छीपा ने मौसमी बीमारियों के होने के कारण व उपचार की जानकारी दी। इस अवसर पर गाँव के कानाराम मीणा, भंवरसिंह झाझडिया, विजेंद्र सिंह राठौड़, अर्जुनराम बाबल, पूर्णाराम प्रजापत विद्यालय के शिक्षक नेमीचंद सुडिया, सुलतान सिंह, राजेंद्र सुंडा, रणजीत सिंह, राजेश कुमार, बजरंगलाल आदि उपस्थित थे।

वडेरवास (पाली) के राआउमावि में वृहत् बाल सभा

कार्यालय-राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, वडेरवास (पाली) वृहत् बाल सभा कार्यक्रम वडेरवास (पाली)। आज दिनांक 09 मई, 2019 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, वडेरवास एवं ग्रामीणों (अभिभावकों) की ओर से सार्वजनिक स्थान हनुमान मंदिर में वृहत् बाल सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता छात्रा भावना भाटी सह प्रधानाचार्य श्री राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी द्वारा ने की एवं मुख्यातिथि के रूप में एसडीएमसी. के अध्यक्ष श्री फूलाराम जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक श्री जी. आर. गुर्जर ने किया तथा निरीक्षण विकास अधिकारी श्री अरविन्द ओझा ने किया। बालसभा में शैक्षिक महत्त्व के सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, कविता पाठ, कहानी, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताएँ की गई, जिसमें पूजा, खुशबु व भावना आदि विद्यार्थियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने विद्यालय की उपलब्धियाँ, शिक्षा सम्बन्धी सरकारी योजनाओं व भामाशाहों की प्रशंसा की। मुख्यातिथि महोदय ने विद्यार्थियों व अभिभावकों को सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेने एवं दिलाने के लिए तथा आँगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू देवी ने बालिका शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया एवं खसरा व रूबेला आदि रोगों की जानकारी देते हुए टीकाकरण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर वरिष्ठाध्यापक श्री जी.आर. गुर्जर द्वारा कैरिअर पोर्टल के विषय में जानकारी दी गई तथा होनहार विद्यार्थियों को पारितोषिक भी दिया गया। इस अवसर पर सम्पूर्ण विद्यालय परिवार पूर्ण सहयोग की भावना से उपस्थित था।

तूफान से प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता

राजसमन्द जिले के कुम्भलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंचौली (कुंभलगढ़) के स्काउट्स ने राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय राजसमंद के सी. ओ. सुरेन्द्र कुमार पाण्डे के मार्गदर्शन में उड़ीसा में आए चक्रवात फैनी तूफान से प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता राशि अभियान के तहत1181/- रुपये की सहयोग राशि एकत्र कर जिला मुख्यालय पर जमा करवाई। प्रधानाचार्य पूरणलाल कोली ने बताया कि विद्यालय में बाल सभा का आयोजन किया गया। पुलिस चौकी ओड़ा के हेड कॉन्स्टेबल भंवर सिंह, कोंस्टेबल कमलेन्द्र सिंह चुण्डावत व विद्यालय परिवार की उपस्थिति में सहयोग राशि एकत्रित की। इस मौके पर सहायक स्काउटर दलाराम भील, रामधन मीणा, गोविन्द कुमार सैनी, गणेश मेघवाल, भगवती लाल आमेटा, गिरजा शंकर व पुष्पा शर्मा उपस्थित थे। इन्होंने की राशि एकत्र:- स्काउट शंकर सिंह कुंभावत, ओमप्रकाश जोशी, नीलेश कुम्हार, सुमेश कुम्हार, जवेरीलाल भील, धूलचंद भील।

राआउमावि शिवनगर में बालसभा का आयोजन

बीकानेर- राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवनगर स्कूल की बाल सभा का आयोजन शिवनगर ग्राम पंचायत भवन में प्रधानाचार्य मोहरसिंह सलावद की अध्यक्षता में किया गया जिसमें सरकारी स्कूल से अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने, विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रखने, बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद सहित अन्य गतिविधियों में स्कूल का नाम रोशन करने पर विस्तार से चर्चा हुई, इस अवसर पर खेलकूद सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया साथ ही छात्रों को गर्मी में स्कूल मे लगे पेड़ों में पानी देने व देखभाल की शपथ दिलवाई गई, उसके बाद स्कूल के बच्चों एवं अभिभावकों सहित स्टाफ ने प्रवेश उत्सव रैली का आयोजन किया गया, उसके बाद स्कूल में कक्षा एक से चार, छ, सात, नो एवं ग्यारहवीं का

परिणाम सुनाया गया। हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त छात्रों को सम्मानित किया गया व कार्य प्रधानाचार्य मोहरसिंह सलावद ने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना की एवं बधाई दी इस अवसर प्रधानाचार्य मोहरसिंह सलावद, सुजानसिंह राठौड़, रणछोड़ सिंह सोढा, तेजपाल दो एडी, दयाराम मेघवाल, प्रभुराम राजपुरोहित, वाहदुर सिंह राठौड़, प्रेमसिंह, गणेशाराम, एसएमसी. अध्यक्ष चंदन सिंह, पूर्व एसएमसी. अध्यक्ष प्रभूराम शर्मा, जुगतसिंह, भाखर सिंह, रुख सिंह आदि मौजूद रहे।

राप्रावि. जाटा बस्ती में हुई खिलौना बैंक की स्थापना

धनाऊ पंचायत समिति के राप्रावि. जाटा बस्ती में गुरुवार को ब्लॉक का चौथा खिलौना बैंक स्थापित किया गया। विद्यालय के संस्थाप्रधान पूनमचन्द ने बताया की गुरुवार को विद्यालय में वृहद बालसभा का आयोजन किया गया जिसमें दानदाता भगवती जैन माँगीलाल जैन द्वारा अंत्योदय टॉयज एंड वस्त्र बैंक के माध्यम से विद्यालय के नवाचारों से प्रभावित होकर इस विद्यालय का चयन करके खिलौनों का पार्सल भेजा गया, बालसभा कार्यक्रम के अध्यक्ष छात्र जसराज ने फीता काटकर खिलौना बैंक का उद्घाटन किया। खिलौना बैंक में अल्फा न्यूमेरिकल बोर्ड, जंबो इंडिया मैप, प्ले ब्लॉक्स, मिसिंग लैटर, मैच द नंबर, कैल्कुलस, इलेक्ट्रा किट, फ्रॉग जाबलोफोन, मिनी बॉस्केट बॉल किट इत्यादि थे। इस अवसर पर एसएमसी. अध्यक्ष घेवरचंद पावड, बालसभा प्रभारी एएनएम. संतोष, अध्यापक रेखाराम पावड, सुरेंद्र सिंह चंदेल,सुनील कुमार जाटव, वालाराम डुडी, सोनाराम सियाग, हीराराम देशांतरी, जेती देवी, रेवंती, देवाराम आदि उपस्थित रहे। खिलौना बैंक के लिए अंत्योदय टॉयज के संस्थापक महेंद्र मेहता, अंशुल जैन बिजौलिया मुर्तजा बोहरा, बीएल जैन, ओपी जैन, टीएस भंडारी, कुसुम मेहता, जयंत मेहता, अंकित मेहता, ललित कोठारी आदि का सहयोग रहा। महेंद्र मेहता राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रहे पद्मश्री मीठालाल मेहता के छोटे भाई है। उनका उद्देश्य है कि अगले सत्र में राजस्थान के 5,000 विद्यालयों में खिलौना बैंक की स्थापना की जाए तथा इसी वर्ष अंत्योदय प्रकाशन के माध्यम से सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं इंग्लिश स्पोकन बुक्स प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इसी प्रकार बालसभा के अवसर पर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेव का मंदिर में ब्लॉक का पांचवा खिलौना बैंक की स्थापना हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही छात्रा ममता ने फीता काटकर खिलौना बैंक का उद्घाटन किया। पीईईओ. हरचन्द सिंह राजपुरोहित ने बताया कि खिलौना बैंक की स्थापना होने से प्राथमिक स्तर के बालकों का मानसिक विकास होगा तथा छात्र पढ़ाई में रुचि लेंगे। इस अवसर पर मगाराम चौधरी, शैतानदान, कैलाश चंद मीना, मेहराजराम, पूराराम, सुराराम, रेखाराम, जुंजाराम, अचलाराम आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्रभारी शैतानदान ने दानदाता टीएस भंडारी का आभार व्यक्त किया।

राउमावि. भदलाव, सवाईमाधोपुर में बालसभा

ये विचार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर से जिले में बालसभाओं के निरीक्षण के लिए पधारी श्रीमती नसीम खान, उपायुक्त ने राउमावि. भदलाव में बालसभा में उपस्थित समस्त शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। उपायुक्त ने बताया कि विद्यालय को समुदाय से जोड़ने में बालसभाओं का सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित करना विद्यालय-समुदाय की सहभागिता के लिए मील का पत्थर है। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग और विद्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे जिले के निजी और राजकीय विद्यालयों में से छोटे से गाँव भदलाव के बालक का इन्सपायर अवार्ड के लिए राष्ट्र स्तर पर चयन होना गौरव की बात है तथा शिक्षकों से इसी तरह मेहनत और समर्पण बनाए रखने की अपेक्षा की तथा अभिभावकों से बालकों को सरकारी विद्यालयों में अधिक से अधिक प्रवेश दिलाने की अपील की। इस मौके पर संस्थाप्रधान राजेश शर्मा द्वारा विद्यालय की उपलब्धियों और विभाग की छात्र हितकारी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ शिक्षा विभाग के कक्षा नौ से बारह तक के एवं बेरोजगार विद्यार्थियों को कैरियर चयन के लिए प्रारंभ किए गए राजीव गाँधी केरियर पोर्टल की महत्ता बताई। इस अवसर पर श्रीमती चंचल गुप्ता, एपीसी समसा. भी उपस्थित थी।

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

चतुर्दिक समाचार

रात में फोन के इस्तेमाल से मधुमेह का खतरा

नई दिल्ली– फोन या टैब के ज्यादा इस्तेमाल से आँखों पर बुरा असर होता है और इससे दुनियाभर के लोग परेशान है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रात में फोन या टैब का इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ सकता है और मधुमेह होने का भी खतरा होता है। एक नये शोध में यह खुलासा हुआ है।

अब एक सैकण्ड में आग बुझा देगी 'फायर बॉल'

बीकानेर- छोटे स्थान अथवा घर, कार, बाइक या किसी चीज में लगी आग पर जल्द काबू पाने के लिए अब नगर निगम फायर बॉल का उपयोग करेगा। इस बॉल की मदद से एक सैकण्ड में आग पर काबू पाया जा सकेगा। नगर निगम फायर बॉल खरीदने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि निगम प्रशासन इस फायर बॉल को मुरलीधर और बीछवाल स्थित अग्निशमन केन्द्रों में रखेगा ताकि सूचना मिलने के बाद समय रहते मौके पर पहुँचकर फायर बॉल की मदद से आग पर काबू पाया जा सके। नगर निगम प्रथम चरण में ऐसी 20 फायर बॉल को खरीदेगा। वही तीन जालियाँ भी खरीदेगा। आग लगने की स्थिति में इमारत से बाहर की ओर यह जाली लगाई जाएगी, ताकि इमारत से कोई कूदे तो सीधा नेट पर गिरे और उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगे।

बायो 3डी प्रिंटर से ठीक हो सकेंगे जख्म

चेन्नई– विज्ञान की नई प्रौद्योगिकी अब जल्द घाव भरने में काम आएगी। आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों की एक टीम 'बायो 3डी प्रिंटर' तकनीक पर काम कर रही है जो प्राकृतिक रूप से सजीव ऊतकों का निर्माण करेगी। इस 3डी प्रिंटर से बने ऊतकों से जख्म जल्दी भर जाएँगे। पूर्व छात्रों की यह टीम 'स्किन ड्राफ्टिंग' और कृत्रिम अंग निर्माण की तकनीक विकसित करने पर भी कार्य कर रही है जिससे रोगियों को काफी फायदा मिलेगा। 3डी बायो प्रिंटर मशीन का डिजाइन तैयार करने वाली युवराज के अनुसार इस तकनीक की मदद से बनने वाले ऊतक अथवा कृत्रिम अंगों की मदद से क्लीनिकल ट्रायल की आवश्यकता नहीं होगी। आमतौर पर भारत में अधिकतर ऐसे परीक्षण जानवरों पर किए जाते हैं। कुछ मामलों में सरकार की अनुमति से मनुष्यों पर भी परीक्षण किए जाते हैं। बायो-प्रिंटिंग एक विशेष जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऊतकों को संयोजित कर अंगों का निर्माण किया जाता है। इसमें बायो इंक नामक एक जैविक सामग्री का उपयोग होता है।

खून का प्रवाह रोक रहा प्लास्टिक

नई दिल्ली– नैनो प्लास्टिक इंसानी शरीर पर किस तरह बुरा असर डालते हैं, इस पर काफी शोध हुआ है। भारत सहित दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों ने इस मामले पर गहन अध्ययन किया है। इसमें यह पाया गया है कि प्लास्टिक के दूसरे किस्म के अत्यंत सूक्ष्म कण मानव शरीर के लिए जानलेवा बनते जा रहे हैं। यह शरीर में जमकर खून के प्रवाह को रोक देते है। इस बात का खुलासा तो पहले ही हो चुका है कि खुली आँखों से नजर न आने वाले ऐसे प्लास्टिक के कण भोजन के माध्यम से इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। वही लिपस्टिक, मसकारा, शैम्पू और पानी की बोतलों की वजह से भी यह नैनो प्लास्टिक शरीर के अंदर पहुँच जाता है। इंसान को इस खतरे का पता न होने की वजह से इनका खूब इस्तेमाल होता है। बता दें कि हर साल विश्व स्तर पर 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है। यह सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पैकेजिंग, बर्तन आदि उद्योगों में मौजूद रहता है।

डायनैमिक ईमेल की सुविधा जल्द

सैन फ्रांसिस्को– हाल ही अपने एक ब्लॉग के माध्यम से गूगल की ईमेल सेवा प्रदाता जीमेल ने कहा कि वह जल्द ही डायनैमिक ईमेल सुविधा की शुरूआत करने की योजना बना रहा है। डायनैमिक ईमेल की यह सुविधा अब तक डेस्कटॉप उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध थी और अब यह मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी मदद से उपभोक्ता मैसेज के अंदर से ही इवेंट के लिए प्रश्नोत्तरी, कैटलॉक को खोजने या कमेंट का जवाब देना जैसे काम कर सकेंगे। गूगल के मुताबिक इससे उपभोक्ता अपने सारे काम सिंगल टैब या विंडो से कर सकेंगे जिससे क्लटर से निजात मिलेगी। इस सुविधा में गूगल ने आयो रूम्स और रेडबस जैसे भारतीय एप्स को जोड़ने के साथ ही और कई अन्य एप्स को भी शामिल किया है।

पृथ्वी से बड़े ग्रह का वातावरण पता चला

वाशिंगटन– वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और नेप्चून ग्रह के बीच के आकार के एक ग्रह के वातावरण के बारे में पता लगा लिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के स्पिलिट्जर और हबल दूरबीन की मदद से इस ग्रह की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल की गई है। नासा ने एक बयान में कहा, ग्लिएसे 3470 बी नामक पृथ्वी और नेप्चून के बीच के आकार का मालूम पड़ता है। इस तरह के ग्रह हमारे सौर मंडल में नही पाए जाते लेकिन यह अन्य तारों के आसपास घूमने वाले किसी अन्य ग्रह की तरह हैं। इस ग्रह का कोर पथरीला है और इसके वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। यह ग्रह पृथ्वी से 12.6 गुना बड़ा है, लेकिन नेप्चून ग्रह से छोटा है। नेप्चून ग्रह पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है। नासा की केपलर स्पेस ऑब्लर्वेटरी ने ऐसी कई दूसरी दुनिया की खोज की है। यह मिशन 2018 में खत्म हुआ था।

बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में भारतीय लेखक

लंदन– पुरस्कार विजेता भारतीय लेखक जीत थाइल साल 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पाँच सदस्यीय निर्णायक मंडल में शामिल होंगे। नार्कोपोलिस के लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थाइल मई 2019 और अप्रैल 2020 के बीच ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों में से सर्वश्रेष्ठ अनूदित उपन्यास का चुनाव करेंगे। अपने पहले उपन्यास 'नार्कोपोलिस' के लिए मैन बुकर पुरस्कार के लिए शार्टलिस्ट होने वाले केरल में जन्मे थाइल ने साल 2006 में उपन्यास लिखना शुरू किया था। उनके कविता संग्रह में 'दीज एरर्स आर करेक्ट' शामिल है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 59 वर्षीय लेखक एवं संगीतकार ने मुंबई, बेंगलूरू, हाँगकांग और न्यूयॉर्क में 23 साल तक पत्रकार के तौर पर काम किया। उनका हाल में आया उपन्यास 'द बुक ऑफ चॉकलेट सेन्ट्स' आया है।

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

हमारे भामाशाह

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। **-व. संपादक**

अलवर

आ.रा.उ.मा.वि., बहरोड़ को श्री राजेन्द्र प्रसाद सुभाष चन्द ने रिपेयर कार्य हेतु 13,940 रुपये प्राप्त, श्री कबूल सैनी से एक पानी की मोटर प्राप्त जिसकी लागत 7,650 रुपये, श्री संजय पुत्र श्री प्रेम सेठ द्वारा फर्श को ठीक कराया गया। जिसकी लागत 3,500 रुपये, श्री घनश्याम दास/निरंजन लाल से 17 कुर्सियाँ प्राप्त जिसकी लागत 11,00 रुपये, श्री विजय सिंह यादव द्वारा सुविधाए की रिपेयर करवाई गई जिसकी लागत 13,000 रुपये, श्री शिवलाल सैन से एक छोटी अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 5,100 रुपये, श्री अशोक अग्रवाल (अध्यक्ष) अग्रवाल सभा से एक अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 4,700 रुपये, श्री किशन अग्रवाल (अध्यक्ष) वैश्य महासभा बहरोड़ से डिस्पैन्सर मशीन प्राप्त जिसकी लागत 9,000 रुपये, श्री बलवन्त सिंह से इन्सीलेटर मशीन प्राप्त जिसकी लागत 12,000 रु., होण्डा टू व्हीलर टपूकड़ा द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु चार करोड़ रुपये प्राप्त, हीरो मोटोकार्प लिमिटेड नीमराना द्वारा बास्केट बाल मैदान व इन्टरलोक टाइल्स हेतु 17.45 लाख रुपये प्राप्त, कृष्ण अग्रवाल नांगल खोण्डिया वाले से एक आर.ओ. व रिपेयर कार्य हेतु 11,000 रुपये, श्री संदीप आर्य (व्याख्याता) से एक आर.ओ. व रिपेयर कार्य हेतु 11,000 रुपये प्राप्त, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त से जनहित मेडिकल हॉल में पानी की मोटर जिसकी लागत 8,200 रुपये, मारानाधा पब्लिक स्कूल बहरोड़ से एक भट्टी चूल्हा प्राप्त जिसकी लागत 3,370 रुपये।

सीकर

रा.आ.उ.मा.वि., रूपगढ़ में श्री रमांकान्त पारीक (अध्यक्ष) गाबली बाबा धाम पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक बड़ा हॉल (50×33') का निर्माण कराया गया जिसकी लागत 20 लाख रुपये तथा 21 प्रतिभावान छात्रों 1,000-1,000 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से 21,000 रुपये नकद दिए। **रा.मा.वि., भींचरी** में श्री बाबू लाल सरपंच प्रतिनिधि (ठेकेदार) द्वारा बच्चों के लिए झुला व फिसल पट्टी बनाकर विद्यालय को भेंट जिसकी लागत 21,000 रुपये। **रा.बा.उ.मा.वि., खेतड़ी मोड़, नीम का थाना** में श्री यशवन्त शर्मा द्वारा अपने स्व. पिताजी गुलाब चन्द्र शर्मा (व.अ.) की स्मृति में विद्यालय में माँ सरस्वती मन्दिर का निर्माण करवाया गया, श्री घासी लाल कुमावत पुत्र श्री चिरंजीलाल ने छात्राओं के लिए ठण्डे जल के लिए वाटर कूलर विद्यालय को सप्रेम भेंट, डॉ. दंपती श्री गोविन्द सिंह छापोला एवं श्रीमती सुनिता छापोला ने बेटियों को बैठने हेतु 25 सेट कुर्सी टेबल विद्यालय को भेंट, श्री सोहन लाल वर्मा ने विद्यालय को एक कम्प्यूटर भेंट किया।

जोधपुर

रा.उ.मा.वि., बांरा खुर्द पं.स. ओसियाँ में श्री हरिराम सुथार पुत्र श्री मोतीराम सुथार द्वारा 6,50,000 रुपये की लागत से मुख्य द्वार का निर्माण करवाया गया। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (अति. पुलिस अधीक्षक) द्वारा 5,01,000 रुपये की लागत से एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाया गया, श्री गिरधारी राम गोरचिया (पूर्व सरपंच) एवं उनके भाईयों द्वारा 5,01,000 रुपये की लागत से एक कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाया गया, श्री चेनाराम तरड़ एवं उनके सुपुत्र श्री गणेशाराम एवं गिरधारीराम तरड़ द्वारा 4,51,000 रुपये की लागत से विद्यालय में माँ सरस्वती का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, श्री कुम्भाराम हुड्डा पुत्र श्री अजिताराम हुड्डा से प्रधानाचार्य कक्ष हेतु कार्यालय मेज व कुर्सी भेंट की गई, जिसकी लागत 31,000 रुपये, श्री मोडाराम बेनीवाल पुत्र श्री जगराम बेनीवाल से स्टाफ उपयोग हेतु एक लौहे की अलमारी भेंट जिसकी लागत 15,000 रुपये, श्री हरिराम सुथार पुत्र श्री मोतीराम सुथार से दो-दो छत पंखे एवं दो-दो ट्यूबलाइट जिसकी लागत 1500 रुपये, श्री हीराराम बैरड़ पुत्र श्री डूंगरराम बैरड़ से कार्यलय उपयोग हेतु एक लोहे की आलमारी भेंट जिसकी लागत 11,000 रुपये, बाराकला एवं बारा खुर्द के समस्त अभिभावकों व भामाशाहों और विद्यालय स्टाफ द्वारा जनसहयोग कर सभा भवन का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत दस लाख रुपये, श्री अजीज खाँ अध्यापक से एक वाटर कूलर प्राप्त जिसकी लागत 31,000 रुपये, श्री कैलाशराम पुत्र श्री भीखाराम सियाक से खेल सामग्री वाली वॉल, फुटबॉल आदि प्राप्त जिसकी लागत 5,000 रुपये, श्री करनाराम तरड़ पुत्र श्री घेवरराम तरड़ द्वारा विद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को छात्र दैनिक डायरी वितरण जिसकी लागत 25,000 रुपये, श्री बीन्जाराम सियाक पुत्र श्री पूनाराम सियाक द्वारा अन्नपूर्णा दुध योजना हेतु तीन महीने शक्कर उपलब्ध करवाई जिसकी लागत 15,000 रुपये, श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण 5,100 रुपये का।

हनुमानगढ़

रा.मा.वि., चारणवासी तह. नोहर को श्री हीराराम सहू (से.नि.अ.) से एक ऑफिस टेबल व कुर्सी प्राप्त जिसकी लागत 28,000 रुपये, श्री हनुमान कुहाड़ से डेस्कटॉप कम्प्यूटर प्राप्त जिसकी लागत 25,000 रुपये, श्री सुरेन्द्र कुहाड़ से एक साउण्ड सेट प्राप्त जिसकी लागत 25,000 रुपये, श्री कृष्ण कुमार बिस्सु से इन्वर्टर बैटरी प्राप्त जिसकी लागत 13,000 रुपये, श्री देवी राम भाम्भू से एक कम्प्यूटर, टेबल, लैक्चर स्टेण्ड, एक स्टील सौफा प्राप्त जिसकी लागत 13,300 रुपये, श्री भूप सिंह खोथ से एक लोहे की आलमारी प्राप्त जिसकी लागत 12,000 रुपये, श्री मनीराम खीचड़ व महावीर स्वामी से एक-एक आलमारी प्राप्त जिसकी प्रत्येक की लागत 10,000 रुपये, श्री रामस्वरूप जाखड़ से 4 स्टील कुर्सियाँ प्राप्त जिसकी लागत 8,000 रुपये, श्री धर्मपाल वर्मा से एक रंगीन प्रिन्टर प्राप्त जिसकी लागत 7,400 रुपये, सर्वश्री राजेन्द्र जाखड़, जगदीश सिहाग से दो-दो दरी (साइज 10×15') प्राप्त व प्रत्येक की लागत 6,000-6,000 रुपये, सर्वश्री कृष्ण कुमार खीचड़, राम कुमार सहू, सन्तलाल खिचड़ प्रत्येक से दो-दो ग्रीन बोर्ड प्राप्त तथा प्रत्येक की लागत 4,200-4,200 रुपये, सर्वश्री करनेल सिहाग, धर्मपाल स्वामी से एक-एक ग्रीन बोर्ड प्राप्त जिसकी प्रत्येक की लागत 2,100-2,100 रुपये, सर्वश्री बृजलाल कारेला आइदान हुडा (प्र.अ.), हरि सिंह सिहाग, मनफूल कारेला, धर्मपाल ढाका (व.लि.) प्रत्येक से 5,100 रुपये नकद प्राप्त हुए। **रा.उ.प्रा.वि., खोपड़ा ग्राम पंचायत, भंगुली पं.स. नोहर** में जनसहयोग से एक छत विहिन कमरे को तैयार करवाकर तथा रंग-रोगन करवाकर एक कक्षा-कक्ष का रूप दिया गया जिसकी लागत 80,000 रुपये, सर्वश्री रामकुमार खाती, भूपसिंह नाई, प्रताप होटला, सुल्तान सिंह राजपुत, राजेश नैण, नोपाराम सहारण, शेरदास स्वामी प्रत्येक से एक-एक छत पंखा प्राप्त हुआ, श्री मांगेराम पेंटर ने 2 कुर्सियाँ व 20 लीटर का एक वाटर केम्पर विद्यालय को भेंट, श्री हीराराम मेघवाल से 2 कुर्सियाँ प्राप्त, एसएमसी. अध्यक्ष श्री हरिसिंह से कार्यालय मेज प्राप्त, विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती अनीता गोदारा से 1,100 रु. प्राप्त, श्रीमती रिमझिम पारीक से 3,100 रुपये, श्री सत्येन्द्र सिंह से 5,100 रुपये विद्यालय के निर्धनतम छात्रों की सुविधा हेतु दिए, श्री धर्मपाल (अ.) व रामकिशन डूडी से एक-एक आलमारी प्राप्त हुई।

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

शिविरा पत्रिका (मासिक) : अगस्त, 2019 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। वरिष्ठ सम्पादकः अनिल कुमार अग्रवाल, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

विश्व योग दिवस–2019

21 जून 2019 को निदेशालय परिसर के अधिकारी एवं कार्मिक विश्व योग दिवस मनाते हुए

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय डूंगरपुर व वन विभाग डूंगरपुर के संयुक्त तत्वावधान में वन महोत्सव के तहत सी. ओ.स्काउट श्री सवाईसिंह, संयोजक श्री भेमजी भाई खांट सीबीईओ सागवाडा, श्री फुरकान अली खत्री सहायक वन संरक्षक, डूंगरपुर आदि ने डूंगरपुर के विधालयों में वृक्षारोपण किया गया।

सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर मे पौधारोपण महाअभियान में मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान नथमल डिडेल व विशिष्ट अतिथि उपनिदेशक प्रेमवती शर्मा, उपप्रधानाचार्य श्री अजयपाल सिंह शेखावत व व्याख्याता श्री सुभाष चन्द्र गोदारा की अगुवाई में वनमहोत्सव के तहत 2100 पौधे लगाने के बड़े लक्ष्य की शुरूआत को पोधारोपण से करते हुए।

डाक पंजीयन संख्या : जयपुर सिटी/417/2017-19

शिविरा पत्रिका (मासिक) • अगस्त 2019
प्रकाशन तिथि : 2 अगस्त, 2019 पृष्ठ 52 • प्रेषण : माह की 5-6 तारीख

समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66

राज्य स्तरीय 25 वाँ भामाशाह सम्मान समारोह, जयपुर